खण्ड-286, अंक-9
शुक्रवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(18 दिसम्बर, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९६

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त आजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णा नन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खजेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर मंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बायूं
बल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती

प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जैटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल बेहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)

राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति , श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी , श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती बेंगी, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौल्लाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का उत्सादन

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि विधान सभा द्वारा दिनांक २९ अप्रैल, १९७० को पारित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने कोई पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार से किया है ? यदि हां तो उन पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

जी हां, भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा गया था। उसको सदन के पटल पर रखना लोक हित में नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को भेजे गये पत्र को लोक हित में बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि लोक हित में नहीं बताया जा सकता।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

यह पूछना चाहते हैं कि उसमें क्या लोकहित निहित है ?

श्री अध्यक्ष—

रूल ३८ (३) में आप देखिये लिखा हुआ है कि यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोक हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे। इस आधार पर मंत्री को सूचना देने से इनकार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है।

इस रूल के अन्तर्गत यदि वह उत्तर नहीं देना चाहते तो विशेषाधिकार का प्रश्न भी नहीं उठता। वह ऐसा उत्तर दे सकते हैं।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, यह तो ठीक है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वह लोक हित कौन-सा है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई चीज गोपनीय है वह लोक हित में हो सकती है। पिछले मंत्री ने क्या लिखा उसके बारे में यह मन्त्री उस चीज को न बताना लोक हित में समझते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय मुख्य मंत्री यही बतायें कि किस तारीख को प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा गया और जो प्रस्ताव विधान सभा में पास हुआ था उसका उस पत्र में उन्होंने समर्थन किया या विरोध किया ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

इस समय तारीख तो मेरे पास नहीं है । इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि प्रधान मंत्री का उत्तर कब आया और क्या यह सही है कि विधान परिषद् के उत्सादन के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने कुछ स्पष्ट अपनी राय दी थी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ निश्चित बता सकूं, इसलिये गोपनीय रख रहा हूं ।

श्री उदित नारायण—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यदि संबंधित मंत्री महोदय चाहें तो किसी भी प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं कि यह लोक हित में नहीं है और उसके बाद हम उनको मजबूर नहीं कर सकते । लेकिन, श्रीमन्, उनके साथ ही साथ उसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि यह नहीं पूछा जा सकता कि वह लोक हित क्या है ? उदाहरण के लिये मान लीजिये कि मन्त्री ने एक बात, किसी एक मंत्री को लिखकर दी यह बात लोक हित में नहीं है कि वह बात जो लिखी गई है उसको बता दें । लेकिन, श्रीमन्, इस सदन को और श्रीमन् को भी इस बात के ऊपर आश्वस्त होना चाहिये कि वास्तव में कौन-सी लोक हित की बात उसमें निहित है, या है भी कि नहीं । श्रीमन्, आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि उसकी व्याख्या आप स्वयं कर सकते हैं कि लोक हित क्या है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार से सम्बन्धित प्रश्न तो गोपनीय हो सकता है लेकिन जो सदन से सम्बन्धित हो क्या उसके अन्दर भी लोक हित हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री को लिखते हैं और उसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जो गोपनीय हों । उसमें मैं नहीं कह सकता मंत्री जी को कि वे स्पष्टीकरण करें । क्या चीज लोक हित में है यह उत्तर वह दे सकते हैं, नियम के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया और उसमें किसी बहस का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश संसोपा के अध्यक्ष, श्री उग्रसेन द्वारा मंत्रियों पर आरोप

**२—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश संसोपा के अध्यक्ष ने दिनांक १६ नवम्बर, १९७० को माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो संसोपा के अध्यक्ष के दिनांक १६ नवम्बर, १९७० के पत्र को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मंत्रियों के विरुद्ध बाहर और भीतर कुछ जांच होने का आरोप उत्तर प्रदेश संसोपा के अध्यक्ष, माननीय

उग्रसेन सिंह ने दिनांक १६ नवम्बर, १९७० को पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखकर लगाया है ? यदि हां, तो जिन मन्त्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के विरुद्ध जांच हो रही है उनके नाम की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

उत्तर प्रदेश संसोपा के अध्यक्ष, श्री उग्रसेन का १६–११–७० का पत्र एक निजी पत्र है जो मुझे मुख्य मंत्री की हैसियत में नहीं भेजा गया है । अतः उसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि माननीय उग्रसेन ने जो पत्र लिखा वह अखबारों में प्रसारित हुआ तो वह व्यक्तिगत प्रसारित किया गया या जो मुख्य मंत्री को लिखा गया वह प्रसारित किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि अखबार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत पत्र उनको लिखा है।

श्री सुखपाल पांडेय—

मुख्य मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसकी शब्दावली देखी जाय तो पता लगेगा कि कुछ मंत्रियों की जांच के बारे में लिखा है तो ऐसी स्थिति में क्या उस पत्र को माननीय मुख्य मंत्री उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह व्यक्तिगत है, लिहाजा गोपनीय है ? उन्हें इसके लिये मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसे वे सदन की पटल पर रख दें ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

संसोपा के अध्यक्ष, श्री उग्रसेन ने यह पत्र १६ नवम्बर, १९७० को माननीय मुख्य मंत्री को लिखा है । यह हो सकता है कि उनके नाम से लिखा हो । लेकिन क्या यह सही है कि यह पत्र कुछ मंत्रियों के खिलाफ शिकायत करने हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा था मंत्रियों के खिलाफ, भले ही वह उनको व्यक्तिगत रूप में लिखा गया हो ?

श्री अध्यक्ष—

दोस्त की तरह कोई चीज लिखी गयी और उन्होंने कोई भी बात लिखी हो तो ऐसी स्थिति में वह कह सकते हैं कि वह उसे गोपनीय रखेंगे ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

गोपनीय उन्होंने नहीं कहा । यह कहा कि व्यक्तिगत हैसियत से पत्र लिखा गया है लेकिन जब वह उनको एक मुख्य मंत्री की हैसियत से कुछ मंत्रियों के खिलाफ लिखा गया है तो क्या वह उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पत्र प्रशासन के ऐसे विषय से संबंधित होना चाहिये जिसके लिये शासन उत्तरदायी हो ? उसका प्रयोजन लोकमहत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना है अथवा सुझाव देना है। उनका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्तिगत पत्र आया है तो उसको एक्सपोज करना उचित नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह पत्र उनको व्यक्तिगत रुप से लिखा गया है। क्या वह पत्र उनके कुटुम्ब के संबंध लिखा गया है या मौसम के संबंध में लिखा गया है, या व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में लिखा गया है? अगर ऐसा है तो हम उनको मजबूर नहीं करेंगे जवाब देने के लिये। लेकिन अगर उस व्यक्तिगत पत्र में सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक व्यक्ति अथवा शासन के किसी विषय के संबंध में लिखा गया है तब तो उसका उत्तर उन्हें अवश्य ही देना चाहिये। मुख्य मंत्री जी की पर्सनेलिटी को दो भाग में विभाजित किस प्रकार से किया जा सकता है? इसलिये मैं आपका निर्णय इस संबंध में चाहता हूं कि यद्यपि वह व्यक्तिगत पत्र है लेकिन सार्वजनिक शासकीय कार्य के संबंध में है, फिर वह गोपनीय किस प्रकार से हो सकता है?

श्री अध्यक्ष---

जब कोई व्यक्ति किसी पत्र को व्यक्तिगत ढंग से लिखता है तो यह अपेक्षा रखता है कि उसकी उस बात को गोपनीय रखा जायगा। अगर साधारण तौर से उसको लिखना होता तो वह मुख्य मंत्री की हैसियत से लिख देता। उसको आपके सामने भी बताया जा सकता है। उस समय अगर वे चाहते तो भी कह सकते थे कि गोपनीय है। हो सकता है वह भ्रष्टाचार आदि के बारे में जांच कर रहे हों इसलिये कोई बात उसके बारे में एक्सपोज न करना चाहते हों। जब वे ऐसा कह रहे हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिये कि कोई ऐसी बात अवश्य है जिसको वे गोपनीय रखना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र---

यदि किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्तिगत प्रत्र सार्वजनिक हित के संबंध में लिखा है, या शासन के संबंध में लिखा है तो मुख्य मंत्री जी केवल इतना ही कह देते कि वह मंत्रियों के संबंध में है और वे उसको गोपनीय रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसका मतलब है आप जैसा उत्तर चाहते है, वैसा उत्तर वे दें।

श्री कृष्ण चन्द्र---

जी, ऐसा नहीं चाहता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, सदन में यह देखा जाता है कि बहुत से जवाब इस प्रकार के दिये जाते हैं---"लोक हित में नहीं है, गोपनीय है" सूचना एकत्रित की जा रही है, वे निजी पत्र हैं। इन चीजों का बहाना लेकर सदन के अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। मैंने पिछली बार भी इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि आप सब पार्टियों के लीडर्स को बुला कर इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लें, अथवा कोई कमेटी बना दें जिससे इस प्रश्न के बारे में कोई बात तय हो जाय और यह जो अपने बचाव के लिये सरकार यह हथियार इस्तेमाल करती है, वह न कर पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी ही इस किस्म की व्यवस्था करें ताकि यह शिकायत खत्म हो। इससे तो ज्यादा अच्छा है यदि आप अपने सचिवालय से ऐसे सवाल को एजेंडे पर न आने दिया करें बजाय इसके कि सदन में सवाल आ जाय और सरकार कहे कि लोकहित में नहीं है, निजी पत्र है या सूचना एकत्रित की जा रही है। इस तरह से तो वही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---

अब तक जो व्यवस्था है वह मैंने आपको बताई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १६ नवम्बर के पत्र का उद्धरण जो प्रकाशित हुआ है . . .

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां कहा जाता है कि लोक हित में नहीं है तो इसको कौन तय करेगा ? प्रश्न संख्या १ इस प्रकार है कि "क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगें कि विधान सभा द्वारा दिनांक २९ अप्रैल, १९७० को पारित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उत्पादन के संकल्प के संबंध में मुख्य मंत्री ने कोई पत्र व्यवहार केन्द्रीय सरकार से किया है ? यदि हां, तो उन पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?" इसका उत्तर आता है मान्यवर, इसको सदन के पटल पर रखा जाना लोकहित में नहीं है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई सदन का प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसका कार्यान्वयन करना कार्यपालिका का काम है। इस लिये क्या सदन को अधिकार नहीं है कि इस प्रस्ताव के संबंध में पूछे कि उसके कार्यान्वयन में क्या कदम उठाये गये ?

श्री अध्यक्ष—

उनके पत्र व्यवहार को आप नहीं कह सकते हैं कि वह उनको एक्सपोज करें।

श्री गोविन्द सिंह—

कहीं नहीं कहा गया है कि वह गोपनीय है ।

श्री अध्यक्ष—

लोकहित में नहीं है इसका यही मततव है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या सदन को अधिकार नहीं है कि पूछे कि उसके प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा क्या किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि वह ऐसा जबाव दे सकते हैं।

श्री उदित नारायण—

मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि यदि मुख्य मंत्री जी कह दें कि वह लोक हित में है तो इतना काफी है। आपके नियमों के मुताबिक यह ठीक है। लेकिन मैंने दूसरी बात उठाई है और दूसरे प्रश्न के सिलसिले में दूसरी बात है। दूसरे प्रश्न से स्पष्ट है कि उनके कहने का यह अर्थ नहीं है कि लोक हित में है। इसलिये इसमें नियम ३८ हायल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कहते कि लोक हित में नहीं है। इसलिये उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत है।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले के बारे में कह रहे हैं ?

श्री उदित नारायण—

जी नहीं, मैं दूसरे के बारे में कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले के बारे में फैसला दिया है।

श्री उदित नारायण--

यदि यह कहा जाता कि निजी है तो नियम ३८ आपकी सहायता नहीं करता है। इस लिये हमें अधिकार है कि हम आपसे निवेदन करें कि वह निजी है या नहीं या लोक हित से संबंधित है। उस समय गोपनीय नहीं होगा और यह नहीं कहा जा सकेगा कि नियम ३८ हायल होता है इस चीज को यह कहकर टाल दिया जाय। यह ठीक नहीं है। जहां कहीं प्रिविलेज की बात आती है तो वह अधिकार कुर्सी का होता है। जो अध्यक्ष होता है वह इस बात को देखा करता है कि जो जवाब दिया जा रहा है वह सही दिया जा रहा है या नहीं। इस लिये आप हमारी इस दरख्वास्त को मानिये और आप इस पत्र को देख लें और आप बतायें कि वह निजी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें नियम २६ को लिया है। अगर उनको शासन का हैण्ड समझ कर पत्र लिखा गया है तो ठीक है लेकिन अगर कोई मित्र की तरह से लिखता है तो उनको वह व्यक्तिगत लिखता है या कोई सलाह देता है तो उसको वह यदि गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० एस० पी० के अध्यक्ष ने क्या अपने पत्र में निजी और गोपनीय लिखा है और क्या यह भी लिखा है कि लोकहित में इसे गुप्त रखा जाय और क्या यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

उन्होंने मुझको भाई त्रिभुवन नारायण सिंह करके पत्र लिखा है। इसके बाद मुझसे बात भी हुई थी। उन्होंने यह कहा कि यह निजी पत्र था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने यह पूछा था कि क्या यह पत्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

छपा होगा, मुझे मालूम नहीं है।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि उग्रसेन जी के पत्र में आपके निजी कार्यों का वर्णन है या प्रशासकीय कार्यों का वर्णन है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

मैंने पहले ही कह दिया कि यह निजी पत्र है और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भैसहवा घाट, जिला गोंडा में पुल निर्माण पर व्यय तथा कार्य प्रगति

*१--श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री दीपनरायन बन (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में बलरामपुर, श्रीनगर महन्त रोड पर किसी पुल का निर्माण-कार्य भसहवा घाट पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी लागत धनराशि क्या है ?

वन उप मंत्री (श्री डूंगर सिंह विष्ट)—

जी हां। अनुमानित लागत धनराशि रु० ७८,००० है।

*२—श्री शीतला प्रसाद सिंह तथा श्री दीपनरायन बन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उल्लिखित पुल का निर्माण-कार्य कब आरम्भ हुआ है कितना कार्य हो चुका है तथा पुल कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

उल्लिखित पुल का निर्माण-कार्य माह अप्रैल, १९७० में आरम्भ किया गया। पुल के समस्त पाइल लगाये जा चुके हैं मगर निर्धारित निर्दिष्टियों (स्पैसीफिकेशन) के लोहे के गार्डर उपलब्ध न होने के कारण पुल के मुकम्मल होने में देरी हो रही है। लोहे के गार्डर शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उनके प्राप्त होने पर ही पुल बन कर तैयार हो सकेगा।

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

क्या वन मन्त्री जी बतायेंगे कि गर्डर मिलने में क्या परेशानी है ? कानपुर में पर्याप्त गर्डर मिलते हैं उस पुल के न बनने से जनता को यातायात में बहुत परेशानी हो रही है ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लोहे के गार्डर उपलब्ध नहीं हो रहा है किन्तु इनको फिर प्राप्त करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है। उनके प्राप्त होने पर पुल बन कर तैयार हो सकेगा।

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

क्या वन मंत्री जी बतायेंगे कि यह गर्डर कब तक प्राप्त हो जायेगा और वह पुल कब तक बनने की आशा है ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

इस गर्डर के लिये हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को लिखा है अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी उक्त गर्डर प्राप्त करने के लिये लिखा है। डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर रेलवे, गोरखपुर, से भी प्रार्थना की गई थी, बलरामपुर चीनी मिल के मालिक को और जनरल मैनेजर को लिखा और ठेकेदार भी बाजार में बहुत कोशिश करते रहे हैं। इस समय अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोंडा, से यह प्रार्थना की जा रही है कि उनके गोदाम से मिल सकें तो ले लिया जाय। यह गर्डर २० फुट लम्बे १८ इंच मोटे ६ इंच चौड़े हैं जिनका मिलना मुश्किल हो रहा है। चेष्टा की जा रही है। गर्डर मिल जाय तो पुल बन जाय।

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि जिन लोगों को उन्होंने लिखा, उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

ये जो गर्डर्स हैं, वे बहुत बड़े हैं और बाजार में कहीं नहीं मिल रहे हैं। ६–७ जगह उनको ढूंढ़वाया गया लेकिन स्पेशल टाइप के गर्डर नहीं मिल रहे हैं। उनको जल्द से जल्द प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुल के निर्माण में देरी होने के कारण स्टीमेट तो रिवाइज नहीं करना पड़ेगा ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

इसके लिये तो अलग से सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह--

ये गर्डर्स कितने लम्बे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मार्केट में नहीं मिल रहे ह ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

जैसा कि मैंने अभी बताया ये २० फुट लम्बे, १८ इन्च मोटे और ६ इंच चौड़े हैं। चंकि ये बहुत बड़े गर्डर्स हैं, उनको प्राप्त करने की ६-७ जगह से कोशिश की गयी है और अभी तक कहीं से नहीं मिल पाये हैं। उप अरण्यपाल, गोंडा, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, गोंडा, को लिखा गया है कि वे कहीं से अपने गोदाम से ढुढ़वा दें ?

मर्चला, जिला गढ़वाल के झूला पुल को नयार नदी पर लगाना

*३--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करगे कि जिला गढ़वाल में मवाण-बैजरो मोटर मार्ग पर रामगंगा नदी के ऊपर मर्चला में जो झूला पुल है वह उसी स्थान पर मोटर आदि के लिये पक्का पुल बन जाने पर बेकार हो गया है ?

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री भारत सिंह चौहान)--

जी हां। यह झूला पुल अब मोटर मार्ग के लिये नहीं उपयोग होता है बल्कि पैदल मार्ग के लिये होता है।

*४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे उक्त झूला पुल को वहां से उठा कर इसी मोटर मार्ग पर आगे बंगार-स्यंसी में नयार नदी के ऊपर टूटे हुये झूला पुल के स्थान पर लगाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री भारत सिंह चौहान--

जी नहीं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने उत्तर दिया कि यह झूला पुल अब मोटर मार्ग के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता बल्कि पैदल मार्ग के लिये होता है तो मेरा कहना यह है कि यह पहले भी मोटर मार्ग के प्रयोग में नहीं लाया जाता था। मेरा प्रश्न यह है कि जब मोटर पुल बन गया है और उसके कारण पैदल आना जाना और सब कार्य झूला पुल से नहीं होता है तो उस पुल को दूसरी जगह प्रयोग में लाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री भारतसिंह चौहान--

झूला पुल का इस समय प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिये इस पर विचार कर रहे हैं कि इस पुल को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

श्रीमन्, उसी नदी पर एक स्यंसी स्थान है जहां पर बरसात में कई लोग बह जाते हैं, वहां पर एक पुल की बहुत आवश्यकता है तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री भारत सिंह चौहान—

हमारे यहां पर जो पुल की स्वीकृति हुयी है, उसका स्पैन बड़ा था और इसका स्पैन केवल १६० फुट है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह प्रश्न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है लेकिन उत्तर दे रहे हैं पंचायती राज मंत्री, यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है उन्होंने गल्ती कर दी । कोई सदस्य अगर देता है तो हमारे दफ्तर को हिदायत है कि जिस विभाग को उत्तर देना चाहिये उसके पास उस प्रश्न को भेज दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न है । यह पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है और दूसरी सड़क भी पी० डब्ल्यू० डी० की है । पंचायती राज इसमें आता नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—

ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी है । दूसरे मंत्री भी जवाब दे सकते हैं । मेरे पास पंचायती मंत्री लिखा है । मुझे दफ्तर से सूचना मिली है कि पुलों के बारे में पंचायती राज मंत्री ही कार्य करते हैं ।

श्री भारत सिंह चौहान—

यह हमारे ही विभाग का है इसलिये हमारे विभाग में आया ।

*५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे सोमवार के लिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६—७—श्री तेजनरायन, श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखनलाल तथा श्री सेवाराम—

[३रे सोमवार के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्र० सं० ३—४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला लखनऊ में हरिजनों को पेय जल तथा गृह निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

*८—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९—७० म लखनऊ जिले में कितने हरिजनों को गृह उद्योग पेय जल व गृह निर्माण के लिये सरकारी अनुदान दिया गया उनमें मेहतर वर्ग के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सागर)—

वर्ष १९६९—७० में लखनऊ जिले में हरिजनों को विभिन्न मदों के लिए अनुदान देने के हेतु ३३,५०० रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी जो जिला हरिजन तथा समाज कल्याण समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकृत की जानी थी । किन्तु उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित न हो पाने के कारण किसी व्यक्ति को उक्त वर्ष (१९६९—७०) में अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६९-७० में उक्त समिति की बैठक आयोजित न होने का क्या कारण हैं ?

श्री राम सागर--

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार फरवरी मास में जिला हरिजन कल्याण अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और जो दूसरे अधिकारी आये वे मार्च के महीने के नजदीक होने से और शैक्षिक काम अधिक होने से बैठक नहीं कर पाये ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अनुदानों के प्रति जो धनराशि ६९-७० में स्वीकृत की गई थी उस धनराशि का क्या हुआ ? हरिजनों के लाभ को विचार करते हुए इस समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाय और धनराशि का उपयोग किया जाय ?

श्री रामसागर--

जो धनराशि स्वीकृत की गई थी वह ३३,५०० रु० की थी । दो हजार रुपये शासन को तुरन्त वापिस कर दिये गये । १२ हजार रुपये ऐसे थे जो एक वर्ष पहले से बन रहे अपूर्ण पेय-जल कूपों को गांधी शताब्दी वर्ष में पूरा कराने के लिये थे । १९,५०० रुपये शासन को वापिस कर दिये गये ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने मीटिंग समय से इसलिये नहीं बुलाई कि मीटिंग के मेम्बरों की संख्या अधिक है इसलिये उनको असुविधा थी ?

श्री रामसागर --

जो तत्कालीन हरिजन कल्याण अधिकारी थे उनसे इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने बैठक क्यों नहीं बुलाई । स्पष्टीकरण आने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९६९-७० में जिला लखनऊ के जिन हरिजनों ने अनुदानों के प्रति प्रार्थना-पत्र दिये थे वह प्रार्थना-पत्र सुरक्षित रहेंगे और अगली मीटिंग में वह समिति के सामने पेश किये जायेंगे ? क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसागर--

जो प्रार्थना-पत्र पहले दिये जा चुके हैं वे जरूर सुरक्षित रहेंगे और उन पर विचार किया जायगा ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण पिछले वर्ष में जितना अनुदान बटने से रह गया है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि वह बकाया धन इस वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान के अतिरिक्त, बांट दिया जाय ?

श्री रामसागर--

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

जिला जौनपुर तथा फैजाबाद को मिलाने वाली पवई-जलालपुर रोड का निर्माण

*९—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कृपया बतायेंगे कि पवई-जलालपुर रोड जो जौनपुर जिले के शाहगंज बाजार और फैजाबाद जिले के जलालपुर बाजार को मिलाती है, बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री भारत सिंह चौहान—

इस सड़क के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

*१०—श्री श्यामलाल (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि सन् १९६२ से १९६७ के सत्र में इस सड़क के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी ?

श्री भारत सिंह चौहान—

शासन द्वारा इस सड़क विशेष के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय पंचायत राज मंत्री को यह जानकारी है कि इस रोड के लिये सन् ६७ से ६९ तक लगातार माननीय सदस्य मांग करते आ रहे हैं और उसकी उपयोगिता की ओर सरकार का ध्यान दिलाते रहे हैं, तो क्या सरकार इस सड़क को तुरन्त बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री भारत सिंह चौहान—

इस सड़क को बनवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न सं० ९-१० श्री श्याम लाल कनौजिया के हैं। वे हैं नहीं। आपने दूसरे माननीय सदस्य को मौका दिया प्रश्न करने का और उस प्रश्न को ले लिया। तो क्या आगे भी आप अन्य माननीय सदस्यों को ऐसा अवसर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, यह मेरी गलती से इस वक्त हो गया। मैं समझा उनके ही प्रश्न हैं।

जिला आजमगढ़ के पंचायत राज निरीक्षक कार्यालय के लिपिकों को नियोजन विभाग में खपाना

*११—श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले के पंचायत राज विभाग के पंचायत राज निरीक्षक कार्यालय के लिपिक जो पंचायत लिपिक पद समाप्त होने के कारण अधिमान घोषित कर उसी जिले के नियोजन विभाग में आत्मसात किये गये थे उन्हें दस वर्ष तक की सेवाओं के पश्चात् पुनः पंचायत लिपिक के मूलपद पर वापस किया गया है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में कोई शासकीय निदेश कब दिये गये ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

पंचायत लिपिक पद समाप्त होने के कारण इस जिले का कोई भी लिपिक अधिमात्र घोषित होकर नियोजन विभाग में आत्मसात नहीं किया गया था।

*१२—श्री दलसिंगार (अनुपस्थित) तथा भोमा प्रसाद—

उक्त पंचायत लिपिकों को किस आधार पर नियोजन विभाग में आत्मसात किया गया था तथा किन आधार पर इतनी लम्बी सेवा के बाद प्रत्यावर्तन किया गया है ? क्या उनके लिये पुनः पंचायत राज विभाग में किसी पद का सृजन हुआ है ? यदि नहीं, तो ऐसे लोगों को जो स्थायी कर्मचारी हैं किन पदों पर रक्खा जायेगा ?

श्री मलिखान सिंह—

चूंकि पंचायत लिपिक पद समाप्त होने के पश्चात् नियोजन विभाग में किसी भी पंचायत राज निरीक्षक कार्यालय के लिपिक को आत्मसात नहीं कराया गया है इसलिये कि पंचायत लिपिक के नियोजन विभाग में आत्मसात तथा उनके प्रत्यावर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है । पंचायत विभाग में किसी भी नवीन पद का सृजन नहीं हुआ है । यह पद चूंकि पंचायत राज विभाग के स्थायी पद हैं अस्तु अभी भी उस विभाग में विद्यमान हैं । स्थायी पंचायत लिपिकों को जब तक किसी अन्य विभाग में आत्मसात नहीं हो जाते, पंचायत राज विभाग में ही उनके मूल पद पर रखा जायगा ।

ग्राम महेवा, जिला मिर्जापुर में पुल निर्माण की मांग

*१३—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि मिर्जापुर जिलान्तर्गत तहसील मिर्जापुर के मुख्य गांव महेवा के आम घाट नदी पर पुल नहीं है ? क्या यह सही है कि वहां की ग्रामीण जनता ने अपने पैसे से पुल का पाया बनवाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार महेवा घाट पर पुल बनवाने का कष्ट करेगी ?

श्री भारत सिंह चौहान—

इस नदी पर कोई पुल नहीं है ।

जी हां । ३ पाये बनवाये हैं ।

जी नहीं ।

श्री रामनिहोर राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह तीन पाये किस के द्वारा बनवाये गये हैं ?

श्री भारत सिंह चौहान—

यह जनता द्वारा बनाये गये हैं, किन्तु इस पर पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता ।

श्री राम निहोर राय—

क्या इस पुल को बनवाने के लिये सरकार द्वारा कभी सर्वेक्षण कराया गया ?

श्री भारत सिंह चौहान—

जी हां, सर्वेक्षण कराया गया । इस पुल की अनुमानित लागत करीब २ लाख रुपये होगी । जिला परिषद् की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस खर्च का भार वहन कर सके । इसलिये यह नहीं बन सकता है ।

श्री राम निहोर राय—

यह यातायात का एक बहुत प्रमुख मार्ग है, इस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पुल को बनवाने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ?

श्री भारत सिंह चौहान—

माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो विचार किया जायगा ।

जिला सीतापुर की अटरिया-नील गांव सड़क का निर्माण

*१४—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि अटरिया-नील गांव सड़क सीतापुर के निर्माण कार्य हेतु कब और कितना धन स्वीकृत किया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि वह निर्माण-कार्य अधूरा क्यों पड़ा है ? क्या सरकार शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरा करने हेतु आदेश देगी ?

श्री भारत सिंह चौहान—

इस सड़क के लिये खास तौर से कोई अलग से धनराशि कभी नहीं स्वीकृत की गई है । अभी इस सड़क का निर्माण आरम्भ भी नहीं हुआ है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्यामलाल रावत—

क्या माननीय मंत्री जी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस सड़क के निर्माण के लिए जिला परिषद्, सीतापुर, द्वारा टेंडर मांग गय थे ?

श्री भारत सिंह चौहान—

जिला परिषद् ने सूचित किया है कि इस सड़क के निर्माण हेतु दो लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी । परिषद् के आय स्रोत सीमित होने के कारण इस सड़क पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। यातायात चालू रखने के लिये जिला परिषद् ने निचले स्थानों पर मिट्टी भराई का कार्य अवश्य करवाया है । इसके सम्बन्ध में जिला परिषद् ने कुछ ब्यौरा दिया है। कंकड़ भराई के लिये टेंडर नहीं मांगे गये ।

श्री श्यामलाल रावत—

क्या मंत्री जी सड़क के महत्व को देखते हुए निर्माण के लिए विचार करेंगे ?

श्री भारत सिंह चौहान—

अभी शासन के पास ऐसा विचार करने का इरादा नहीं है । रुपया भी नहीं है । अगर सदस्य लिख कर देंगे और आवश्यक हुआ तो विचार किया जायगा ।

*१५—श्री रामचन्द्र विकल—

[निरस्त]

वाराणसी जिला नियोजन कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की पुलिस द्वारा जांच तथा इन्हें बहाल करना

*१६—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला नियोजन कार्यालय के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध सन् १९६६ से सन् १९७० के बीच पुलिस केस किया गया और उनमें से कितने कर्मचारी पुलिस केस से बरी हो गये ?

श्री भारत सिंह चौहान—

वाराणसी जिला नियोजन कार्यालय में सन् १९६६ से १९७० के बीच ५ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा जांच आरम्भ की गई । उनमें से दो कमचारियों के विरुद्ध पुलिस जांच में अपराध सिद्ध नहीं हुये ।

*१७--श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह भी बतान की कृपा करेंगे कि उपरिलिखित पुलिस केस होते हुये भी किन कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में बहाल किया गया और पुलिस केस से बरी कमचारियों को ५ मई, १९७० तक बहाल नहीं किया गया ?

श्री भारत सिंह चौहान--

उपरोक्त ५ कर्मचारियों में से एक श्री हरिद्वार सिंह को पुलिस जांच चलते हुये बहाल कर दिया गया क्योंकि जांच में बहुत देर हो रही थी और वह अल्पभोगी कर्मचारी है जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक कठिनाई थी । बहाल करते समय यह आदेश दे दिये गये थे कि उनके बहाल होने से उनके विरुद्ध लगाये गये, अभियोग के तत्व (मेरिट) पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

जिन दो कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस अभियोग सिद्ध नहीं हुआ उनमें से एक कर्मचारी श्री मदन मोहन ओझा को २५-५-७० को बहाल किया गया था । उन्हें ५-५-७० तक इसलिये बहाल नहीं किया गया था कि उनके विरुद्ध विभागीय अभियोग पत्र की प्रतीक्षा थी और उनके मामले में इस दृष्टिकोण से विचार करना था ।

दूसरे कर्मचारी जिनके विरुद्ध पुलिस अभियोग सिद्ध नहीं हुआ, श्री कोतवाल सिंह को भी २५-५-७० को बहाल किया गया था । दिनांक ५-५-७० तक उनको भी इसलिये बहाल नहीं किया गया था क्योंकि उनके मामले में भी विभागीय दृष्टि से विचार हो रहा था ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पांच कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस जांच प्रारम्भ हुई उनके क्या नाम थे और उनमें से वो ही बरी हुये, क्या तीन कर्मचारियों के ऊपर अभियोग सिद्ध हुआ ?

श्री भारत सिंह चौहान--

मान्यवर, एक कर्मचारी को उसमें से सजा हो गयी १२ साल की । जिनके खिलाफ एेबशन हुआ उनके नाम हैं--श्री कोतवाल सिंह, श्री मदन मोहन ओझा, श्री रामजी सहाय, श्री अरुण कुमार चटर्जी और हरद्वारी सिंह । एक को सजा हो गयी और दो में जांच जारी है । दो बरी किये गये थे दोनों को बहाल कर दिया गया ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस के ऊपर अभियोग सिद्ध हुआ, क्या उस कर्मचारी को विभाग ने जांच के दर्मियान काम करने की इजाजत दी थी और दी थी तो किस आधार पर ?

श्री मलिखान सिंह--

इसमें चटर्जी को सजा हो गयी और जैसे ही कोर्ट से सजा हुई, वैसे ही उनक खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । रामजी सहाय और हरद्वारी सिंह, इनमें पुलिस की जांच चल रही है और कोतवाल सिंह और मदन लाल, उन पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है और उन पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ५ कर्मचारियों के ऊपर पुलिस केस के लिये विभाग ने लिखा, ५ की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, इसमें से सब कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि केस में देर हो रही है और हम सब लोगों को काम करने

दिया जाय, क्योंकि हम लोग अल्पवेतन भोगी हैं। तो वह कौन सा आधार है, जिसमें तीन को तो बहाल किया गया और २ को नहीं किया गया और उनको बहाल किया गया जिन पर पुलिस की जांच में अधिक आरोप लगे हैं और जो सिद्ध हुये, तो क्या यह पक्षपात नहीं हुआ ?

श्री मलिखान सिंह—

मैं बता चुका हूं कि दो पर फायनल रिपोर्ट लगा दी गई, इसलिये उस पर ऐक्शन नहीं लिया गया । हरिद्वारी सिंह पर विभागीय कार्यवाही भी हो रही थी और पुलिस कार्यवाही भी चल रही थी, लेकिन उनको बीच ही में बहाल कर दिया गया । सदस्य चाहेंगे तो जांच करा लूंगा कि उनको ऐसी परिस्थिति में बहाल क्यों किया गया और बाकी को क्यों नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

वह यह जानना चाहते हैं कि श्री चटर्जी को जब तक सजा नहीं हुई थी, काम करने दिया गया है ?

श्री मलिखान सिंह—

नहीं, उनको काम करने नहीं दिया गया ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे कि अनियमितता और पक्षपात इस संबंध में बरता गया है ?

श्री मलिखान सिंह—

इसकी जांच कराई जायेगी ।

ब्लाक बेलघाट, जिला गोरखपुर में अनुसूचित जाति को कृषि उत्थान हेतु दिया गया अनुदान

*१८—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिला के ब्लाक बेलघाट में सन् १९६१—६२, १९६२–६३, १९६३–६४ और १९६४–६५ में हरिजन कल्याण के अनुदान की धनराशि कितनी थी और किस-किस मद की थी तथा कितनी धनराशि किस-किस मद की सरकार को वापस कर दी गई ? यदि वापस कर दी गई तो क्यों ?

श्री राम सागर—

वांछित सूचना अनुसूची (अ) पर है ।

वर्ष १९६२–६३ में राज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को कृषि उत्थान हेतु अनुदान संबंधी धनराशि में से ५९६ रु० सरकारी खजाने में वापस किया गया । यह धन सहकारी समिति के लिये था, किन्तु उक्त ब्लाक में कोई ऐसी समिति नहीं थी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०७०–१०७१ पर)

*१९—श्री रामपति—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त अनुदान किन-किन लोगों को कितने-कितने दिये गय और वे चेक द्वारा दिये गये या प्राप्त कर्ता को ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये ?

श्री राम सागर---

वांछित सूचना अनुसूची (ब) पर है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०७२-१०७६ पर)

श्री रामपति---

जिन लोगों को सभापति द्वारा रुपया देना दिखाया गया है और जो फर्जी काम हुआ है, तो क्या आप जांच करायेंगे कि उन लोगों को रुपया मिला है या नहीं ? जो ५९६ रुपया वापस किया गया है, उसमें मुझे मालूम है कि सौदेबाजी की गई है और जब सौदा नहीं पटा तो रुपया वापस किया गया तो क्या इसकी भी जांच कराई जायेगी ?

श्री राम सागर---

पहले ही अर्ज कर दिया कि जो रुपया गया था वह कायदे से वितरित हो गया, किन्तु यह ५९६ रु० कृषि सहकारी समिति न होने के कारण वापस आ गया। उसके अलावा अन्य कोई सूचना सदस्य को हो तो लिखकर दे दें, जांच करा ली जायगी ।

श्री कृष्णकान्त---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ६१ के बाद जो प्रदेश में हरिजन अनुदान का रुपया वितरित हुआ है, उसके लिये वह कोई प्रदेशीय स्तर पर जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो वास्तव में अनुदान दिया गया है वह उनको मिला है या नहीं ?

श्री राम सागर---

उसके लिए सभी विभागीय कार्यवाही हम करेंगे और यदि माननीय सदस्य फिर भी सन्तुष्ट नहीं होंगे तो दूसरी जांच कराई जायगी ।

श्री कृष्णकान्त---

हर जगह ऐसी अनियमितता हुई है कि उनको अनुदान नहीं मिला है, इसलिये जांच समिति बनाई जाय....

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, जिन जिलों में कोआपरेटिव समितियां नहीं हैं तो कोआपरेटिव आधार पर उनको वितरित कर दिया जाय । साथ ही जिन लोगों को अनुदान की रकम एलाट कर दी गई थी उनको पत्रों के द्वारा भी तो सूचित किया जा सकता था ।

श्री राम सागर---

उनको सूचित भी किया गया था और चेक के द्वारा उनको पूरा रुपये का भुगतान भी कर दिया गया था ।

*२०---श्री डूंगरसिंह बिष्ट---

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

दुद्धी वन प्रभाग में स्थानीय जनता को सुविधायें

*२१- श्री राम प्यारे---

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी फारेस्ट डिवीजन के प्रत्येक रेंज में वहां की स्थानीय जनता को कौन-कौन सी सुविधायें विभाग ने दे रखी हैं और उन सुविधाओं के अन्तगत सन् १९६९-७० में प्रत्यक रेंज में दी गई सुविधायें क्या ह ?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

वन प्रभाग के प्रत्येक रेंज में वहां की स्थानीय जनता को जो सुविधायें उपलब्ध हैं तथा उन सुविधाओं के अन्तर्गत सन् १९६९–७० में जो सुविधायें प्रत्येक रेंज में दी गईं उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०७७–१०८२ पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री राम प्यारे, अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं तो क्या उन्होंने अपना दल बदल दिया है ?

श्री राम प्यारे—

नहीं, मान्यवर, मैं तो यों ही इधर बैठ गया था ।

क्या माननीय वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ये सुविधायें दी गई हैं ये उन वन खंडों में ह जहां जमींदारी एबालीशन हो चुका है और उनको कौन-कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री डंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह तो नया प्रश्न है और इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, मंत्री जी का यह कहना कि जमींदारों के संबंध में कोई नियम नहीं बने हैं परन्तु मान्यवर, मेरा संबंध तो उन गरीबों क विषय में है जो वहां पर वर्षों से रह कर जमीन को जोत रहे हैं उनको सुविधाओं के देने का सवाल है। वहां पर उनके जो कुयें, बाग बगीचे हैं और वहीं पर रह कर वे जमीन जोतते हैं उनको सुविधाओं के देने से मेरा आशय था । उनको जंगलों से उपलब्ध सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं । मान्यवर, उनके मुकदमें उठा लिये जायं और उनको पहले से ही जो सुविधायें दी जा रही थीं वे दी जायं ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने फिर एक नया प्रश्न किया है । इस प्रकार से नये तरीके से नये प्रश्न करने पर सूचना की आवश्यकता होगी । यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना देंगे तो उसकी विस्तृत जांच करवाई जा सकेगी।

श्री राम प्यारे—

क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधायें उनको दी जाती रही हैं वे उनको जब तक कि नये नियम नहीं बन जात तब तक जो हरिजन और आदिवासी वहां पर रहते हैं उनको व सभी सुविधायें प्राप्त होती रहेंगी । उन सुविधाओं को वापस नहीं लिया जायगा । क्या मंत्री जी इसका आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से उनको सुविधायें दिये जाने का प्रश्न उठाया है, वे कई तरह की हैं । अगोरी और विजयगढ़ क्षेत्रों में सन् ६७ में जो क्षेत्र राजा अगौरी से सरकार के आधीन आया था, समझौत के अनुसार उसमें सेटिलमेंट होता चला जा रहा ह । नये क्षेत्रों में भी यह हो रहा है । अब अगर माननीय सदस्य इसको लिखकर देंगे तब उस पर विचार किया जायगा ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो नियम बन रहे हैं वे कब तक बन जायेंगे ?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, नियम नहीं सेटिलमेंट हो रहा है, मैंने यही कहा है ।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, करीब-करीब १६ हजार मुकदमें इन गरीबों पर जो वहां पर काश्तकार हैं ये करने जा रहे हैं । मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक मौके पर वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी नहीं कर ली जाती तब तक उन गरीबों पर मुकदमें नहीं चलाये जायेंगे ?

श्री डंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, जिन मुकदमों के बारे में कहा गया है अगर माननीय सदस्य उनके बारे में सरकार को लिखकर दे देंगे तो वन बन्दोबस्त अधिकारी से उसकी जांच करवा ली जायेगी और न्यायिक व व्यवहारिक कदम सरकार उठावेगी ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि सेटिलमेंट हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक सेटिलमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक जो काश्तकार ह और जिनका जहां पर कब्जा है और उन पर मुकदमा चल रहा है वह मुकदमा उस समय तक रोक दिया जाय ?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह एक नया प्रश्न है । इस समय तो बन बन्दोबस्त कार्यवाही हो रही है और बन बन्दोबस्त की सभी चीजें तय करने के बाद ही उनको स्थायी सुविधायें दी जा सकेंगी ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि वहां पर १६००० मुकदमें चल रहे हैं । जब तक आपका सेटिलमेंट पूरा नहीं होता तब तक के लिये आप मुकदमों का स्टे कर दें ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह तो एक दम ही नया प्रश्न है और इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि आपने सेटिलमेंट शुरू कर दिया है और जब तक सेटिलमेंट नहीं हो जाता उस समय तक जो मुकदमें चल रहे ह और जिनकी संख्या करीब १६ हजार है उन मुकदमों पर तब तक के लिये यह स्टे करवाने के लिये कह रहे हैं । यह प्रश्न नया नहीं है ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

माननीय सदस्य ने मुकदमें चलाने का प्रश्न किया है । अब अगर यह लिखकर दे देंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई उचित कार्यवाही की जायेगी जिससे वहां के लोगों को परेशानी न होगी ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण मंत्री जी को लिखित रूप से इसको दे चुके हैं मंत्री जी के कमरे में । मिर्जापुर के सदस्य उनसे मिले थे और उन्होंने इसको उनको लिखित रूप में दिया है । इस समय माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं वह सत्य से परे है और इस नाते उनको सदन में इसका उत्तर देना चाहिये । जब आप वहां सेटिलमेंट कर रहे हैं तो जो मुकदमें चलाये जा रहे हैं जो लगभग १० हजार से ऊपर हैं उन पर उस समय तक के लिये स्टे दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

अब वह कह चुके कि लिखित दे दें ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, लिखित रूप में दे दिया है ।

वन मंत्री (श्री राम किंकर)---

अभी हाल ही में दिया है । मैं उस पर कार्यवाही कर रहा हूं ।

*२२---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अस्त]

जिला गोंडा में पसका-परसपुर सड़क का निर्माण

*२३---श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोंडा, तहसील तरबगंज के अन्तर्गत बालपुर, परसपुर, पसका जेरतामीर सड़क कब से बन रही है उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है और कब तक यह सड़क बन कर तैयार होगी ?

श्री मलिखान सिंह---

जिला गोंडा, तहसील तरबगंज, में बालपुर परसपुर पसका नाम की सड़क नहीं बन रही है ।

जिला गोंडा, तहसील तरबगंज, विकास खंड परसपुर के अन्तर्गत ग्रामीण जनशक्ति योजना में जिला परिषद् के माध्यम से पसका-परसपुर नामक सड़क वर्ष १९६६ से बन रही है । इस सड़क पर प्रारम्भ से लेकर ३० सितम्बर, १९७० तक ३-७४ लाख रुपया व्यय हो चुका है । यह सड़क सम्भवतः ३१ मार्च, १९७२ तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी-जैदपुर सड़क की मरम्मत

१---श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

क्या यह सही है कि बाराबंकी-जैदपुर सड़क बरसात के मौसम में इतनी खराब हो जाती है कि उस पर बैलगाड़ी, मोटर व इक्कों का निकलना मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से जैदपुर कस्बे के लोगों को करीब-करीब ६ माह बहुत सख्त तकलीफ रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को बनवाने का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मलिखान सिंह—

इस सड़क का केवल वही भाग खराब हालत में है जो कि जिला परिषद् के अधीन है । धनाभाव के कारण जिला परिषद् इस भाग की मरम्मत करने की स्थिति में नहीं है । शासन द्वारा इस मामले में कोई प्रबन्ध करना संभव नहीं है ।

फर्रुखाबाद के जिले में छात्रवृत्तियां

२—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कितने छात्रों को उक्त अवधि के अन्दर विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री राम सागर—

उत्तर—कुल २४२७ छात्रों को ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १८ दिसम्बर, १९७० की बैठक में सदन के २१ दिसम्बर, १९७० के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं ।

१—निम्नलिखित संकल्पों पर १ बजे तक विचार हो—

(१) कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की प्रांतीय शाखा के गठन के संबंध में;

(२) सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति के गठन के लिये;

(३) हायर परचेज पर बिक्री कर लगाने के लिये विधि बनाने का अधिकार केन्द्र को देने के संबंध में ।

२—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा बंधीकरण) अध्यादेश, १९६९ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव अपराह्न के ३ बजे तक लिये जायं और संकल्प तथा विधेयक पर मतदान पृथक्-पृथक् हो ।

३—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव ३ बजे के उपरान्त लिये जायं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह किस तारीख का है ?

श्री अध्यक्ष—

सोमवार २१ तारीख का ।

प्रश्नों के उत्तर जनहित में न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

प्रश्नों के और जनहित के संबंध में एक व्यवस्था चाहता हूं । मेरे पहले प्रश्न का उत्तर सरकार ने जनहित में नहीं बताया और दूसरे प्रश्न का जवाब भी जनहित में नहीं बताया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम चन्द्र विकल]

एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन बीरेन्द्र वर्मा जी थे । उसकी एक रिपोर्ट चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में थी । उसमें राज्य सभा के मेम्बर पृथ्वीनाथ सेठ भी थे । उस रिपोर्ट के लिये कहा गया कि जनहित में पेश नहीं कर सकते । इस सदन में घोषित किया गया था कि एक महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे । कल जब चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में बहस हुई तो कहा गया कि रिपोर्ट बताना जनहित में नहीं है । जनहित भी कहा गया और गोपनीय भी कहा गया जिस कमेटी में राज्य सभा के मेम्बर सदस्य हों उसका गोपनीय रखना कहा जाना और इस सदन में घोषणा के बावजूद उस रिपोर्ट को सदन में न लाना ऐसे सवाल हैं जिन पर आपकी व्यवस्था होने से पहले बहस होना जरूरी है।

सभी माननीय सदस्यों के विचार सुन लें कि आखिर जनहित क्या है ? जनहित विरोध पक्ष किस दृष्टि से मानता है और सरकार जनहित को किस दृष्टि से मानती है ? अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर भी यह निर्भर करता है कि आप किस बात को जनहित में समझते हैं । अगर इसी तरह से जैसा कि कल से आज तक हो रहा है तो मैं समझता हूं कि सारे विरोध पक्ष के लोग जनहित के प्रश्न को उठा ही नहीं सकेंगे और सरकार उसका जवाब भी नहीं देगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था तो दें लेकिन सदन में एक रोज इस पर विवाद सुन लें और उसके ऊपर अपना निर्णय करें कि जनहित क्या है और जनहित क्या नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह का एक प्रस्ताव श्री रियासत हुसैन ने भी दिया है और मैं समझता हूं कि प्रस्ताव जो है उसके ऊपर अमल किया जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय पर कि गोपनीयता क्या है, इस पर पूरे सदन में बहस के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि इतना समय भी नहीं है । बल्कि यह अच्छा होगा कि जो रियासत हुसैन जी ने कहा है कि इस विषय में क्या नीति होनी चाहिये, इस संबंध में नेताओं की एक समिति बन जाय और उसमें इस पर कुछ चर्चा हो जाय और वह समिति अपना सुझाव कोई दे तो मैं उसे ज्यादा अच्छा समझता हूं और उसके ऊपर कोई न कोई फैसला दे दूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

गोपनीयता के प्रश्न पर जो आपने थोड़ा सा संकेत किया है, और उन नियमों में भी है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो व्यक्तिगत प्रश्न उठाया है कि यह व्यक्तिगत प्रश्न है, या व्यक्तिगत पत्र है, तब तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह हो सकता है कि जो जिम्मेदार मंत्री हैं, उनको माननीय मंत्री जी या मुख्य मंत्री महोदय पत्र लेखक न लिखें या उनका संबंध ऐसा हो कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर उन्हें पत्र लिखे लेकिन उस पत्र में सार्वजनिक हित का प्रश्न ऐसा प्रश्न हो जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, और केवल इसी लिये कि उसमें लिखा हो—"भाई त्रिभुवन नारायण जी" केवल इसी आधार पर माननीय मुख्य मंत्री या कोई मंत्री उसका उत्तर देना नापसन्द करें तो इसकी रेमेडी क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इतना कहा होता तो बात दूसरी थी । उन्होंने यह भी कहा कि मैंने उनसे बात की और वे कहने लगे कि जो मैंने लिखा है वह प्राइवेट लिखा है । इसलिये जब वह प्राइवेट है, और कोई किसी को प्राइवेट चिट्ठी लिखता है तो उसके ऊपर प्रश्न करना कहां तक उचित है, यह बात उनकी तरफ से आयी ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

अगर कोई व्यक्तिगत पत्र है तो उसका व्यक्तिगत मामले से संबंध होगा । लेकिन अगर कोई उसमें सार्वजनिक महत्व की बात उठावें तो उसका संबंध सार्वजनिक जीवन से

हो जाता है । अगर कोई पत्र जिस पर गोपनीय या व्यक्तिगत नहीं लिखा होता किन्तु बातचीत में कोई व्यक्ति कह देता है कि जो कुछ मैंने कहा है उसका प्रकाशन न किया जाय तो क्या इसी आधार पर वह पत्र व्यक्तिगत बन सकता है । सार्वजनिक जीवन से संबंधित जो बात होती है, वह विवाद की चीज हो जाती है परम्परा भी यही रही है कि अगर इस संदर्भ में कोई सार्वजनिक प्रश्न उठता है तो वह केवल उन्हीं की थाती और सम्पत्ति नहीं है, सार्वजनिक प्रश्न इस सदन की भी थाती और सम्पत्ति है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बाद में चर्चा हो जाय ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

श्री रियासत हुसैन जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में भी विचार विमर्श हो जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

वह हो जायगा ।

सदस्यों को विशेष प्रकार से मतदान करने के सम्बन्ध में ह्विप जारी करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न, आज इस सदन में जो कार्यवाही होने वाली है उसके संबंध में है । आप आज देख रहे हैं कि कार्यसूची में कौंसिल के एबालिश का एक गैर-सरकारी प्रस्ताव इस सदन के सामने है । आज सुबह अखबारों में पढ़ने को मिला कि कुछ दलों ने अपने सदस्यों को ह्विप जारी किया है कि एक विशेष रूप से प्रस्ताव पर आप वोट डालेंगे ।

मेरा निवेदन यह है कि मान्यवर, अगर इस तरह का ह्विप जारी किया गया कि सदस्यगण एक विशेष समय पर सदन में उपस्थित रहें तो वह ठीक है । लेकिन अगर इस प्रकार का ह्विप जारी हो जाय कि किसी विशेष प्रस्ताव पर किस ओर वोट दें तो यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है । तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार का ह्विप इश्यु हुआ है अपने सदस्यों को कि इस प्रस्ताव पर इस तरीके से वोटिंग कर दी जाय तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा हो जावेगा । मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि जब श्री उदित नारायण शर्मा के संबंध में पिछले अधिवेशन में इस तरह का विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके सामने आया तो आपने कहा कि सदन में बहस कर ली जाय और जब बहस हो जावेगी उसके बाद आप व्यवस्था देंगे । उस समय यह भी निश्चय हुआ था कि आप एडवोकेट जनरल की भी राय लेंगे । तो मेरा निवेदन है कि इस कार्य सूची में जो यह प्रस्ताव रक्खा गया है इसको इस सदन में पास करना चाहिये । पहले इस बात की व्यवस्था हो जाय कि इस तरह के ह्विप से इस सदन के विशेषाधिकार का हनन माना जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मेरे पास तो आया नहीं है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

बख्शी जी के संबंध में भी कुछ आया है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं आया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आज मुझे सूचना कार्यालय से मिली है कि मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न बख्शी जी से संबंधित रक्खा था वह अस्वीकार हो गया है । तो मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं देता हूं लेकिन मेरे सुनने का अधिकार है । उस अधिकार से हम लोग वंचित रह गय तो आपने एक्स पार्टी फैसला कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

यह चीज सहूलियत की बात है । मैं समझता हूं कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी राय ले लूंगा लेकिन यह स्पष्ट है और यहां पर भी यह बात आई । श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने कहा तो उन को स्पष्टीकरण की मैंने इजाजत दी थी कि वह स्पष्टीकरण दे दें । उन्होंने ऐसा कर दिया लेकिन इस पर सीमा होनी चाहिये । उन्होंने स्पष्टीकरण में जो चार्ज, इत्यादि लगाये यह बात सही नहीं है । गलत बात है तो यह मानी नहीं गई और खत्म हो गई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा यह कहना है कि आपने फैसला एक्स पार्टी कर दिया । यह मामला ऐसा था कि एक एम० एल० ए० पर इतना बड़ा दबाव डाला गया ।

श्री अध्यक्ष—

किस पर दबाव डाला गया ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बख्शी जी वाला आपने अस्वीकार कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

एक बाहरी आदमी पर आपने चार्ज लगाया । मैं सत्य का पुजारी हूं । मैं चुप नहीं बैठता । मैंने हर एक आदमी से वहां पर अस्पताल में जाकर बात की और यशपाल जी से भी बात करके जानने की कोशिश की । मैं नहीं चाहता हूं कि बख्शी जी के ऊपर भी आक्षेप हो जाय और विशेषाधिकार का प्रश्न आ जाय । मैंने इसीलिये स्पष्टीकरण के मामले को खत्म कर दिया । मैं समझता हूं कि यह मामला सत्य के परे था । मैंने देखा और लोगों ने कहा कि श्री यशपाल सख्तबीमार थे । यह मुझे मालूम हुआ तो मैंने सत्य जानने की कोशिश की । मैंने इस सम्बन्ध में लोगों से पूछताछ भी कर ली है । बक्शी जो बहुत ही तपे-तपाये एक क्रान्तिकारी रहे हैं मैं यह बात नहीं समझता कि गरमा-गरमी में कोई बात सदन में हो जाय और बाद में उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया जाय, फिर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय । आप लोग सब भाई-भाई हैं, रोज एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, आपस में ऐसी बात नहीं होना चाहिये । हमको गम्भीर होकर हर एक बात को देखना चाहिये । तो कृपा करके इन बातों को बढ़ायें नहीं और आपस में प्रेम से बात चीत होनी चाहिये, हंसी होनी चाहिये और हंसी ही में सब बातों को खतम कर देना चाहिये ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय, जो बख्शी जी ने सदन को गुमराह किया और भ्रामक जांच भी कर चुके हैं....

श्री अध्यक्ष—

मैं सब बातें सुन चुका हूं, आप कृपा करके बैठिये ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यादेश और विधेयक अलग-अलग लिये जायेंगे या एक साथ लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह उसी रोज होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, यह अगर पहले से ही निश्चय हो जाय तो ठीक है, नहीं तो बाद में.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो मुझे निर्णय करना पड़ेगा कि अलग-अलग लिये जायेंगे या एक साथ लिये जायेंगे । यह दोनों दो घन्टे में ही लिये जायेंगे और दो घन्टे में समाप्त भी होने हैं ।

विद्युत् मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं जरा इसको स्पष्ट कर दूं । उत्तर प्रदेश एबसाइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश एबसाइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव अपराह्न के ३ बजे तक लिये जायं और संकल्प तथा विधेयक पर मतदान पृथक्-पृथक् हो । यह एक साथ लिये जायेंगे, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

एक साथ लियें जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह भी नहीं लिखा हुआ । उसमें कुछ भी नहीं लिखा--यह भी नहीं लिखा कि एक साथ लिये जायेंगे या पृथक्-पथक् लिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में आपको जो आपत्ति हो उस वक्त कर सकते हैं और उस पर मैं जो भी व्यवस्था होगी देखकर दे दूंगा । यह बात अभी सिद्ध नहीं हो पाई है कि एक साथ लिये जा सकते हैं या नहीं । आपको राइट है आप आपत्ति उठा सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

व्यवस्था देने के पहले हमारी बात आप सुन लें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि बड़े खेद की बात है कि रोजाना कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होती है और एक-एक दिन का प्रस्ताव सदन के सामने आता है । आप, श्रीमन्, जानते हैं कि हम लोगों को अपने कार्यक्रम बनाने होते हैं कि कहीं जाना है, आना है । यह रोजाना की एक प्रैक्टिस सी बन गई है । यह कोई उचित नहीं मालूम होती ।

श्री अध्यक्ष—

तारीख २४ तक रोज सदन होगा। २१,२२,२३ और २४ को सदन होगा। कठिनाई तो यहां भी होती है १०० प्रश्न रोज आते हैं और यहां पर १५–२० प्रश्न ही हो पाते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

जो एजेंडे पर बिल अथवा संशोधन विधेयक आते हैं उनका पता एक दिन पहले चलता है। तो दिन के दिन किसी बिल पर तैयारी करने तथा समझने में दिक्कत होती है। अगर पहले से निश्चित रूप से मालूम हो जाय तो तैयारी करने में आसानी रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

दो रोज की छुट्टी है उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। मुझे ऐसी ही कमेटी और सदन का सामना करना पड़ रहा है जहां देर लगती है, जिसके लिये मैं लाचार हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपकी बनाई हुई कमेटी है।

श्री अध्यक्ष—

आप में से ही बनाई है। आप सब को पब्लिक ने चुना है इसलिये सबकी इज्जत रखनी पड़ती है, मैंने आपको चुना नहीं है।

सर्वश्री विजयपाल सिंह तथा रामसिंह के सम्बन्ध में नवजीवन अखबार में जनसंघ से विच्छेद के सम्बन्ध में तथाकथित भ्रामक खबर छापने पर आपत्ति

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

नवजीवन समाचार पत्र आजकल एक दल विशेष का समाचार पत्र होता जा रहा है। उसमें यह खबर छपी थी कि विजयपाल सिंह तथा राम सिंह ने अपने दल जनसंघ से संबंध विच्छेद कर लिया है जो भ्रामक तथा गलत थी। इसमें सदन का अपमान है। या तो अखबार क्षमा मांगे अथवा उसके खिलाफ कुछ अन्य कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री निन्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

विजयपाल सिंह तथा राम सिंह ने कल शाम आपके पास इस संबंध में विशेषाधिकार की सूचना भेजी थी ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास अभी नहीं आई है।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन का कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित कार्यक्रम से सहमत है।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वाराणसी में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यालय पर हमले के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री वीरेंद्र वर्मा)—

उपलब्ध सूचना के अनुसार घटना इस प्रकार है कि दिनांक १२-१२-७० को लगभग एक दर्जन नवयुवक वाराणसी के कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यालय के पास एकत्रित हुए । उनमें से कुछ व्यक्ति दरवाजे की कुंडी तोड़ कर कार्यालय में घुस गये । उन्होंने कार्यालय में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के विदेशी नेताओं के चित्रों को तथा दीवाल घड़ी को नुकसान पहुंचाया । यह भी आरोप किया जाता है कि वे लोग कार्यालय के अभिलेख पार्टी का साहित्य तथा एक कैश बाक्स उठा ले गये । वापस जाते समय वे दमन सेना जिन्दाबद "माओत्से तुंग मुर्दाबाद" तथा "चीन के दलाल मुर्दाबाद" जैसे नारे लगाते हुये चले गये । बाद में गोधूलिया के निकट उन्होंने कुछ कागज और माओत्से तुंग की प्रतिमा को जला दिया तथा उसके बाद वे तितर-बितर हो गये ।

इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है । स्थिति पर निगाह रखी जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इसमें एक नया शब्द आया है "दमन सेना" । इसे बतला दें कि यह क्या है और प्रदेश में किन-किन स्थानों पर यह स्थापित है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने भी नया नाम सुना है । दमन सेना वाराणसी में बना रखी होगी । मेरी जानकारी में तो प्रदेश में कहां है मुझे पता नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस दमन सेना का गठन, देश द्रोहियों के सफाये के लिये हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

नक्सलपंथियों के लिये हुआ है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

वित्त राज्य मन्त्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसिंह खन्ना—

मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०८३-१०९० पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०

आबकारी मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन में पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हिम्मत सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०९१-१०९३ पर)

उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण जो कि पूरे पर्वतीय और बुन्देलखंड के विधायकों को बुलाया गया है तो मैं चाहता हूं कि इसमें सरकारी पक्ष भी आ जाना चाहिये ताकि उन लोगों को आसानी हो . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं डा० हरिप्रसाद शाही को बुलाया है । जो चर्चा चल रही थी उसमें वही बोल रहे थे ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, पिछले सत्र में हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे और वह प्रस्ताव इस प्रकार था---उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर उपलब्ध करें जिस आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है । श्रीमन्, इस प्रस्ताव के दो मुख्य भाग हैं । पहला भाग तो यह है कि केन्द्रीय वित्त आयोग ने किस आधार पर उत्तर प्रदेश को अनुदान दिया है और दूसरा भाग यह है कि कौन-कौन से पिछड़े भू-भाग हैं जिनको कि उसी आधार पर अनुदान देना है । अब मैं पहले मुद्दे पर विचार प्रकट करता हूं । पिछल वित्त आयोग का वितरण आधार पहला इम्बेस्मेंट आन ह्यूमेन रिसोर्सेज था विनियोजन मानव संसाधन के ऊपर किया जायगा ।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये)

दूसरा यह था कि जो भी हमारी कल्याणकारी संस्थाये हैं उनके रख-रखाव के लिये भी अनुदान दिया जायेगा और तीसरा जो कि एक वृहद विचार था उसको हम वास्तव में इन्फ्रा स्ट्रक्चर के नाम से पुकारते हैं । पिछली बार भी अनुदान सड़कों और बिजली के ऊपर

---

† २९ अप्रैल, १९७० की कार्यवाही से ।

दिया गया था और हमारी जो कल्याणकारी संस्थायें हैं उनके रख रखाव के लिये भी अनुदान देते थे। लेकिन जब इस बार पांचवें वित्त आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया तो पिछली पृष्ठ भूमि को सामने रखते हुए तीन और मदों के अनुसार प्रदेशों को अनुदान देने की सिफारिश की। आयोग ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर इस बार अनुदान दिया जाय। यह बहुत बड़ी बात हुई। पिछड़े हुए भू-भागों को जन संख्या के आधार पर किस प्रकार से दिया जाय, यह बात आयोग ने रखी। दूसरी बात उन्होंने यह रखी कि पिछड़े हुये भू-भागों कुछ ऐसे भी भू-भाग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी कम है। इसलिय उसको भी उन्होंने एक आधार माना। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि कुछ जातियां पिछड़ी हुई हैं जैसे आदिवासी हैं। उनकी जनसंख्या प्रदेश में डेढ़ करोड़ के करीब है। इस पर भी अनुदान देते समय विचार किया जायगा। इन आधारों को मान कर आयोग ने ६० फीसदी जन संख्या के आधार पर दिया। १० फीसदी पिछड़े हुये भू-भागों को देंगे। उसके भी सूचकांक हैं, उनके अनुसार विचार किया जायगा।

आज हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि हम किस प्रकार से पिछड़े हुय भू-भागों को लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिये सूचकांक के आधार पर यह विचार किया गया कि कौन-सा भू-भाग पिछड़ा हुआ माना जाय। तीसरा १० प्रतिशत रखा गया पिछड़ी हुई जातियों जैसे आदिवासियों या शैड्यूल्ड कास्ट के लिए इन आधारों पर सहायता देना स्वीकार किया गया है। हमारा कहना यह है कि इन्हीं आधारों को मान कर हमारी प्रदेशीय सरकार को भी सहायता देनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। उसने यह तय किया था कि पिछड़े हुए भू-भागों में वे भाग आते हैं, जैसे पहाड़ी स्थान हैं, रेगिस्तान हैं या जहां पर सूखा और बाढ़ दोनों का प्रकोप होता रहता है। इन भू-भागों को पिछड़ा हुआ माना जा सकता है। ऐसे भी भू-भाग हैं जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, उनको भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। जहां तक जनसंख्या की बात है १९६१ की मत गणना के अनुसार पूर्वांचल की आबादी करीब साढ़े तीन करोड़ है जो अब हमारा ख्याल है साढ़े चार करोड़ हो गयी होगी। अगर विस्तार से देखा जाय तो इसमें कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनमें एक वर्ग मील में १ हजार से १४०० व्यक्ति तक रहते हैं। चार जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी ८०० से लेकर १ हजार प्रति वर्गमील होगी। मिर्जापुर का कुछ भाग ऐसा है जहां की आबादी ३०० व्यक्ति प्रति वर्गमील होगी। अतः इसके पहले कि हम अनुदान के दिये जाने पर विचार करें हमें दूसरे पहलू पर विचार करना आवश्यक है। उसके लिये पहले हमें पूर्वांचल की भौगोलिक स्थिति को जानना होगा। गंगा का जो प्लेन कानपुर से लेकर पटना तक है मध्यवर्ती समझा जाता है। कानपुर से ऊपर का जो गंगा का प्लेन है वह अपर गंगा कहलाता है और कानपुर से पटना तक का भाग मध्य गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। पटना से कलकत्ता तक के भू-भाग को लोअर गंगा कहते हैं इस भाग में कुछ खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं, जिनके आधार पर छोटे और बड़े उद्योग धंधे लगाये जा सकते हैं। अपर गंगा प्लेन की स्थिति है जहां पर उद्योगों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इसके मध्य का भाग है जिसको हम कानपुर से लेकर पटना तक मानते हैं। उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिसको हम पूर्वी प्रदेश कहते हैं। यह ऐसा भू-भाग है जो पिछड़ा हुआ है। इसमें ऐसी स्थिति है जहां पर अधिकतर लोग खेती पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आबादी के ९५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्वाह करते हैं ऐसे भी भू-खंड हैं।

इस भू-भाग के ५३ फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। ३९ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती के लिये बिलकुल जमीन है ही नहीं। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि सीलिंग होने के पश्चात् भी ऐसे लोग हैं ऐसे परिवार हैं जिनके पास १३ हजार एकड़ जमीन है। इसका अध्ययन हुआ है। कुछ परिवार गोरखपुर में हैं जिनके पास आज भी हजारों एकड़ भूमि प्रति परिवार जोत में है।

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

ऐसी परिस्थिति है । इसके सामाजिक ढांचे को देखें नीचे के ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी खेती पर निर्वाह करते हैं । थोड़े से बड़े लोग हैं । उद्योग धंधे हैं नहीं । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वांचल में एक लाख आदमी के ऊपर १५ मील तो पक्की सड़क और केवल एक मील कच्ची सड़क है । पक्की सड़कें कुछ जरूर हैं लेकिन वे इतिहासिक दृष्टि से बनी हैं । कच्ची-कच्ची सड़कें जहां गांव बसे हुये हैं, एक गांव धे दूसरे गांव को मिलाने का प्रश्न है वहां एक लाख आदमी के लिये केवल एक मील कच्ची सड़क पड़ती है। एक लाख आदमी के ऊपर यहां अस्पतालों में ३१ शैय्यायें पड़ती हैं जब कि प्रदेश के दूसरे हिस्से में ४६ पड़ती हैं ।

हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा भू-भाग है जिसको हम पिछड़ा हुआ मानते हैं । ठीक इसी तरह से यदि आप अध्ययन करेंगे तो बुन्देलखंड की वही स्थिति है, पहाड़ों की भी वही स्थिति है । इस प्रदेश में कुछ ऐसे खंड हैं, १५ जिले पूर्वांचल के, ८ जिले पहाड़ के और ४ जिले बुंदेलखंड के हैं, जिनको पिछड़ा हुआ भू-भाग स्वीकार किया गया है फिर भी क्या योजना बनाते समय उसी आधार पर इन पिछड़े हुये भू-भागों को धनराशि उपलब्ध की जाती है जिस आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग ने प्रदेश को धन उपलब्ध किया है ? नहीं।

यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हुआ । पिछड़े क्षेत्र की उपेक्षा हुई है । पहली योजना में जो खर्च किया गया वह १४ रुपया एक आदमी पर पड़ा था लेकिन पूर्वांचल के लिये वह ९ रुपया पड़ा था ।

दूसरी योजना में जहां प्रदेश में १८ रुपया प्रति व्यक्ति परिव्यय आया था वहां इस भू-भाग के लिये १३ रुपया आया था । हम देखते है कि कि पूर्वांचल में पहली और दूसरी योजना काल में बहुत कम परिव्यय हुआ । हम यह मानते हैं कि योजना में हमारे उत्तर प्रदेश को कम मिला था लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल को उससे भी कम मिला था । वहां पर ९ रुपया और १३ रुपया के हिसाब से परिव्यय हुआ इससे स्थिति क्या हुई ? हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कुछ अधिक मिलना चाहिये था लेकिन जो धन हमको इन योजनाओं के काल में दिया गया, जो धन हमको विकास के लिये दिया गया उससे तीन फल निकले—पहला फल यह निकला कि हमारे यहां कोई आर्गनाइज्ड इंडस्ट्री तो थी नहीं । एक चीनी मिल है जिसके बारे में यहां पर विचार प्रकट हो चुके हैं उस इंडस्ट्री के विकास के लिये यह देखा गया कि जो धन प्राप्त हुआ वह थोड़े से आदमियों के पास रह गया । इस उद्योग का कोई विशेष विकास तो इस क्षेत्र में हो नहीं पाया ।

कृषि के क्षेत्र को देखा जाय तो उसके लिये भी पहली, दूसरी और तीसरी योजना में जो भी धन उपलब्ध हुआ वह छोटे खेतिहरों को प्राप्त नहीं हो सका । बड़े खेती करने वालों को उससे लाभ मिला । यह हुआ कि सिंचाई के साधन मिले हैं, बीज के साधन मिले हैं और ट्रैक्टर के साधन भी मिले हैं लेकिन छोटी जोतवाला काश्तकार उससे लाभान्वित नहीं हो सका है । कहने का तात्पर्य यह है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत यह दो भागों में बंट गया । जो छोटी जोत पर काम करने वाले थे वह उतने ही पर रह गये और जो बड़े खेत वाले थे वे और बड़े खेत वाले हो गये । जो पिछड़े हुये थे वह पिछड़े रह गये जितना विकास उसका होना चाहिये था उतना विकास उनका नहीं हुआ । इसलिये जो भी योजना बने और जो भी धन उपलब्ध कराया जाय उससे कम से कम यह दो बातें पैदा नहीं होनी चाहिये कि बड़ी खेती वाले उससे अधिक लाभ उठायें और जो पिछड़े हुये हैं उनको कोई लाभ विशेष उसमें न मिले । आपने इस चौथी योजना में पूर्वांचल के लिये २२० करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । उस प्राविधान में पूरे ५ वर्ष में ५ करोड़ रुपया इसलिये रखा गया है कि हम छोटे-छोटे लघु उद्योग बढ़ा सकें । मान्यवर, पूर्वांचल को ऊंचे उठाने की बात है, अगर आप यह मानते हैं कि वहां

पर बाढ़ है, सूखा है और कभी-कभी ऐसे वर्ष भी आते हैं कि जब बाढ़ और सूखा दोनों होता है जो जैसे हमारा शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो लेकिन यदि प्लेग लग जाय, कोई एपडेमिक आ जाय तो साल भर में जो शरीर बनाया है वह ४ दिन के अन्दर ऐसी बीमारी में अस्वस्थ हो जाता है ठीक इसी प्रकार से पूर्वांचल की ऐसी स्थिति है कि जहां पर अगर कोई सुविधा उपलब्ध भी हो जाय तो वह सारी सुविधा सूखे और बाढ़ के कारण साफ हो जाती है। हम यह बात इसलिये कहना चाहते हैं कि यदि आप पूर्वांचल को, पहाड़ी क्षेत्र को या बुन्देलखंड के क्षेत्र को चाहते हैं कि यह क्षेत्र धनधान्यपूर्ण बनें, उन्नतिशील हों तो उनको धन तो ठीक तौर से दिया ही जाय और उसके साथ ही साथ आप को वहां के लिये एक विशेष प्रकार की अलग-अलग योजनायें भी बनानी पड़ेंगी।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब योजनायें बनती हैं और उनके लिये धनराशि का वितरण होता है तो नक्शा इस तरह से बनता है कि इतना धन कृषि के लिये दे दो, इतना बीज के लिये दे दो और इतना पशुपालन के लिये दे दो, इस तरह से घिसे-पिटे रास्ते पर धन का केवल बंटवारा कर दिया जाता है और वहां के उद्योग और लघु उद्योगों के संबंध में कुछ भी नहीं सोचा जाता। अब थोड़ा-सा बिजली के लिये और यातायात के लिये दिया जाता है, यह ठीक है लेकिन पूर्वांचल की जो समस्या है वह एक अलग समस्या है और उस का हल निकाला जाना चाहिये और उसके द्वारा जो एक असन्तुलन है वह दूर किया जाना चाहिये। वहां पर भूमि पर आबादी का इतना भारी बोझ है कि इस प्रकार से छोटी-छोटी धनराशि से या हल्की छोटी योजनाओं से वहां का यह भूमि पर का अधिक भार दूर नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में मैं केवल २ सुझाव आप के सम्मुख रखूंगा। एक तो हमारा यह पूर्व का उपखंड है और एक हमारे प्रदेश का वह भाग है जो पहाड़ के चरणों को चूमता है, वह ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर अब भी आबादी कम है और जहां पर कालोनाइजेशन की स्कीम लाई जा सकती है, जहां आबादी छितरी हुई है उस को बढ़ाया जा सकता है, वहां पर सड़कों की और बिजली आदि की सुविधायें दी जा सकती हैं, खेती की साज-सज्जा अधिक वहां उपलब्ध कराई जा सकती है। मेरा कहना है कि वहां पर आप अधिक निवेश अर्थात् इनपुट्स का प्राविधान कर सकते हैं और वहां के खाली भू-भाग को बसाया जा सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपने प्रदेश को उठाना चाहते हैं तो पूर्वांचल के लिये आपको लेबर इनटेंसिव स्कीम्स लानी होंगी जबकि बुन्देलखंड के लिये आप को कैपिटल इनटेंसिव लाना होगा ताकि वहां के लोग अपना जीवन यापन कर सकें। यदि आप उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें तो उस में ऐसे भी भू-भाग हैं जहां पर उद्योग बढ़ाया जा सकता है, कुछ माडल प्वाइंट्स या केन्द्रों को आप को निर्धारित करना होगा जहां कि उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। मिर्जापुर में चुनार, बनारस में भदोही, और मुगलसराय तक और मऊ या गोरखपुर में चौरी-चौरा, पडरौना, अयोध्या से फैजाबाद की बेल्ट खलीलाबाद ऐसे स्थान हैं कि जहां पर काफी उद्योग की स्थापना हो सकती है। इस तरह से इस पूरे अंचल में एक उद्योग का जाल बिछा दें और केवल १५–२० ऐसे केन्द्र इन वाइटल प्वाइंट्स पर स्थापित कर दें और यह कार्य हम डेढ़ २ करोड़ की एक योजना लाकर कर सकते हैं और बाद में आवश्यकता होने पर उस को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम खेतों पर से लोगों को निकाल कर उद्योग की तरफ ला सकते हैं। इससे न केवल वहां की बेकारी ही दूर होगी बल्कि वहां एक ऐसा समन्वय स्थापित होगा कि एक ओर तो वहां के लोग उद्योग में लगेंगे और दूसरी तरह खेती पर से बोझ भी हल्का होगा और साथ ही उस पूरे क्षेत्र का विकास भी सम्भव होगा। इसी तरफ से हमें बुन्देलखंड के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी अलग-अलग योजनायें बनानी होंगी और तभी हम इस असंतुलन को दूर कर पायेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी आज तक की पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा न केवल यहां के लोगों की आय के अन्तर को ही दूर कर पाये बल्कि इन अंचलों का अन्तर आज भी मौजूद है। विकसित जो क्षेत्र थे वह और विकसित हो गये और जो पिछड़े अंचल थे वे और पिछड़ गये। उनका उत्थान नहीं हो सका जो होना चाहिये था। इस तरफ भी हमें

[डाक्टर हरि प्रसाद शाही]

और शासन को विचार करना होगा । वही किस्सा है कि जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है । यह इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में अगर अंचलों का विवाद उठ खड़ा हुआ जैसे पूर्वी अंचल, पहाड़ी अंचल या बुंदेलखंड तो इसका असर बड़ा बुरा होगा। इस प्रदेश में कुछ ऐसे अंग हैं, जो विकसित होते गये और इन भू-भागों ने पिछड़े हुये भू-भागों का शोषण किया है और करेंगे। क्या कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग आज एक अलग हिल स्टेट बनाने की बात सोचते हैं क्योंकि वे पिछड़े हुये हैं और वे यह देखते हैं कि १५ वर्ष में जो धनराशि मिली है या तो वह कम मिली है और या उसका दुरुपयोग हुआ है । इसी प्रकार से पूर्वी अंचल वालों के दिलों में भी तेलंगाना वाली स्थिति पैदा हो गयी है और अगर यही स्थिति रही तो यह आग भड़क सकती है और इस ४ करोड़ वाले अंचल में फैल सकती है । इसलिये मैं समझता हूं कि वहां पर आर्थिक असंतुलन ही नहीं बल्कि राजनीतिक असंतुलन भी है । जो पिछड़े हुये भाग हैं, वे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़े हुये हैं ।

श्रीमन्, आज की राजनीतिक स्थिति क्या है, आप विचार कर लें । कितने लोग सत्ता में कहां के हैं ? आज राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण कहां पर हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह राजनीतिक शक्ति इन पिछड़े हुए भू-भागों को भी दी गयी है ? यहां पर अगर आप विश्लेषण करें तो आप पायेंगे कि ये पिछड़े हुये भाग राजनीतिक सत्ता में भी कमजोर हैं। वहां पर राजनीतिक सत्ता का वितरण भी ठीक नहीं हुआ । हमारे नेतागणों को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक सत्ता का वितरण हो ताकि इस प्रदेश में जो असंतुलन बढ़ रहा है, वह कम हो । श्रीमन्, इस प्रदेश में यह आसान काम नहीं है क्योंकि १९८१ में इस प्रदेश की जनसंख्या करीब १२ करोड़ हो जायगी, ऐसा अनुमान है। अगर १२ करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश होता है, तो यह इतना बड़ा भू-भाग हो जायगा, इसका इतना बड़ा आकार हो जायगा तो यह आवयक हो जाता है कि जैसे बड़े शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है तो उसको काटने की जरूरत पड़ेगी, उसी प्रकार से इस हिस्से को प्रदेश से कटने को रोकने का उत्तरदायित्व हमारे नेताओं का है, उन नेताओं का है जो शासन में हैं, और जो इस प्रदेश के कार्य का संचालन कर रहे हैं और प्रदेश के विकास में लगे हुये हैं और बड़ी अच्छी तरह से लगे हुये हैं । तो उनको भी यह सोचना होगा कि किस प्रकार से ऐसी सत्ता का सन्तुलित विकेंद्रीकरण करें जिससे एक वातावरण पैदा हो जाय और इस प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान कर सकें । चाहे सांस्कृतिक, चाहे आर्थिक, चाहे वह राजनीतिक विभाजन हो, बुरा है और इसी प्रकार भौगोलिक विभाजन की भी बात है। पर मानसिक विभाजन तो भौगोलिक विभाजन से भी बुरा है । जिस दिन हम एक दूसरे से अलग सोचने लगेंगे और हमारे विचार और बौद्धिक शक्तियां दूसरी ओर चलेंगी और विचार बिगड़ जायेंगे तब विभाजन हो जायगा, तब कोई रोक नहीं सकता है। विभाजन चाहे वह पूर्वी अंचल का हो चाहे, वह पहाड़ी इलाके का हो और चाहे वह बुन्देलखंड का हो, इस प्रदेश के लिये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति होगी।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अब दो-तीन मिनट और देने की कृपा करें । अन्त में इतना ही कहना चाहते हैं कि आज ऐसी स्थिति है जिस स्थिति का विवरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं यह चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव रक्खा गया है, बहुत ही सोच विचार कर रक्खा गया है और उसमें यह कहा गया है कि जो धनराशि चाहे वह धनराशि वित्त कमीशन की सिफारिश पर मिलती हो, या योजना के अन्दर भी जो धनराशि प्राप्त होती है उसका वितरण इस प्रकार से किया जाय जिससे हमारे जो पिछड़े हुये भू-भाग हैं वे उठ खड़े हों । इसको आप छोड़ नहीं सकते । छोड़ने की बात भी हो जाये तो वह चल नहीं सकती। एक बात की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिरकार आपने यह निश्चय किया है कि हम योजना को चलायें। हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों की तो बिता चुके हैं तृतीय

वर्ष ७१–७२ का हमारे सामने है। हम अपने मुख्य मंत्री का इस माने में स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश के लोगों का और हम सब लोगों का ध्यान इन पिछड़े भू-भागों की तरफ आकर्षित किया। इन अंचलों को किसी न किसी प्रकार से ऐसी स्थिति में ला दिया जाय जिससे यह न मालूम हो कि यह प्रदेश का पिछड़ा हुआ भू-भाग है। इनका एक पैर लंगड़ा है, ऐसी स्थिति न हो। इसलिय उन्होंने पूर्वी जिलों क विधायकों का, पार्लियामेण्ट के सदस्यों का सम्मेलन किया। उन्होंने बुन्देलखंड के लोगों का सम्मेलन किया और पहाड़ के लोगों का भी सम्मेलन करने वाले होंगे। हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि यह सदन उनको बल दे।

अन्ततोगत्वा, सोचना पड़ेगा कि यह सदन सर्वसत्तावान है। यह सदन, सरकार में काम करने वाले और उनके साथ जो कर्मचारी हैं, ये तीन अंग हैं। हमारे इस सदन में और यह सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनमें कोई अन्तर नहीं रहना चाहिये। लेकिन मालूम होता है कि अन्तर है। हम यह तो नहीं चाहते कि एक कान से सुना जाय और दूसरे कान से निकाल दिया जाय। उसे पोथियों में रख दिया जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारे इस सदन का और इस सदन के बहुमत द्वारा नियुक्त मिनिस्टर्स में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। हम तो जनता की "विल" को रेप्रेजेण्ट करते हैं। हम उनकी इच्छाओं के प्रतीक माने जाते हैं। हमारी इच्छायें ऐसी हो सकती हैं जिनकी परिधि बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हो और उसको सृजन करने का जो कार्य हमने मंत्रियों को दे दिया है वह उसको सृजन करने में कमजोर पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम उससे दूर हों। यह भी बात कही जाती है कि हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें शिथिलता आ गई है। उनमें कुछ असुविधायें हो सकती हैं क्षेत्र के या प्रदेश के बड़ा आकार होने के कारण। लेकिन शिथिलता हो यह हम सहन नहीं कर सकते। ये जो जनता के चुने हुये लोग आते हैं वे असुविधाओं को दूर करने की बात सोच सकते हैं। उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा सकते हैं, मोटर दे सकते हैं लेकिन उनमें अगर शिथिलता है तो इस शिथिलता को दूर करने का दायित्व किस पर है? इन मिनिस्टर लोगों को हमने चुना है, अतः यह इनका काम है कि वे शिथिलता को दूर करें। आप चाहे कितनी ही योजनायें क्यों न बनायें, कितनी ही प्राथमिकता उस क्षेत्र के लिये क्यों न दे दें, जब तक आपकी बनायी हुई योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसमें शिथिलता आ गयी तो आपकी इच्छायें कभी पूरी नहीं हो पायेंगी। मैं मान्यवर, आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया अपने विचार प्रगट करने का। मुझे आशा है यह सदन इस प्रस्ताव को अवश्य पारित करेगा।

*श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय इन्द्रमणि जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार प्रगट करने अवसर दिया। गोरखपुर के विधायक माननीय शाही जी ने पूर्वी जिलों के बारे में विस्तार के साथ बहुत सी बातों को सदन के सामने रखा है। सरकार को उस पर विचार करना चाहिये। मान्यवर, केन्द्र ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने के लिये ५२३ करोड़ रुपया दिया है। प्रश्न यह है कि यह सरकार उसको किस तरह से खर्च करे। इस संकल्प द्वारा यह मांग की गयी है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये इलाकों पर उसी प्रकार धन खर्च करे जिस प्रकार से केन्द्र ने उसको सहायता दी है। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी जिले, पहाड़ी जिले, झांसी का इलाका और बुन्देलखंड के कुछ जिले विशेष रूप से पिछड़े हुये हैं। अतः उत्तर प्रदेश सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन पिछड़े हुये इलाकों पर धन उसी अनुपात में खर्च करे जिस अनुपात से केंद्र ने उत्तर प्रदेश को धन दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगर नाथ]

मान्यवर, देखना यह है कि जो जिले उत्तर प्रदेश के बहुत पिछड़े हुये हैं वे इतने पिछड़े हुये आजादी के २३ वर्ष के बाद भी रह क्यों गये ? अपने प्रदेश की तरक्की के लिये काफी धन व्यय किया गया । इसमें कोई संदेह नहीं कि इन वर्षों में देश और प्रदेश आगे बढ़ा है । यातायात के साधन भी बढ़े, सड़कें भी बढ़ीं, सिंचाई के साधन भी बढ़े । परन्तु, फिर भी, खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के कुछ जिले काफी पिछड़े हुये रह गये । वहां बिलकुल भी तरक्की नहीं हुई । मेरा ऐसा विचार है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही पानी, खाद, बिजली आदि की व्यवस्था की गयी, जब कि दूसरे हिस्सों में इन सब का इन्तजाम नहीं किया गया जिसके कारण वे हिस्से आगे नहीं बढ़ पाये । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इन पिछड़े हुये इलाकों के लिये भी अगर पानी, खाद, बिजली आदि की व्यवस्था हो गयी होती तो वे हिस्से भी आगे बढ़े होते ।

मान्यवर, पिछले सरकार में सिंचाई विभाग का उपमंत्री होने के नाते मुझे कुछ दिन प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला और मैंने पश्चिमी और पूर्वी जिलों का दौरा किया और यह महसूस किया पूर्वी इलाके इसलिये पिछड़े हुये हैं कि वहां के लिये सिंचाई, खाद और बिजली व सड़क आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । खास तौर से मैं सिंचाई के संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । जब पिछले साल ट्यूब वेल का बंटवारा किया गया, उस समय जो लिस्ट मेरे सामने लाई गई थी, उसमें मैंने बहुत गौर से देखा तो पाया प्रदेश के कुछ ऐसे जिले मिले जहां ६००–७०० ट्यूब वेल लग चुके हैं और पूर्व में कुछ जिले ऐसे मिले हैं, जहां दो सौ, ढाई सौ और पौने दो सौ ट्यूब वेल केवल लगे हुए मिले हैं । बलिया जिले में केवल २१२ ट्यूब वेल लगे हुये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो क्या यह जिले पिछड़े नहीं रहेंगे ? उस समय मैंने मंत्री जी के सामने सब बातों को रखा और वर्मा जी को बताया कि उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि पूर्वी जिलों के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया । मैंने मंत्री और अधिकारियों के सामने कुछ सुझाव रखे और उनसे कहा कि मंत्री जी स्वयं पूर्वी जिलों का दौरा कर लें और मैं पश्चिमी जिलों का दौरा कर लूं । उस दौरे के परिणामस्वरूप यदि पश्चिमी जिले में अत्यधिक ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था पाई जाये तो पश्चिमी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था ठप कर दी जाये और यदि पूर्वी जिलों में ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था पाई जाये तो पूर्वी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था ठप कर दी जाये । यदि पश्चिमी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत अधिक है तो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कुछ समय के लिए ठप करना उचित ही होगा और सारी शक्ति पूर्वी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था का प्रसार करने के लिये लगा दी जाये । तब सही समाजवाद आएगा ।

पश्चिमी जिलों का दौरा करने पर मैंने देखा कि वहां नहरों का जाल बिछा हुआ है और जगह-जगह काफी तादाद में ट्यूबवैल लगे हुये हैं । वहां के लोग आराम से इतमीनान से खेतों की सिंचाई करते हैं, और इसीलिये उनका कृषि उत्पादन हम से ज्यादा है। उनकी अच्छी पैदावार का यही कारण है । बलिया, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जिले गरीब इसलिये हैं कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहां का किसान पैदावार करने में पिछड़ा हुआ है । मैं बलिया जिले की बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं वहां सिंचाई का एक मात्र सहारा है, घाघरा के किनारे तुर्तीपार जो सिंचाई की व्यवस्था है, वह बलिया आजमगढ़ के लिए बनी हुई है । जिससे १५ दिन आजमगढ़ को और १५ दिन बलिया जिले को पानी मिलता है । जब बलिया की फसल सूखती है तो बलिया को पानी चला जाता है और आजमगढ़ की सिंचाई रुक जाती है और जब आजमगढ़ की फसल सूखती है तो पानी वहां के लिए छोड़ दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि बलिया में सिंचाई के बिना फसल को नुक्सान होने लगता है । इस तरह से किसान बराबर अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाता है । इसलिये उसकी पैदावार कम है और वहां के लोग पिछड़े हुये

कहे जाते हैं । अतः मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर और मेरठ को प्राप्त सिंचाई की सुविधायें, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर आदि जिलों के लिये उपलब्ध करा दी जायें तो पूर्वी जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर से कहीं ज्यादा अन्न का उत्पादन करके दिखा देंगे और उनसे किसी भी दशा में पीछे नहीं रहेंगे । हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहा करते थे कि पूर्वी जिले का किसान मेहनत नहीं करता है । मैं कहना चाहता हूं कि कमजोरी हम में नहीं है, बल्कि आपने हमें साधन न देकर इतना कमजोर बना दिया है कि हम किस चीज पर मेहनत करें । आप हमें ट्यूबवेल नहीं देते, नहरें नहीं देते, तो क्या हम पहाड़ पर और पाताल में मेहनत करें ।

मान्यवर, यह पूर्वी जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर से किसी माने में कम नहीं हैं, यदि वह सुविधा हमें भी मिले, तो हम इतना पैदा करेंगे कि हम उनकी भी मांग को पूरा कर देंगे । वे आज कहते हैं कि तुम काहिल और आलसी हो और हमारी कमाई खाते हो । हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपकी दया पर कतई जीवित नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आपके बराबर पैदा करके आपको देना चाहते हैं । पूर्वी जिलों में सिचाई की व्यवस्था नहीं के बराबर है । सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था का अन्दाजा कर ले । पूर्वी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था नही के बराबर है । इसलिए पश्चिमी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था कुछ ठप करे और पूर्वी जिलों में सिंचाई व्यवस्था बढ़ाये तब आगे बढ़े । वैसे वर्मा जी बहुत अच्छे मिनिस्टर रहे । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं । पूर्वी जिलों की खाता बही को जब हमने वर्मा जी को दिखलाया तो उन्होंने महसूस किया । बलिया जिले में केवल १० ट्यूबवेल दिये गये थे । पता नहीं ट्यूबवेल बनाने की योजना कैसे तैयार की थी । लेकिन जब वर्मा जी को सही नक्शा समझा दिया तो उन्होंने पूर्वी जिलों का कोटा जरूर बढ़ाया । बलिया में १० ट्यूबवेल के बजाय ३८ ट्यूबवेल कर दिये । आपने पूर्वी जिलों का दौरा करके जैसा देखा है, मंत्रिमंडल में सिंचाई व्यवस्था पर विचार हो तो इस प्रश्न पर जरूर चर्चा करें । २३ वर्षों तक पूर्वी जिलों की उपेक्षा हुई है । मैं चाहूंगा कि जो हिस्सा पूर्वी जिलों का पड़ा है उस मद से काट कर उसे पूरा करने की कृपा करें । यह मैं आपसे उम्मीद रखता हूं ।

प्रदेशीय सरकार ने प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने के लिये कुछ सहायता की व्यवस्था की । यह बड़ी अच्छी स्कीम थी । इससे काश्तकारों ने काफी लाभ उठाया है । किन्तु इसमें कुछ दिक्कतें हैं । हर प्राइवेट ट्यूबवेल पर १२० रुपया प्रति हार्स पावर सरकार को अनिवार्य रूप से देना पड़ता है । किसान पर यह प्रतिबन्ध लग गया । परन्तु बिजली के विभाग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा कि समय पर किसान को पानी देना होगा । आज किसान १२० रुपये प्रति पावर देने के लिए बाध्य है । लेकिन आप की बिजली चार-चार दिन तक गायब है और किसान सिंचाई के लिए पानी चाहता है । आप के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसान की इच्छा के मुताबिक पानी दें । यदि आप समय पर किसान को पानी नहीं देते तो हमसे क्यों बांड करते हैं कि हम १२० रुपये आपको रेट दें । जिस तरह से आपने किसान को मजबूर किया है उसी तरह से आप बिजली विभाग को मजबूर करें कि वह किसान को समय पर पानी दे । यदि नहीं करते हैं तो यह प्रतिबन्ध किसान पर से भी हटा लेना चाहिये । किसान जितने यूनिट पानी लेगा उतने यूनिट का पैसा देगा । सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे ।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ इन जिलों में लिफ्ट इरीगेशन योजना चालू की जा सकती है । बलिया जिले में उत्तरी छोर में घाघरा और दक्षिणी छोर में गंगा बहती है । वहां लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं । घाघरा में तुरतीपार में और गंगा में कोरंटाडीह में लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं । इसके अलावा, बस्ती में ट्यूबवेल दे सकते हैं । फिर मुजफ्फरनगर और मेरठ के मुकाबले आने दीजिये । हम

[श्री जगर नाथ]

आपसे कमजोर नहीं हैं। आपने व्यवस्था हीन बना कर कमजोर बना दिया है। आप सारी व्यवस्था ले कर मजबूत हो गये।

आप हमारे साथ न्याय करें। वर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पूर्वी जिलों में जो सिंचाई की व्यवस्था में कमियां रह गयी हैं इनको दूर कराने में हमारी मदद करें।

दूसरी बात श्रीमन् में यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद और सिंचाई के रेट कम करने पर भी सरकार विचार करे। वैसे तो सरकार प्रोत्साहन किसानों को ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करने का देती है लेकिन उसके लिये जिस सामान की हमें आवश्यकता है उसकी कीमत सरकार दिन प्रति दिन बढ़ाती चली जा रही है। चाहे नहर का पानी हो या ट्यूबवल का पानी हो, पानी का रेट बढ़ रहा है खाद की कीमत बढ़ रही है। तो इस तरह से किसान को बड़ा मंहगा सामान मिलता है। लेकिन जब किसान के हाथ में गल्ला आता है तो उस का रेट घट जाता है। तो खर्चा और आमदनी का अनुपात लगाया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप खेती के लिये पानी बिजली और खाद का रेट कम कीजिये। इससे किसान के मन में पैदावार बढ़ाने की तरफ उत्साह पैदा होगा। मेरे भाई नाराज न हों। ६ १/४ एकड़ तक लगान की माफी की तरफ बड़ी तेजी दिखलाई गई। मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन इससे पहले भी यह होना चहिये था कि किसानों को साधन मुहइया किये जायं।

श्रीमन् मैं थोड़ा समय और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बहुत समय बोलते हो गया है।

श्री जगरनाथ—

मैं किसान का बेटा हूं इसलिये मैं महसूस करता हूं कि उसके लिये क्या-क्या जरूरी है। ६ १/४ एकड़ लगान माफी की उसको जरूरत नहीं थी बल्कि उसको तो खाद, पानी और बिजली का रेट कम होने की जरूरत थी। आप गांवों में किसी से भी जाकर पूछें कि क्या वह ६ १/४ एकड़ तक के लगान की माफी चाहता है तो वह कहता है कि वह ऐसा नहीं चाहता है। मैं यह व्यक्तिगत राय दे रहा हूं। तो आज पानी, बिजली और खाद का रेट कम करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि पूर्वी जिलों में पश्चिमी जिलों के समान सड़कों का जाल नहीं है। जब गल्ला बाजार में ले जाने की बात आती है तो उनके लिये रास्ते नहीं हैं और उसको घोड़े और गधों पर सामान ले जाना पड़ता है। तो इस पर काफी व्यय बैठता है और उसको आमदनी भी काफी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गांवों से निकट के बाजार तक सामान ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि किसानों को उचित कीमत मिल सके।

साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान शिक्षा विभाग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आज खेती ऐसी है कि पहले जैसा अनपढ़ आदमी उसको ठीक से नहीं कर सकता है। जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं वही यह ठीक से जान सकते हैं कि इसमें कितनी खाद देनी चाहिये, कितना पानी देना चाहिये। इसके लिये पढ़े-लिखे योग्य किसान की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के मामले में भी पूर्वी जिलों में बहुत कमी है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे ताकि पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें।

मान्यवर, आप समय नहीं देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जो थोड़े से सुझाव आपके सामने रक्खे गये हैं उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और कद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने के लिए जो ५२३ करोड़ की धनराशि दी है उसको प्रदेशीय सरकार पूर्वी जिलों, पर्वतों और बुन्देलखंड पर उसी अनुपात में व्यय करेगी जैसी पहले से व्यवस्था रही है।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह चर्चा पिछड़े अंचलों के विषय में हो रही है । ये अंचल हैं पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुन्देलखंड । इसी क्रम में यदि लोगों को मौका दें बोलने का तो कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूची आप देते हैं उसमें तो इसका कोई ख्याल नहीं होता ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, सभी क्षेत्रों की बात आ जाय, ऐसा होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोशिश करूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं दस-बारह दिन से खड़ा हो रहा हूं और मुझे बोलने का मौका नहीं मिला सिवाय इसके कि व्यवस्था पर कुछ बोल लूं । आपने अभी एक सूची की बात कही तो उसमें मेरा भी नाम जोड़ लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जब खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तो हम समझते हैं कि आप बोल चुके ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह जो प्रश्न आज विधान सभा के सम्मुख उपस्थित है इसको मैं रीजनलिज्म की दृष्टि से नहीं देखता । मेरा दृष्टिकोण दूसरा है और वह यह है कि इस सूबे में कुछ इलाकों के जैसे बुन्देलखंड, पहाड़ी इलाके और पूर्वी अंचल पिछड़े हैं और इस कारण हमारे सूबे के विकास में इमबैलेन्स आ गया और खास तौर से जो तराई का इलाका है उसमें इमबैलेन्स आ गया । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह दिशा का प्रश्न न उठायें नहीं तो इस सूबे में उसी प्रकार विघटन की आग जल उठेगी जिस प्रकार देश भर में जली है । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे सूबे के ये अंचल पिछड़े रह गये । विकास जो होता है वह इंटेग्रेटेड होता है, एकांगी विकास कोई विकास नहीं होता । यदि कहा जाय कि खाली पानी से विकास हो जाय तो सम्भव नहीं । खाली बिजली या खाली सड़क बन जाने से विकास हो जायगा तो सम्भव नहीं । किसी एक चीज में विकास तो होगा लेकिन वह एकांगी विकास ही होगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता । सर्वांगीण विकास के लिये एक निश्चित दिशा होनी चाहिये, एक निश्चित योजना होनी चाहिये और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक बहुत ही संतुलित और सुगठित और चुस्त शासन यंत्र भी चाहिये । दुर्भाग्य यही रहा कि न तो हमने निकटस्थ लक्ष्यों को ध्यान में रखा और न दूरस्थ लक्ष्यों को ही ध्यान में रखा । एक ब्रेन वेव आयी और सूबे में लागू हो गयी और उसका परफारमेंस पूरा नहीं रहा है । बार-बार इस सदन में चाहे जो भी सरकार रही हो, यह प्रश्न उठता रहा है और लोगों को सरकार की ओर से यही उत्तर आता रहा है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, हमने इतना पैसा खर्च किया लेकिन यह सोचने की बात है कि क्या पैसा खर्च कर देने से ही विकास हो जायगा? वास्तव में, जितना पैसा खर्च हुआ उसका सही परफारमेंस हुआ या नहीं, इसका कहीं सन्तुलन नहीं हुआ है । इसलिये विकास करने की जो आवश्यकता है उसमें कोई दो मत नहीं हैं । जो हिस्सा पीछे रहा है उसको ऊपर उठाने की बहुत जरूरत है । अब प्रश्न यह हो जाता है कि २० वर्षों में जो गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित्त क्या है । इसका एक ही मार्ग है कि इंटेंसिव विकास के दृष्टिकोण से काम करने की बहुत जरूरत है ।।

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

तो सूबे के जो तीन चार अंचल हैं इनका इंटेंसिव विकास कैसे हो ? बहुत सी समस्यायें ऐसी हैं, जो कामन हैं। यह नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र का ही यह प्रोबलम हो या बुन्देलखंड का ही यह प्रोबलम हो, बल्कि सबका एक कामन प्रोबलम है, इसको पूर्णतः दृष्टि में रखना चाहिये। इसके कामन अफेक्ट के लिये आवश्यक है कि इन अंचलों के लिये एक आटोनामस विकास बोर्ड बनाना चाहिये। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह विकास बोर्ड ऐडवाइजरी न हो। सलाह देने वाली समितियां तो लाखों लाखों बन चुकी हैं और उनकी तमाम रिपोर्टस सेक्रेटेरिएट की फाइलों में दबी पड़ी हैं। इसलिये वह विकास बोर्ड एडवाइजरी न होकर आटोनामस यानी स्वचालित होनी चाहिये जिससे वह एक निर्णय लेकर और अपनी आवश्यकताओं को सामने रखकर उस आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं का निर्माण कर सके और सरकार से पैसे लेकर उस योजना पर अपने को कंसेन्ट्रेट कर सके जिससे वह पूर्ण हो सके। केवल पैसे देने से ही जिम्मेदारी खतम नहीं हो जाती। यह भी देखना आवश्यक है कि पैसे का सदुपयोग हुआ है या नहीं, जो खर्च हुआ है उसके अनुसार काम हुआ है या नहीं। स्वचालित बोर्ड जब अपनी कोई योजना बनायेगा तो उसे यह भी देखना होगा कि जब योजना हमने बनायी थी वह कहां तक पूरी हुई है और समय के अन्दर उसका काम पूरा कर पाये हैं या नहीं और अगर नहीं कर पाये हैं तो उसमें क्या कमी है और उस कमी को भी वह सही करती रहे। इस तरह का जो स्वचालित बोर्ड होगा उस पर अफसरशाही का प्रभाव नहीं होना चाहिये क्योंकि अफसरशाही का जो प्रभाव है वह आपसे छिपा नहीं है। इसका तमाशा कल ही आपने देखा कि मुख्य मंत्री ने एक नोट दिया लेकिन अफसर को फुर्सत नहीं है कि वह मुख्य मंत्री के उस नोट का उत्तर दे और इस तरह से उसको फाइल में दबा दिया जाय।

एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आचार्य कृपालानी ने गांधी दर्शन नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसके शायद २२० या २२९ पेज पर है। "भागलपुर के शरणार्थी जब गांधी जी के पास अपने कष्टों के निराकरण के लिये पहुंचे तो उनके सेक्रेट्री डाक्टर प्यारे लाल ने गांधी जी के कहने पर रिहैबिलिटेशन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को फोन किया। वहां से उत्तर मिला कि सेक्रेट्री खाली नहीं हैं, वे बहुत व्यस्त हैं। "जब गांधी जी के सेक्रेट्री को यह उत्तर वे अफसर दे सकते हैं तो यह सरकार जो केवल उनकी कठपुतली बनी बैठी है, उनकी बात को वे कैसे मान सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि वह विकास बोर्ड जो बने उसका चेयरमैन सिविल का हो, नानआफिशियल हो। यह मैं नहीं कह सकता कि अफसर वहां न रहे, अफसर रहे लेकिन वह कर्मचारी के नाते रहे, उसके स्वामी के नाते नहीं। जैसे ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में यह पद्धति है कि जो सेक्रेट्री लेबर सरकार के आने पर स्टील के नेशनलाइजेशन का बिल लाता है और उसे कैरी आउट करता है, वही सेक्रेटरी कंजरवेटिव सरकार के आने पर उसके डिनेशनलाइजेशन का बिल भी बनाता है और उसको कैरी आउट करता है। वह अक्षरशः कैरी आउट करता है और इसी माप दण्ड पर यहां के आफिसर को काम करना चाहिये। स्वामी बनकर के नहीं बल्कि सेवक बन कर काम करना चाहिये। इसलिये मान्यवर, जो विकास बोर्ड बने उस पर स्वामित्व और आधिपत्य सिविल नान-आफिसियल का होना चाहिये क्योंकि जूता कहां काटता है वह पहनने वाला ही बता सकता है इसे आफिसर नहीं बता सकता है कि कहां आवश्यकता है, वह तो आंकड़ों के जाल में ऐसा भ्रमित कर देता है कि आदमी उसमें से निकल नहीं पाता।

मुझे याद है जब कि मान्यवर, १९५७ में मैं पहलीबार चुन कर आया था, मुझे ध्यान पड़ता है सुल्तान पुर में वन लगाने का जो महोत्सव होता है, वन महोत्सव, उसमें बताया गया कि उस समय इतने पेड़ लग गये थे कि हिन्दुस्तान में कोई भी भूमि नहीं बचनी चाहिये थी। छोटी-छोटी टहनियां हर साल लगाई जाती हैं और हर साल काटी जाती हैं---यह आंकड़े का खेल नहीं होना चाहिये यदि सही विकास करना है। आटोनामस

बोर्ड होना चाहिये और स्वचालित होना चाहिये, उसके ऊपर नान-आफिसियल का आधिपत्य होना चाहिये, चेयरमैन उसका नाक-आफिसियल होना चाहिये, उसमें नान-आफिसियल का बहुमत होना चाहिये और उस बोर्ड में उस क्षेत्र के लोग होने चाहिये जो उस क्षेत्र के हों, जहां हम विकास करने जा रहे हैं। यह वही लोग बता सकते हैं कि कहां विकास होना चाहिये। जहां तक उसके फाइनेन्सेस का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पिछड़े हुए इलाकों के लिये रुपया मिलता है ६० प्रतिशत विकास के लिये, उसी से उसका विकास होना चाहिये। यदि आप बोर्ड बना दें और उसको पैसा न दें तो काम चल ही नहीं सकता। आप के पैसा देने की स्थिति यह है कि मार्च में बजट पेश होता है और अप्रैल में पास होता है और फाइनेन्स डिपार्टमेंट से जो आर्डर निकलते हैं वह सितम्बर और अक्टूबर तक जिले के विभागों को मिलते हैं कि आपके विभाग को इतना पैसा मिला। सितम्बर से मार्च तक ५ महीने में कार्य नहीं हो सकता। अन्त में यही होता है जो पैसा भेजा गया वह अंधाधुंध फेंका जाता है और फिर यही पैसा दूसरे ढग से लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमने इतना लक्ष्य पूरा कर लिया। लक्ष्य कहां से पूरा हो सकता है ५ महीने में। यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का रेडटेप है उसको ढीला करना चाहिये और आडिट की पद्धति को कड़ा करना चाहिये। फाइनेन्स डिपार्टमेंट का जो रेड-टेप है, जो गला घोंट रहा है उसको आज ढीला करने की आवश्यकता है। जो बोर्ड आप बनावें उसके लिये पैसे की व्यवस्था करें और उस अनुपात में करें जिस अनुपात में भारत सरकार पिछड़े हुये इलाकों के लिये, विकास के लिये पैसा देती है। जो भी परसेन्टेज तय करे।

मान्यवर, दूसरी चीज जो आवश्यक है वह है अन्न। उसके लिये कृषि का विकास पहले होना चाहिये। कृषि के विकास के लिये रीढ़ की हड्डी है खेती। अमरीका को आप देख लीजिये, वहां पर ६ या ७ प्रतिशत कृषि होती है और उससे सारी दुनिया को वह फीड करता है, फीड ही नहीं करता बल्कि उससे उसका निर्माण कार्य भी होता है। आज वह सरप्लस कन्ट्री है। रूस के प्लान की सबसे बड़ी जो कमी आई वह इसी वजह से आई। सन् १९१७ के बाद रूस का औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन रूस को आज भी गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है, आज उसके यहां फूड की डेफिसिट है। अगर खेती का विकास नहीं होगा तो वह विकास एकांगी रहेगा, सर्वांगीण नहीं होगा। तो विकास की रीढ़ सरप्लस एग्रीकल्चर है। अगर सरप्लस एग्रीकल्चर का निर्माण नहीं हुआ तो सरप्लस कैपिटल नहीं बनेगी। तो हमारी कृषि का विकास कैसे हो यह प्रश्न उठता है। पहली आवश्यकता यह है कि भूमि होनी चाहिये, भूमि का वितरण हो यह मैं मानने को तैयार हूं। आज जो आपके पास मेहनत करता है उसके पास भूमि नहीं है और जो मेहनत नहीं करता है उसके पास भूमि है। यह इम्बैलेन्स दुरुस्त होना चाहिये। लोगों को भूमि नहीं मिली है उसके कारण लैंड हंगर बढ़ी है इस प्रदेश में और उसके कारण किसी दिन ऐसा विस्फोट होगा जो किसी के संभाले नहीं संभलेगा। इसको हल करने के लिए प्रदेश तथा देश में जो लैन्ड हंगर है उसे पूर्ण करना होगा और इसके लिये पहले भूमि का वितरण आवश्यक है। यह कटु सत्य है और उससे इंकार नही किया जा सकता वर्ना देश का भविष्य अंधकारमय हो जायगा। यह नंगा सत्य है और इसे मानना ही पड़ेगा।

भूमि के बाद फिर किसान को पानी चाहिये। आज देश की खेती सिंचाई योजनाओं के बावजूद आकाश पर निर्भर करती है जो जुआ मात्र है। इसी सदन में इतने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के बाद भी बराबर आवाज उठती है कि कहीं बाढ़ आ गयी, गल्ले का नुक्सान हो गया और कहीं सूखा पड़ गया तो खेती को नुकसान हो गया। यह प्रकृति का खेल कहा जाता है और एक प्रकार से खेती के साथ जुआ है। इन दोनों समस्याओं का हल हो सकता है फ्लड कंट्रोल तथा वाटर लागिंग के जरिए और इसकी व्यवस्था नहीं की गयी तो सारे विकास कार्य ध्वस्त हो जायेंगे। ऐसे ही क्षेत्र हैं एक ही जिले में जहां आधा हिस्सा बाढ़ से पीड़ित है और आधा सूखा से ग्रस्त है और लोग देखना चाहते हैं तो मथुरा का जिला देख लें, एक ओर जहां फ्लड कंट्रोल होना चाहिये वहां दूसरी ओर वाटर लागिंग होना चाहिये।

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

फ्लड कंट्रोल किस प्रकार से होना चाहिये । फ्लड कंट्रोल की बात आती है तो लोग कहते हैं कि गांव को ऊंचा कर दो । भूमि उठाई जायगी । मैं इसे देखने गया तो देखा कि वह गांव कुएं में मेंढ़क के समान बन गया है और जब अगला पानी बरसा तो गांव फिर डूब गया । इसके लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

जौनपुर में अंग्रेजों के काल में जब फ्लड आता था तो फ्लड को कंट्रोल करन के लिये गोमती नदी को दो चैनल्स में डिवाइड कर दिया था । ३० फुट पर बाढ़ आती थी । दो चैनल बनने से बाढ़ कभी नहीं आई और दो चैनल में बंटने के बाद बरसात का सरप्लस पानी जो हुआ करता था वह सिंचाई के काम में आ जाता था । जौनपुर के बाहर आप चले जाइये आधा फरलांग चैनल पर बांध के भग्नावशेष अब भी बाकी हैं । तो चैनल बनाकर उसके पानी को बाइफरकेट किया जाय । इस पानी से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये । तो जहां एक ओर बाढ़ रुक जायगी वहां पर दूसरी ओर आपको सिंचाई के लिये भी पानी उपलब्ध हो जायेगा । बिजली के निर्माण में आप उस पानी को लगा सकते हैं । मान्यवर, आप जानते हैं कि इस प्रदेश में बिजली की कमी है, इसकी पूर्ति उस पानी को इस्तेमाल करने से की जा सकती है । एक केवल बाढ़ ही नहीं रुकती है बल्कि उस पानी को बाइफरकेट करने से मल्टी-परपज योजनायें चलाई जा सकती हैं । कितनी ही प्राब्लेम्स साल्व हो सकती हैं । मैं मान्यवर, आपको बांदा का एक उदाहरण दे दूं । पारसाल मैं बांदा गया था, वहां मैंने देखा कि सूखा पड़ा हुआ है । पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है । मैंने वहां पर एक रुपया प्रति घड़ा पीने का पानी मोल लिया और वह पानी भी पीने के लायक नहीं था बिलकुल कीचड़ जैसे था । वहां पर चार-चार और ८–८ मील के फासले पर पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं थी । तो जब पीने का पानी उपलब्ध वहां नहीं है तो सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी ? जहां पर सूखा पड़ा हुआ है वहां पर सिंचाई के लिये भी पानी उपलब्ध हो सकता है यदि उसकी व्यवस्था की जाय । आपको किसी न किसी प्रकार से वहां पर पानी देना चाहिये चाहे आप वहां पर ट्यूबवेल लगायें या रहट लगायें, कितनी भी व्यवस्था आप कर सकें वहां पर कर सकते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सूखे की स्थिति में आपको पीने के पानी की और सिंचाई की व्यवस्था अवश्य करनी होगी और उसके लिये कोई आधार होना चाहिये । यह सभी जानते हैं कि इस सूबे में बिजली की कितनी कमी है । मान्यवर, इसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि रिहन्द में जो बिजली उत्पन्न की गई है वह हिन्डालको को सस्ते भाव पर दी गई है और शायद २ या ३ पैसा प्रति यूनिट आप उसको बिजली देते हैं । जब उनको उसमें घाटा आने लगा तो उसकी पूर्ति के लिए आपने किसानों को ऊंचे रेट पर बिजली दी । मान्यवर, यह कहां का न्याय है । बिरला का जो पावर प्लांट बना था तो उससे आप कह सकते थे और बाध्य कर सकते थे कि हिंडालको को बिजली दें और सस्ती दर पर दें । आप जानते हैं वह क्यों मुनाफा कमा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, आज पूर्वी जितने इलाके हैं और भी इलाके हैं इन सब की हजारों दरख्वास्तें पंपिंग सेट के लिये पड़ी हुई हैं वहां पर बिजली के खम्भे लगा दिये गये हैं, तार लगा दिये गये हैं किन्तु अभी तक बिजली नहीं दी गई है । तो मेरा सुझाव है कि थोड़े खर्चे में अधिक काम हो सकता है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि उधर तो आपने किसान को सिंचाई के लिये मान लिया पानी दे दिया किन्तु उसके साथ ही साथ यदि उसको खाद नहीं दी तो वह कैसे खेती करेगा । इसलिये जरूरी है कि आप उसको खाद देने की भी व्यवस्था करें । आज आप देखते हैं कि खाद कितनी महंगी हो गई है । किसान और छोटा मोटा किसान तो ले ही नहीं पाता है । मान्यवर, यदि किसान बाजार में खाद लेने जाता है तो तीन मन मक्का बेंचता है और तब १ क्विंटल खाद लेता है । १/३ का रेशियो है । कैसे वह खाद लेगा । नतीजा

यह होगा कि अगर वह खाद नहीं लेता है तो बीज कैसे पैदा होगा । इसलिये आपको खाद के दाम कम करने होंगे । कुछ ईश्वरीय उत्पात भी होते हैं । किन्तु उसके लिये कोई गारंटी नहीं दे सकता है । सरकार किसानों को कर्ज दे सकती है । अब आप विचार करें, उनकी तो सारी जिन्दगी की कमाई चली गयी और आप उसकी क्या सहायता कर रहे हैं ? बाढ़ के नाम पर उसको कर्जे से लाद कर उसकी कमर को आर्थिक रूप से तोड़ रहे हैं । आवश्यक है कि उसके लिये आप क्राप इन्शोरेंश चालू करें। इसी प्रकार से उनके कैटिल का भी इन्शोरेंस होना चाहिये । इसके बारे में मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि उनकी सहायता के लिये जो फंड निकालते हैं उसमें से उनके इन्शोरेंस के प्रीमियम को आप अदा कर दें और लगान के साथ उस प्रीमियम की राशि को जोड़ कर किसानों से आप ले लीजिये ।

इसके साथ ही साथ रूरल फाइनेंसिंग बाडी की भी आपको स्थापना करनी चाहिये । आज अगर कोई व्यापार करता है और वह बैंक में एक लाख रुपया जमा कर देता है तो उसको ४ लाख उधार मिल जाता है, ४ लाख तक का काम वह कर सकता है । किसानों को भी इस प्रकार की सहूलियत दी जानी चाहिये । उनको उनकी खड़ी फसल पर रुपया मिलना चाहिये । तभी उन लोगों की स्थिति सुधर सकती है ।

इसके अलावा, आपको देहात में सड़कों का जाल बिछा देना चाहिये क्योंकि किसानों की जो भी प्रोडयूस होती है उसको वह आसानी से बाजार तक ले आये ऐसा साधन उसके पास होना चाहिये ।

मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं कहता । एंसीलियरी इन्डस्ट्रीज, छोटे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये क्योंकि उनके स्थापित करने में भी समय अधिक लगेगा और उससे रिटर्न भी जल्दी मिल जायगा ।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है । पहाड़ी क्षेत्रों की दो तीन विशेषतायें हैं । वहां पर खानें हैं, टिम्बर है । इन्हीं संबंधित उद्योगों की स्थापना वहां पर होनी चाहिये तभी वहां का विकास ठीक-ठीक हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करेंगे कि मैं अपनी पूरी बात तो नहीं कह सका लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये इतना समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पिछड़े इलाकों के विकास के लिये जो भी कदम उठाये जाने चाहिये उनके लिये आप इस प्रस्ताव की भावना को स्वीकार करें।

श्री चेतराम गंगवार—

(श्री कृष्णचन्द्र के बुलाये जाने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में नहीं हूं लेकिन माननीय कृष्णचन्द्र जी ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज किसी न किसी विषय पर बोलने का समय पा जाते हैं । मैं जानता हूं कि वे अच्छा बोलते हैं, सुझाव भी अच्छे देते हैं, लेकिन आपको दूसरे सदस्यों को भी तो बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बुलाने पर बोलते हैं लेकिन आप तो बीच में ही खड़े हो जाते हैं । आप बीच में बोलने की चेष्टा न करें तो आपको भी समय मिल जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय चेतराम जी को स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दे दीजिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

श्रीमन्, इतने महत्वपूर्ण विषय पर विवाद हो रहा है लेकिन यहां सरकार का कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

इसका कारण यह है कि उनका तो विकास हो गया है । जिनका विकास नहीं हुआ है, वे लोग यहां बैठे हुये हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश और प्रदेश में पंचवर्षीय योजनायें चलीं और आजकल चौथी योजना चल रही है । उनका यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुआ कि जो लोग अधिक धनी थे वे अत्यधिक धनी हो गये और जो अधिक निर्धन थे वे अत्यधिक निर्धन हो गये । जो प्रदेश के भाग पिछड़े थे, निर्धन थे, अभावग्रस्त थे, दरिद्र थे, जहां अशिक्षा थी, अंधकार था, वे इलाके और भी पिछड़ते चले गये और जहां धन धान्य की सम्पन्नता थी उनमें और सम्पन्नता होती चली गयी । इस प्रकार से हमारे यहां नियोजन के नाम पर अनियोजन होता रहा । तो मान्यवर, आज यह स्थिति है कि यह समाजवाद का जो हमारा लक्ष्य है और पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी के द्वारा हम इन विषमताओं को, दरिद्रता को और अभाव को दूर करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य से हम दूर होते चले जा रहे हैं । इसलिये जो प्रतिनिधि पिछड़े इलाके से आते हैं उनका ध्यान इधर केंद्रित हुआ और उन्होंने अपने विचारों को रखा और आन्दोलन किया और इन विषमताओं और असमानताओं के संबंध में देश के नेता और प्रदेश के नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया ।

आज प्लानिंग कमीशन को भी अपने माप दंडों में परिवर्तन करना पड़ा और उसी संदर्भ में अगली पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया । उन्होंने कुछ अपने माप दंड बनाये जनसंख्या के आधार पर, पिछड़े हुये इलाके के आधार पर तथा पिछड़ी हुई जातियों के आधार पर । मैं बुन्देलखंड के एक पिछड़े जिले झांसी जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिये आपकी सेवा में आपके द्वारा सरकार के सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सब से महत्वपूर्ण किसान के लिये भूमि है । बुंदेलखंड में यह प्रचुर मात्रा में है । इसकी कोई कमी नहीं है । दूसरी आवश्यकता उसके लिये पानी की है ।

मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का क्षेत्रफल १,१३,६५४ वर्ग मील है और बुंदेलखंड का ११,३७४ वर्गमील है । यह प्रदेश का १० प्रतिशत है । किन्तु मान्यवर, प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र २४६ लाख एकड़ है और बुंदेलखंड का ६.७ लाख एकड़ है जो प्रदेश का ३ प्रतिशत है । जबकि बुंदेलखंड का क्षेत्रफल पूरे प्रदेश का दसवां हिस्सा है किन्तु उसके लिये सिंचाई की उपरोक्त व्यवस्था रही है । प्रथम योजना में प्रदेश में ३,५४४ लाख रुपया सिंचाई पर खर्च हुये तो बुंदेलखंड में १७७ लाख हुये जो ५ प्रतिशत है । द्वितीय योजना में प्रदेश में ४,००९ लाख रुपया खर्च हुआ तो बुंदेलखंड में २०१ लाख रुपया खर्च हुआ जो ५ प्रतिशत है । तृतीय योजना में ८,०५० लाख रुपया खर्च हुये तो बुंदेलखंड के ऊपर ४०४ लाख रुपया खर्च हुआ जो ५ प्रतिशत है । इसी तरह से चौथी योजना में जो अतिरिक्त योजना बनाई है सिंचन की उसमें एस्टीमेटेड पूरे प्रदेश की ५५२ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी तो बुंदेलखंड के लिये केवल १३५ हजार एकड़ की ही व्यवस्था है जो ३ प्रतिशत है । इसी प्रकार से १०,४४३ लाख रुपये का प्रदेश में वृहत् सिंचाई के लिए आयोजन किया गया है किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस योजना के अन्तर्गत बुंदेलखंड में एक पैसे का भी प्राविधान नहीं है । यह कितनी खेदजनक बात है? मान्यवर, यह सिंचाई की ही स्थिति नहीं है बल्कि बिजली का भी यही हाल है। उद्योग का भी यही हाल है। उद्योग में २३ वर्षों में हमको एक प्रतिशत दिया गया है। जितना पूरे देश पर खर्च हुआ है उसका एक प्रतिशत हमको दिया गया है । पहली योजना में पूरे प्रदेश में ६३७ लाख खर्च किया गया लेकिन बुन्देलखंड में १२ लाख खर्च

हुआ। दूसरी योजना काल में पूरे प्रदेश में १,१३२ लाख खर्च हुआ लेकिन बुन्देलखंड में २६ लाख खर्च किया गया। तीसरी योजना में २,०५६ लाख रुपया सारे प्रदेश पर खर्च किया गया लेकिन बुन्देलखंड में ४६ लाख खर्च हुआ जो केवल २ प्रतिशत आता है। सब से खेदजनक स्थिति १९६६-६७ में हुई जब कि प्रदेश पर ६३९ लाख खर्च हुआ लेकिन हमारे बुन्देलखंड के लिये केवल ६ लाख खर्च हुआ जो केवल एक ही प्रतिशत होता है। इसी तरह से १९६८-६९ में बुन्देलखंड पर ३ प्रतिशत खर्च हुआ है। तो मान्यवर, यह उद्योग का हाल है। बिजली या पावर का हाल उससे भी बुरा है। उसकी दशा यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितना खर्च हुआ है पावर के निर्माण में बुन्देलखंड में उसका केवल २ प्रतिशत खर्च हुआ है। इसी तरह से स्थिति सड़कों की है। ५०६ किलोमीटर सड़कें हमको दी गई हैं। वह सड़कें जो हमको मिली हैं ये बन भी जायेंगी इसमें मुझे अत्यन्त सन्देह है क्योंकि जिस मन्थर गति से यह कार्य चल रहा है उससे मुझे लगता नहीं है कि चौथी योजना के आखीर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग इसको पूरा कर लेगा। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो सड़कें दी गई हैं उनके लिये ओवरसियर नहीं दिये गये। सड़कें तो दी गईं लेकिन अप्रैल से दिसम्बर तक ८ महीने हो गये बुलडोजर नहीं हैं। जो इम्पलीमेंट्स होने चाहिये वह उनके पास नहीं हैं। इंजीनियर उनके पास नहीं हैं। अब तीन महीने रह गये हैं। अगर इन तीन महीनों में उसका प्राविधान नहीं हो जाता तो डर है कि कहीं यह रुपया लैप्स न हो जाय। जिससे सर्वे करके एस्टीमेट भेजते हैं अथवा प्रेलिमिनरी एस्टीमेट आते हैं तो यहां पर विभाग उनको दबाकर बैठ जाता है। अगर प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के बाद वह आगे कदम बढ़ाते हैं तो मान्यवर, टैक्नीकल एप्रूवल उनको नहीं होता है। यह स्थिति है।

राजा साहब ने पेय जल योजना की बात कही। हमारे यहां भी पेय जल योजना तीन जिलों को दी गई। बान्दा, हमीरपुर और जालौन को दी गई, इसके लिये धन्यवाद है। लेकिन मान्यवर, यह समझ में नहीं आया कि झांसी कैसे काट लिया गया। झांसी के लिये पेय जल योजना का अभाव है। वहां पर हर वर्ष चाहे सूखा हो या न हो कुयें सूख जाते हैं और कुओं में कीचड़ हो जाता है। इसके बाद भी वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। ट्रकों से, मोटरों से, बैलगाड़ी से, रेलगाड़ी से वहां पर पानी जाता है लेकिन पेय जल की व्यवस्था इस स्थिति के होने पर भी वहां आज नहीं की गई। मान्यवर, मुझे खुशी है कि सरकार ने भी बुन्देलखंड की उस स्थिति को स्वीकार किया है और हैंड बुक जो उन्होंने निकाली है उसमें माना है कि बुन्देलखंड में २२ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है जब कि राज्य में इस प्रकार की भूमि केवल ९ प्रतिशत ही है। इस तरह से सिंचन के अभाव में सघन खेती हो नहीं सकती। सन् ६७-६८ में १० प्रतिशत भूमि पर ही बुन्देलखंड में सघन खेती हो सकी जब कि अन्य प्रदेशों के अंचलों में उसका अनुपात ३० प्रतिशत था, यह सरकार की रिपोर्ट है। इस तरह से उपज भी बुन्देलखंड के क्षेत्र में कितनी पिछड़ी है। आपको आश्चर्य होगा कि सन् ६०-६१ में बुन्देलखंड की पैदावार ८.२२ क्विन्टल प्रति एकड़ थी और पूरे प्रदेश की उपज थी ७.९० क्विन्टल यानी बुन्देलखंड का औसत सूबे के औसत से ४.१ क्विन्टल अधिक था लेकिन जिस तरह से पंचवर्षीय योजनायें चलीं उस का नतीजा यह हुआ है कि ६७-६८ में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जब औसत ८.७२ क्विन्टल उपज का रहा तो बुन्देलखंड का औसत रहा ७.२७ क्विन्टल, यानी दूसरे अंचल हम से १६.६ क्विंटल आगे हो गये। पिछले दस सालों में जिस तरह से इन पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है उसका परिणाम यह हुआ कि बुन्देलखंड बजाय आगे बढ़ने के और पिछड़ता चला गया है।

इसी तरह से इसी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों का भी वहां यही हाल हुआ है। इस में लिखा है कि पंजीकृत कारखानों में बुन्देलखंड में प्रति १ हजार पर १२१ व्यक्ति काम करते हैं जब कि अन्य क्षेत्रों में ३२७ व्यक्ति काम करते हैं। इस के माने यह हुये कि बुन्देलखंड में बड़े कारखानों का नितान्त अभाव है और मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब जब प्रयास हुआ केन्द्र ने तो रुपया दे दिया कि इस से पिछड़े इलाकों, निर्धन इलाकों की मदद की जाय

[श्री कृष्णचन्द्र]

लेकिन जब यह रुपया मिल गया और योजनायें बनीं तो उस को वहां न लगाकर अन्य क्षेत्रों में लगा दिया गया। पहले हैवी इलेक्ट्रिकल्स और अटामिक एनर्जी के उद्योगों को झांसी में लगाने की बात थी और यह तय हो रहा था कि वे बुन्देलखंड में लगाये जायं लेकिन उनको वहां से हटाकर पश्चिम में ले जाया गया, एक आज हरिद्वार में चल रहा है और दूसरा भी सरकार अलीगढ़ में ले जा रही है, यह व्यवहार किया जा रहा है बुन्देलखंड के साथ। इस के साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि कलकत्ते से जितना एक्जोडस केपिटलिस्ट्स का होता है वे सब आकर उद्योग कानपुर और लखनऊ में खोलते हैं, सुल्तानपुर और रायबरेली में खोलते हैं लेकिन मुझे दुख है कि कोई सरकार का कर्मचारी या अधिकारी उनसे नहीं कहता कि बुन्देलखंड भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां उद्योग खोले जा सकते हैं। आज वहां प्राइवेट सेक्टर में उद्योग खुलवाये जा सकते हैं, वह हम तो नहीं खुलवा सकते लेकिन मुख्य मंत्री जी, उद्योग विभाग के अधिकारी और अमला खुलवा सकता है। स्थिति यह है कि हमारे यहां बहुत अच्छी तरह से बड़े उद्योग चल सकते हैं ऐसा उद्योग विभाग वाले बराबर हम से कहते हैं क्योंकि हमारे यहां पानी, लेबर, आदमी सब कुछ है लेकिन नहीं है तो वह केवल सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है और जो रुपया केन्द्र से आता भी है उसको सरकार इधर-उधर खर्च कर देती है। उन्हें केन्द्र से शिकायत है, लेकिन मुझे शिकायत है इस सरकार से, दस गुना ज्यादा अन्याय यह सरकार हमारे साथ कर रही है, मैं चाहता हूं कि वह अपने चाल चलन, अपने तौर तरीके और अपने दृष्टिकोण को सुधारे और उसके बाद यह शिकायत करे केन्द्र की तभी उनकी शिकायत में बल होगा। लेकिन खुद प्रदेशीय सरकार उन क्षेत्रों के साथ अन्याय करे, नाइन्साफी करे तो उसके मुंह में दांत नहीं हैं कि वह केन्द्र से ऐसे किसी दुर्व्यवहार की शिकायत करे। तो मैंने आपके सामने उद्योग की स्थिति रखी। हमारे प्रदेश में लघु उद्योगों की १७ हजार इकाइयां हैं जिनमें से ३४० इकाइयां बुन्देलखंड में हैं अर्थात् कुल २ प्रतिशत है।

इसी तरह से हमारे यहां पर बिजली की व्यवस्था है। १९६९ में पूरे प्रदेश में यदि १३.४ प्रतिशत गांवों में बिजली गयी है तो बुन्देलखंड में केवल ४.१ गांवों में बिजली लगी। श्रीमन्, इसी तरह से हमारे यहां पर सड़कों का भी हाल है। कहा जाता है कि अब यह ५०६ किलोमीटर बन जायेगी लेकिन श्रीमन्, इस पर हमें संदेह है। कहा गया कि अगर ये बन गयीं तो फिर हम दूसरे अंचलों के अनुरूप आ सकेंगे। कुछ सरकारी चिन्तन यह भी है कि इसका संबंध जनसंख्या से है। यह सही है लेकिन कुछ ऐसी भी मदें हैं जिनका सम्बन्ध जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिये, जैसे सिंचाई है। उसका आधार क्षेत्रफल होना चाहिये, सड़कों और बिजली का आधार भी क्षेत्रफल ही होना चाहिये न कि जनसंख्या और मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार भी किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर पिछले इलाकों को आगे लाना है तो जनसंख्या नहीं बल्कि क्षेत्रफल का ही आधार होना चाहिये। अब समय है जबकि एक नये दृष्टिकोण से बुन्देलखंड की ही नहीं अपितु पूर्वी अंचल की, पहाड़ी अंचल की योजनायें बनानी चाहिए। अगर इस समय सरकार सतर्क नहीं होती तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि न तो इस अन्याय को बुन्देलखंड में निवास करने वाले बर्दाश्त करेंगे और न हिमालय के अंचल में बसने वाले ही बर्दाश्त करेंगे। एक एक्सप्लोसिव हालत पैदा हो गयी है। जगह-जगह से यह मांग आ रही है कि अगर हमारे साथ अन्याय को खत्म नहीं कर सकते हो, हमको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते हो, हमारे लिए खाना, कपड़ा आदि का समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकते, हमारे पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकते, तो भगवान के नाम पर, इन्सान के नाम पर हम को अलग कर दो, हमारा अलग सूबा बना दो। यह मांग आज प्रदेश भर में उठ गयी है। बुन्देलखंड में वीरता मौजूद है, शौर्य मौजूद है, और चिन्तन मौजूद है। अगर इस शौर्य और इस वीरता को रचनात्मक कार्यों में तथा साधनों के इकट्ठा करने के बजाय, निर्माण के कार्य को करने के बजाय, विध्वंसात्मक कार्यों में लगाया गया तो यह प्रदेश भर के लिए बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण दिन होगा।

आज बुन्देलखंड एक ऐसा अंचल है जहां पर डकैतों की समस्या है और प्रदेशीय सरकार इनकी समस्या को हल नहीं कर पा रही है। भूमि वह ला एंड आर्डर की समस्या है, अतः ये लोग पुलिस के दृष्टिकोण से ही इस समस्या को हल करना चाहते हैं जबकि इस समस्या का हल राजनीतिक दृष्टिकोण से होना चाहिये, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इसका हल होना चाहिये। अगर राजनीति भी डकैतों के दिमाग में आ गयी तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यहां पर कलकत्ते के नक्सलवादियों के आने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि बुन्देलखंड की जमीन, बुन्देलखंड की वायु, बुन्देलखंड की परिस्थिति, बुन्देलखंड की पृष्ठभूमि नक्सलवादियों को पैदा करेगी जो इस प्रदेश के लिये समस्या बन जायेंगे।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और नाम भी भेजते हैं जो बोल चुके हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का नाम पढ़े देता हूं जो बोल चुके हैं। वे कृपया फिर बोलने के लिए खड़े होने का प्रयास न करें।

माननीय नित्यानन्द स्वामी, कृष्णानन्द राय, देवकीनन्दन विभव, रियासत हुसेन, त्रिवेणी राय, गिरजा शंकर, शिवानन्द नौटियाल, शम्भूनाथ चौधरी, मेहरबान सिंह, डी० पी० बोरा, शेरसिंह दानू, डूंगर सिंह बिष्ट, नरेन्द्र सिंह, हरिसिंह बिष्ट, मदन मोहन मिश्रा, भाभी, चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, रामचरण, चन्द्रभान शर्मा, कन्हैयालाल बाल्मीकि, ज्वाला प्रसाद कुरील, सूबेदार प्रसाद, कन्हैया लाल सोनकर, बांकेलाल, जगदीश गांधी, रामबचन यादव—ये सब बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आप मेरी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। श्रीमन्, मैं कुछ नहीं तो परसों दिन भर बैठा उठा। आज दिन भर खड़ा हुआ लेकिन मुझको यह मालूम होता है कि शायद हम लोग पिछड़े क्षेत्र के विधान सभा के साधारण सदस्य हैं और हम लोग पिछड़े हुए हैं इसलिये हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा झगड़ा करते हैं उनको मौका मिलता है। मैं यह जानकारी करा देना चाहता हूं कि हम इतने कम पढ़े-लिखे नहीं हैं कि हम अपने विचार न दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ज्यादती कर रहे हैं। आप भाषण दे चुके हैं पूर्वी क्षेत्र पर और मैंने कह दिया कि मैं लिखवा लेता हूं कि आप बोले हैं अथवा नहीं। आप यह कैसे कहते हैं कि आपको समय नहीं दिया गया?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

श्रीमन् समय में कटौती कर दी जाय, बोलने वाले अधिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी जरूरत नहीं है, बाद को मैं देख लूंगा।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। वह क्षेत्र प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बुन्देलखंड का इलाका ऐसा इलाका है जहां ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां ज्यादातर लोग कृषक हैं और कृषि के लिये सबसे ज्यादा भूमि पड़ी हुई है। मगर कृषि के साधन उपलब्ध न होने के कारण वह बेकार पड़ी रहती है। हम लोग साधनहीन हैं। अभी माननीय शर्मा जी ने बिजली, पानी और खाद आदि के जो आंकड़े पेश किये वह इसबात को सिद्ध करते हैं कि आजादी के बाद भी २२-२३ वर्षों में इन पिछड़े हुये क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बिजली पानी, खाद आदि विषयों के बारे में तो कहा जा चुका है शिक्षा के बारे में वहां की स्थिति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां एक से एक विद्वान साहित्यकार और उपन्यासकार, मैथिलीशरण गुप्त और वृन्दावन लाल जैसे लोग पैदा हुए। लेकिन आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वहां पर एक भी डिग्री कालेज नहीं है। हम लोग महारानी लक्ष्मी बाई तथा जिन लोगों ने देश की आजादी में महान कुर्बानियां की हैं उन्हीं का नाम ले ले कर जिन्दा नहीं रह सकते। हमें साधन चाहिये। शिक्षा प्राप्त करने के लिये उचित सुविधायें चाहिये। हमारे यहां की जनता ने अपनी मेहनत और परिश्रम से, एक एक पैसा इकट्ठा कपके, एक दो कालिज बनाये हैं। कन्याओं के लिये भी हमारे यहां कोई डिग्री कालेज नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बुन्देलखंड में एक विश्वविद्यालय शीघ्र स्थापित किया जाय। पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं में प्राइमरी शिक्षा को ओर तो कुछ ध्यान दिया गया, लेकिन जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया। जिला परिषदों के जो जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें ९० फीसदी ऐसे हैं जिनको सरकार सहायता (एड) नहीं देती है। आज आवश्यकता यह है कि कम से कम हर तहसील में एक डिग्री कालेज हो। हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालिज तो हैं मगर डिग्री कालेज नहीं हैं। हर तहसील में कन्याओं के लिये भी एक डिग्री कालेज होना चाहिये।

उद्योग की दृष्टि से देखा जाय तो बुन्देलखंड में उद्योग का नामोनिशान नहीं मिलेगा। लघु उद्योगों के नाम पर ऐसे लोगों को पैसा दिया गया जिन्होंने न उसको खर्च किया, न वापस ही किया। हमने उद्योग समितियों में यह कहा भी कि रुपया ऐसे लोगों को दिया जाय जो वास्तव में उद्योग करना चाहते हैं। मगर आपके आफिसरों ने ऐसा नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ९० उद्योगों के लिए अनावश्यक रुपया ऐसे लोगों को दिया गया, जिन्होंने उद्योग का कोई काम नहीं किया। इसलिए आज उद्योगों के क्षेत्र में बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले जमाने में बुन्देलखंड उत्पादन के मामले में सरप्लस इलाका था। जिसे बाद में धीरे-धीरे आपने पिछड़ा कर दिया। १० वर्षों में आपने साबित कर दिया और हमें इसके लिये मजबूर कर दिया कि हम गल्ले के मामले में पीछे हो जायं और हमें पीछे होना पड़ा। अब वहां पर हमारा ६० प्रतिशत कुल उत्पादन रह गया है।

जमीन हमारे वहां पड़ी हुई है, पानी के नदी और नाले हैं। ट्यूब वेल की बंदिश है जिसके बारे में सरकार कहती है कि यह उसकी मजबूरी है। उस पर खर्च अधिक आता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पिछड़े हुये क्षेत्रों को सामानान्तर लाने के लिए आपको खर्च अधिक करना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य ने बताया बांदा में जो उन पर बीती हुई बात है कि वहां पानी की हालत बहुत खराब है और ४-४,५-५ मील से १ रुपया प्रति घड़ा की दर से उन्हें पानी मिला। मिर्जापुर के भी कुछ क्षेत्रों में यही हाल है, कोसों तक पानी नहीं है, झांसी में भैरवा का इलाका है, जहां पर मीलों पानी नहीं मिलेगा। चट्टानें ही चट्टानें मिलेंगी। जाने किस तरह वहां के लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। बेतवा और सजनार वहां पर नदियां हैं, लेकिन उनका पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया नहीं जाता। बुन्देलखण्ड की तरक्की के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। पानी के बिना वहां पर सारी सरकार की योजनायें अभिशाप बनी हुई हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज बिजली प्रवेश में कम है, लेकिन वहां की हालत और खराब है। २ लाख ५ हजार किलोवाट बिजली की बात है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने की बात को चौथी योजना में भी शामिल नहीं किया गया है और न हमें आगे किये जाने की ही आशा है। आप दामोदर वैली से मध्य प्रदेश के लिए बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पिछड़े इलाके की मुसीबत को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भारत सरकार पर दबाव डालकर हमारी उस योजना को पूरा करावें।

हमारे यहां बहुत पत्थर पैदा होता है, लेकिन उसके वहां कोई लघु उद्योग नहीं खुले हैं। पत्थर सारा कलकत्ता चला जाता है, वहां उसकी फैक्टरी लगी है और उसका सामान तैयार होता है। सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती कि बुन्देलखंड में पत्थर से सम्बन्धित लघु उद्योग स्थापित किये जायें। आज बड़े-बड़े पूंजीपति कलकत्ता से अपना काम समाप्त कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, लेकिन यहां किसी ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि उनको उत्तर प्रदेश में, बुन्देलखंड में पत्थर के उद्योग लगाने के लिये आकर्षित किया जाय। पहले कहा जाता था कि वहां पर पानी और बिजली की कमी है। लेकिन आज माताटीला बिजली देता है और वहां से पानी भी मिल रहा है, लेकिन वहां की बिजली कानपुर के उद्योगपतियों को दी जाती है।

तो जब तक वहां सिंचाई का विकास नहीं होगा, उद्योगों का विकास नहीं होगा, शिक्षा का विकास नहीं होगा, आने जाने के साधनों का विकास नहीं होगा, यानी जब तक वहां का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है, केवल एक में विकास होने से काम नहीं चलने वाला है। सभी क्षेत्रों में वहां का विकास होना चाहिये, वहां का सर्वांगीण विकास होना चाहिये, तभी वह समान स्तर पर खड़ा हो सकेगा। इसलिये बुन्देलखंड के सर्वांगीण विकास की योजना होनी चाहिये और उस पर अमल होना चाहिय दिल और दिमाग से। कागज पर केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। अभी आपके सामने जैसा कहा गया कि सितम्बर-अक्तूबर में बजट पास होता है। फरवरी मार्च में करोड़ों रूपया पानी की तरह बहाया जाता है। योजनाओं को कार्यान्वित करने की गति बहुत धीमी है। आज किसान को हमारे यहां साधनों की कमी की वजह से अपना गल्ला अपने गांव में कम से कम कीमत पर बेचना पड़ता है। पिछले साल १२५ रुपये १३० रुपये प्रति क्विंटल का भाव था और हमारे यहां ७५ रुपये का भाव है। लेकिन खाद की कीमत बढ़ती जा रही है और जो किसान के उपयोग की चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। बुन्देलखंड, पूर्वांचल और पहाड़ी इलाके के सर्वांगीण विकास के लिये कोई योजना आयोग हो जिसमें वहीं के लोग रखे जायं। जिस प्रकार पटेल आयोग बना था, उसी तरह का एक विकास आयोग बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके का बनाया जाय। हमारी आबादी थोड़ी है। तो क्या हमें तरक्की करने का हक नहीं है? हमारे पास जमीन है। हमारा खून भी गरम है। हम हर मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिये तैयार रहे हैं, १८५७ से लेकर कोई भी युद्ध रहा हो, चाहे आजादी की जंग रही हो, उत्पादन के क्षेत्र में भी हमने कदम मजबूती क साथ बढ़ाने के लिये तैयार हूं। लेकिन साधन सरकार को देने पड़ेंगे। बुन्देलखंड की सिंचाई के लिये सीमाओं को निरस्त कर दें, वहां कोई बन्दिश पानी के लिये न रहे, खर्च करने की। वहां पर पटेल आयोग की तरह विकास आयोग बनाया जाय और उसी क्षेत्र के लोग उसमें रखे जायं। उसका नानआफिशियल चेयरमैन हो।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री चेतराम गंगवार।

श्री गोविन्दसिंह—

पर्वतों की तरफ भी दृष्टिपात कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी दृष्टि सब जगह है। एक बार इधर समय देता हूं और दूसरी बार उधर समय देता हूं।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

लेकिन इधर नहीं देखते हैं। एक्स्ट्रीम लेफ्ट को नहीं देखते हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

आप से अनुरोध था, चूंकि बहुत ज्यादा माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, समय कम करके पांच-पांच मिनट बुलवा दें।

श्री गोविन्द सिंह—

समय अनिश्चित है। चलता रहेगा। शाम तक हमारी बहस चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

समय के बारे में जो सीमा है वह बगैर अध्यक्ष की अनुज्ञा के १५ मिनट से अधिक नहीं होगी। कोई विशेष बात होगी तो उस पर विचार किया जावेगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

यह तो आप के ऊपर है, वैसे माननीय सदस्य इस पर अधिक समय लेना चाहते हैं। इस कारण यदि वह थोड़ा समय लें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में भाषण होंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, यह विषय ऐसा है कि ज्यादा समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

*श्री चेतराम गंगवार—

मैं अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं जिस इलाके में रहता हूं वह अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। यह निश्चित मत है कि जिला बरेली में नवाबगंज तहसील सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। यों तो प्रदेश में और भी जगहें हैं लेकिन मान्यवर मैंने जैसा देखा है उसके अनुसार यह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। मैंने पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, बस्ती, आदि भी देखे हैं और उनको देखने के बाद यह महसूस करता हूं कि यह सबसे प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है। मान्यवर, जब से अंग्रेज इस देश से चले गये हैं तब से शायद एक भी सड़क इस भाग में नहीं बनी है। यहां पर यातायात के साधन बहुत कम हैं। अगर किसी मरीज को दवा के लिये भी ले जाना हो तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। जब से बम्बई प्लान स्वीकृत हुआ है तब से आजमगढ़ जिला ने ९७, ९८ प्रतिशत यातायात की कमी को पूरा कर लिया है लेकिन इस भाग में बरेली जिले में यह ५० प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है और उसमें भी इस इलाके में तो शून्य के बराबर है। एक भी किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। मान्यवर, २२ साल के बाद, मैं श्री वेद प्रकाश और श्री बसन्त सिंह सेठ, का आभारी हूं कि मैंने एक प्रस्ताव रक्खा था और उसके अनुसार दो सड़कें एक ५ किलोमीटर की और दूसरी १५ किलोमीटर की मन्जूर हुई हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही अभी तक हो नहीं पाई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, जो बहस हो रही है वह बुन्देलखण्ड, पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के लिये है और यह मेरे लायक दोस्त पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है, पहले आप सन्तुष्ट हो जाइये ।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं इस सदन का ४ वर्ष से सदस्य हूं । मैं अजेन्डा के बाहर बात नहीं करता हूं । मैं श्री पांडेय जी को बतला दूं कि इसमें लिखा है कि....सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये भू-भागों...तो मैं इसी के ऊपर बोल रहा हूं । श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह नदियों का इलाका है । यहां पर दस ग्यारह नदियां है, यह सरकार इस पर विचार करे कि जहां इतनी नदियां हों वहां आदमी कैसे जा सकता है। इसके लिये विशेष बोर्ड को गठित करने की आवश्यकता है । यह एक विशेष कारण है। मंत्रिमंडल में हमेशा एक पार्टी के लोग रहे हैं और उसमें भी बहुत ऐसे मंत्री रहे हैं जिनकी मंत्रिमंडल में मुख्य मंत्री के निकट पहुंच नहीं थी । मंत्री तो बना दिये हैं और दो हजार रु० भत्ता ले रहे हैं । मुट्ठी भर आदमियों का इस प्रदेश पर कब्जा रहे । चाहे बुन्देलखंड हो, पहाड़ी इलाका हो या कोई भी । मान्यवर, कुछ ही लोग वहां पर मनमानी करते रहते हैं । नवाबगंज तहसील की बात है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है और आप उसको किसी भी क्षेत्र में ले लें । चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में । मैं मान्यवर, मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि इस तहसील में ३८३ गांव हैं और वहां पर लड़कियों के पढ़ने के लिये कोई भी प्रबन्ध नहीं है । क्या सरकार बता सकती है कि वहां की रहने वाली बालिकाओं के लिये उसने वहां पर क्या शिक्षा का प्रबन्ध किया है ? वहां पर न तो कोई प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है और न पब्लिक सेक्टर में ही । वहां पर न तो हाई स्कूल है और न इन्टर कालेज जहां पर जाकर लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें । दशा बड़ी ही खराब है । शिक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है । मैंने शिक्षा के डाइरेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । यह मालूम हुआ कि वहां पर सरकार एक शिक्षा संस्था खोलना चाहती थी परन्तु यह भी कई सालों की बात है । अभी तक कोई भी इस प्रकार की शिक्षा संस्था वहां पर नहीं खोली गई है ।

जहां तक कि विद्युतीकरण का सवाल है आप यह देखें कि इस तहसील का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है । जब तक विद्युतीकरण नहीं होता कोई भी उद्योगधंधे वहां पर खोले नहीं जा सकते हैं इस कारण से वहां पर कोई भी विकास नहीं किया जा सकता है ।

मान्यवर, यह गन्ना उत्पादन का एक प्रमुख और प्रधान क्षेत्र है । यहां पर गन्ने की बहुत अधिक फसल होती है और यहां से चीनी, गुड़ और खंडसारी देश और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भेजी जाती है । मान्यवर, आसपास १०, १५ मील की एरिया में वहां शक्कर की कोई भी मिल नहीं है । इतना अधिक गन्ना वहां होता है परन्तु वहां के गन्ना काश्तकारों को इतनी अधिक कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता । काफी दूर पर एक शक्कर की मिल है जहां पर नैनीताल, रामपुर तथा और आसपास का गन्ना जाता है । मान्यवर, इस क्षेत्र के लोगों का गन्ना खड़ा रह जाता है और मिलों तक नहीं जा पाता क्योंकि आसपास में कोई भी मिल नहीं है । मान्यवर, ऐसा उपाय करना चाहिये कि चाहे वह कोआपरेटिव सेक्टर में ही क्यों न हो यहां पर एक गन्ने की मिल अवश्य खोल दी जाय । आप चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं परन्तु गन्ना काश्तकारों को जो सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं आसानी के साथ उनको आप नहीं पहुंचा रहे हैं । एक चीनी मिल यहां पर अवश्य लगवा दें । मान्यवर, इस क्षेत्र मे रेलवे स्टेशन्स हैं । यह ठीक है कि स्टेशन्स को

[श्री चेतराम गंगवार]

विकसित करना केन्द्र का विषय है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं अपने मंत्री महोदय से कि अब तक इनमें से किसी भी स्टेशन पर बिजली नहीं पहुंची है, उसका विद्युतीकरण नहीं किया गया है। यह काम तो हमारी प्रदेशीय सरकार कर सकती थी। यही नहीं मान्यवर, ३८३ गांवों में से कुल ५ गांवों में ही अभी तक बिजली पहुंच पाई है। मैं हरियाणा की बात नहीं करता जहां पर हर गांव में बिजली पहुंच गयी है परन्तु हमारे सूबे में ऐसा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, बरेली के कभी तीन तीन मिनिस्टर रहे हैं परन्तु उन्होंने भी इस ओर बहुत कम ध्यान दिया है कि उस क्षेत्र का भी विकास पूर्ण रूप से हो। यह हो सकता है कि उन्होंने अपने यहां इसको करवा लिया हो।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों की दशा में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। उनके पास न तो पहनने के लिये कपड़ा है, न रहने के लिये मकान है। वे ऐसी जगहों पर रहते हैं जिस स्थान पर आप जानवरों को बांधना या टट्टी करना भी उचित न समझें और उनकी इस दशा को करने वाले वे लोग हैं जो शासन में हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं और जो अपने वेतन और भत्तों को बराबर बढ़ाते जा रहे ह। इसी सदन में एम०एल०ए० को ३०० रु० मिलता था और उसके पहले २०० रु० मिलता था परन्तु उन्होंने इसको बढ़ाकर क्या कर लिया? अपना भत्ता कहां तक बढ़ा लिया? इसमें रुपयों की कमी का सवाल नहीं आता है। आप अपने भत्ते और तनख्वाह बढ़ाते जा रहे हैं, ड्योढ़ी और दुगुनी कर ली है। और मान्यवर, उसका एक जाल उन्होंने फेंका। सन् १९६७ में उन्होंने जो बढ़ोत्तरी की उसको तनख्वाह में एड न करके कांस्टीट्युएन्सी भत्ता रखा और इस तरह से टैक्स की चोरी की। दूसरों की बात यह कैसे सोच सकते हैं? किसानों के सामने जो परिस्थितियां हैं क्या उनका भी कोई हल है। किसान जो पैदा करता है, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि, उसके सही रेट उस को मिलें और रखने का प्रबन्ध हो तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तहसील नवाबगंज में कोई गोदाम नहीं है जहां किसान अपनी फसल को रख सके। उसकी फसल को चूहे खा जाते हैं, बारिश में सड़ जाती है। उनको कोई कृषि के यंत्र नहीं मिलते। बस टैक्सेज बढ़ते जाते हैं। लगान बढ़ा रहे हैं। इनके पास यही योजना है कि किस तरह से बढ़ा दें। यह बात दूसरी है कि धोखा देने के लिये सवा छः एकड़ का लगान माफ कर दिया। लेकिन मान्यवर, आपके देखते देखते कहीं स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी तो कहीं बिजली के दस पैसे से चालीस पैसे यूनिट कर दिया। एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया। सिनेमा आज गरीब और मजदूर देखता है, अमीर नहीं देखते। अमीर तो क्लाब में जाता है। वह लखनऊ, बम्बई या नैनीताल में क्लाब में जाता है। सिनेमा गरीब आदमी देखता है। लकिन आपने एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया। श्रीमन्, इनकी योजना है और बसों का किराया दुगना करने जा रहे हैं। उसमें क्लास तो यह लोवर रखेंगे लेकिन उस का किराया अपर का कर देंगे ऐसी चर्चा एम० एल० एज० में है।

मान्यवर, किसान जो इस प्रदेश की रीढ़ है और जो ९० प्रतिशत देहाती क्षेत्र में रहता है जब तक उसकी रोटी रोजी, कपड़े, खाद, बैल, बीज का इंतजाम नहीं करते तब तक विकास नहीं हो सकता। एस० एस० पी० के साथी बैठे हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जनता के सामने दो बार अपनी तस्वीर को उजला किया है। एक बार तो यह जेल गये थे इसलिए कि आबपाशी की दर कम कर दी जाय और उस समय मान्यवर, आप भी उसके सदस्य थे। एक बार उस समय तस्वीर उजली हुई थी और दूसरी बार अब जब कि इन्होंने सवा छः एकड़ का लगान माफ करके रिकार्ड कायम कर दिया है। हमारे जनसंघ के साथी आज सरकार में हैं। माधव प्रसाद जी भी, जो कि सरकार में हैं, दुहाई दिया करते थे कि फैमिली प्लानिंग इस प्रदेश में और देश में नहीं होनी चाहिए। लोग संयम से रहें, हमारी तरह रहें कि हमने शादी नहीं की। पहले वह यह भी कहते थे कि शराब की भट्ठी नहीं होनी चाहिये और मद्य निषेध होना चाहिए। आज वे सरकार में हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जितना रुपया फैमिली प्लानिंग में खर्च होता है और जितना शराब से इन्कम होती है उसको किसानों की

बहबूदी के लिये खर्च कर दें। दोनों विभाग आप के पास भी हैं। मान्यवर, मैं अंतिम निवेदन यह करूंगा कि आप नवाबगंज और जो कनेक्टेड पिछड़े इलाके हैं उनके लिए एक बोर्ड गठित करें और जो इलाके विकसित नहीं हैं उनके प्रति जागरूक रहें नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी बख्शेगी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने के पहले माननीय सदस्यों को मैं एक सूचना देता हूं, वे कृपया सुन लें।

अभी माननीय भाभी जी ने यहां आक्षेप भी कर दिया और यह भी कहा कि वे बोलें नहीं हैं। तो मैंने ८ मई, १९७० की कार्यवाही मंगायी है। और इसमें उनका पहला ही वाक्य है "उपाध्यक्ष महोदय, इंद्रमणि जी ने जो संकल्प उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखन्ड और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में पेश किया है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है।" और वे बोल चुके हैं। तो ऐसी हालत में जो सदस्य को इतना विस्मरण हो, और बिना याद किये हुए आक्षेप करे और एक पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप करे तो मैं सावधान करता हूं कि आइन्दा कार्यवाही की जायगी।

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यों तो पूर्वी जिले उत्तर प्रदेश में बहुत ही पिछड़े हुए जिले हैं और इन पिछड़े हुए जिलों में हमारा प्रतापगढ़ जिला बहुत ही पिछड़ा जिला और गरीब है। मैं उसी के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।.....

सहकारिता मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। श्रीमन, यह प्रस्ताव इस सदन में पहले भी चला है और आज भी काफी समय तक करीब २–३ घंटे तक इस पर बाद विवाद चला। तो मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्ट को इस पर अपनी कुछ राय व्यक्त करने का आप अवसर देंगे। हो सकता है कि गवर्नमेन्ट के आश्वासन के बाद यह प्रस्ताव कोई दूसरी सूरत पकड़ ले।

श्री उपाध्यक्ष—

देंगे, अगर आप चाहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

सारे माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुनने के बाद ही अन्त में गवर्नमेन्ट अपनी बात रखें।

श्री राजितराम पाण्डेय—

श्रीमन्, यह बहस चलती रहनी चाहिये।

*कुंवर तेजभान सिंह—

मैं कह रहा कि प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है और गरीब जिला है और इसलिये मैं उस जिले की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश में ही क्या भारतवर्ष में सबसे अधिक कुर्बानी दी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर तेजभान सिंह]

थी। वह जिला आज इस स्थिति में पहुंचा है कि अगर एक गांव से दूसरे गांव में कोई जाय तो जा नहीं सकता है। तमाम किसानों की जमीन के लिये सिंचाई के साधन न होने से वहां की पैदावार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। सन् १९६९ में केन्द्रीय सिंचाई विभाग के मंत्री डाक्टर के एल० राव आये थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतापगढ़ जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं और उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि प्रतापगढ़ जिले में कम से कम ३०० नलकूप लगने चाहिये। बिना इस बात के हुए प्रतापगढ़ जिले का उत्थान नहीं हो सकता है। न मालूम कितनी जमीनें असिंचित पड़ी हुई हैं। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि यदि सरकार प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई की व्यवस्था करे तो जिले की चौगुनी पैदावार बढ़ सकती है। इसलिये सरकार से मेरी मांग है कि प्रतापगढ़ जिले में कम से कम ३०० राजकीय नलकूप लगाने चाहिये और जिस जगह नहर नहीं पहुंचती और नलकूपों से भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसी जगहों पर सरकार अपनी ओर से पक्के कुंवें बनवा दे। अगर सरकार ३०० पक्के कुयें अपनी ओर से बनावे तो पूरे जिले की अच्छी ढ़ंग से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। एक बात में और कहना चाहता हूं कि सरकार पुराने कुओं की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है। आज प्रतापगढ़ जिले में ऐसे कुयें हैं कि अगर उनकी मरम्मत कराई जाय तो वह एक बहुत बड़े जलाशय में रूप में परिवर्तित हो जायेंगे। अगर सरकार ऐसी योजना चलावे कि प्रतापगढ़ में २,००० कुओं की मरम्मत कराई जाय उसमें एक साथ ४–६ पुर चल सकते हैं और एक दिन में ३–४ एकड़ जमीन सींची जा सकती है। उनमें सरकार रहट लगवाने की व्यवस्था करे। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अगर सरकार ने वहां नलकूप की, रहट की, कुओं की व्यवस्था की होती तो प्रतापगढ़ का काफी उत्थान हो सकता था।

दूसरी चीज यह है कि हमारा जिला बाढ़ग्रस्त इलाका है। डा० के० एल० राव जब पधारे थे तो उन्होंने भी कहा था कि यह जिला बाढ़ से बहुत परेशान है। अगर जिले में बाढ़ नियंत्रण की योजना चलाई जाय तो जिले की तरक्की हो सकती है। हमारे जिले में सई आदि नदियां हैं जिनसे बाढ़ के समय जिले की आबादी को बहुत धक्का पहुंचता है, पूरी फसल डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। सरकार को इस तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये। बाढ़ के समय गांव की जनता घर-द्वार छोड़ कर ऊंचे स्थान पर अपने रहने की व्यवस्था कर लेती है सुरक्षा के लिये। नतीजा यह होता है कि २–२ और ४–४ घर एक जगह पर बस जाते हैं। इस तरह से जो गांव पीड़ित हैं बाढ़ से सरकार उनके लिय ऊंची जमीन की व्यवस्था करे चाहे कहीं से भी करे और वहां पर ५० घर कम से कम जरूर होने चाहिये इससे चोर और बदमाश से उनकी सुरक्षा तो होगी ही, बल्कि बिजली भी पहुंच सकती है।

सिंचाई के लिये मान्यवर, बिजली की आवश्यकता है क्योंकि बिजली से सिंचाई की शक्ति बढ़ती है। हमारे जिले में बिजली की व्यवस्था बिलकुल नगण्य है। एक बार सरकारी अफसरों से इसकी रिपोर्ट की गई और ऐसा कहा गया कि सदर तहसील में मुरेना गांव में बिजली का एक केन्द्र बनाया जाय। लेकिन आज तक बिजली का केन्द्र नहीं बन पाया। जहां बिजली का केन्द्र है वहां पर जनता को बिजली का कनक्शन मिलने में बड़ी अड़चन पड़ रही है। इसके साथ ही मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि वहां पर भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि जब तक कनेक्शन के लिये सरकारी अहलकारों को अफसरों को रिश्वत न दी जाय तो गरीबों को कनेक्शन ही नहीं मिलता। जिसके पास पैसा है, जो सरकारी अफसरों को खुश कर लेते हैं, उनको पहले कनेक्शन मिल जाता है। जो गरीब हैं वे चाहे ट्यूबवेल लगाना चाहे अथवा घर के लिये बिजली चाहें उनको बिजली का मिलना मुश्किल हो जाता है। लालगंज में मुरेना में बिजली का केन्द्र है वहां पर लोगों को बहुत मुश्किल से बिजली के कनेशंस मिलते हैं। एक बार विद्युत मंत्री को मैं वहां ले गया। उन्होंने कुछ अहलकारों को पकड़ाई की और उस दौरान बिजली के कनक्शन मिलने में सुविधा हुई लेकिन अब फिर वही पुरानी रफ्तार चालू

हो गयी। वहां मुरेनी में सरकारी अफसरों की रिपोर्ट हुई कि बिजली का केन्द्र यहां कायम होना चाहिये और सदर तहसील के आधे भाग में बिजली पहुंचाई जा सकी है लेकिन कोई योजना कार्य रूप में परिणत नहीं हुई।

विकास के लिये मुख्य चीज सिंचाई है। इसमें प्रतापगढ़ जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। दूसरा उत्थान का कारण हो सकता है जिले में सड़कों का होना। प्रतापगढ़ जिला जहां नदी तथा नालों से एक ओर भरपूर है वहां दूसरी ओर सड़कों तथा पुलों का यहां अभाव है। लोनी नदी सई में गिरी है उसमें बाढ़ आ जाती है। उससे हमारे क्षेत्र के पुल गिर गये हैं। कच्ची सड़कें खराब होने से तथा पुल गिरने से वहां बैलगाड़ियों से नहीं जा सकते। लोगों को साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है परन्तु जिला परिषद् की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिये मैं आप को बतलाऊं कि घूसरनाथ से सांगीपुर उदयपुर होते हुए रायबरेली को जो सड़क चली गयी है इस सड़क पर उदयपुर ग्राम के पास जो मुरेना की दी है उसका पुल गिर गया, सड़क दोनों तरफ कट गयी। आज तक उस रास्ते से बैलगाड़ी का गुजरना और साइकिल का गुजरना मुश्किल है लेकिन जिला परिषद् के अधिकारी जिलाधीश महोदय ने उस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से लालगंज से एक सड़क चली गयी है धारूपुर। महिमापुर गांब के पास पुल गिरने से और दोनों ओर सड़क कटने से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। धारूपुर से एक सड़क डिरवा गयी है और ढिगवस और पुरवारा के बीच में जो सड़क का पुल है वह गिर गया है लेकिन जिलाधिकारियों ने कोई ध्यान उस पर नहीं दिया। इसी प्रकार जिला परिषद् की जितनी सड़कें हैं उन पर पुल गिर गये हैं और तमाम सड़कें कट गयी हैं और वे नाले बन गई हैं लेकिन कोई ध्यान उस तरफ नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा सड़कों के साथ पुलों का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। मेरे जिला प्रतापगढ़ में नरई, बिहार, हीरागंज, बाबागंज तथा अरौंहोते हुये एक सड़क सलवान, जिला बाराबंकी चली गयी है। इसका पक्का होना बहुत जरूरी है। इस ओर भी सरकार का ध्यान नहीं गया है कुंडा तहसील में चौसा का पुल गिर गया है।

एक सदस्य—

मेरा कहना यह है कि आप स्वयं मिर्जापुर गये हैं और आपने देखा कि वहां का कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। हमें भी आप कहने का मौका दें?

एक सदस्य—

सभी को आप पांच-पांच मिनट का समय दें।

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। जो सुझाव माननीय राजा साहब ने पिछड़े हुये क्षेत्रों के बारे में दिये हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भी जो पिछड़े इलाकों के बारे में अपने विचार रखे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। परन्तु जिस माननीय सदस्य ने भी अपने विचार इन क्षेत्रों के बारे में प्रकट किये हैं उनसे ऐसा लगता है कि समस्याओं का समाधान कर लिया जायेगा। पिछला जो बजट सेशन हुआ था तो कुछ माननीय सदस्यों ने पिछड़े हुये क्षेत्रों के बारे में कहा था और यह आभास हुआ था कि सरकार कुछइन समस्याओं का समाधान कर लेगी। किन्तु जब हम जुलाई में अपने घर गये। मैं अपने बारे में कहता हूं कि जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक दिन भीषण वर्षा हुई। मेरे क्षेत्र के एक जगह पर करीब ६,७ आदमी बैठे हुये थे। भीषण वर्षा के कारण एक बाढ़ आई और उन सभी ६,७ आदमियों को उनकी सम्पत्ति के साथ बहा ले गई। इस प्रकार उनके जान-माल तथा मवेशियों का नुकसान वहां पर हो गया। जगह-जगह पर कस्बे बर्बाद हो गये और खेतों को भी नुकसान पहुंचा। मुझे यह देख कर बहुत दुःख हुआ कि सरकार

[श्री गोपाल दत्त]

ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई और किसी को ५० या किसी को २०० रुपये देकर उनको संतुष्ट किया।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि योजनायें इन पर्वतीय इलाकों के लिये अवश्य सरकार बनाती हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि उन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जाता है। जब पिछड़े हुये क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान करने की चर्चा यहां पर होती है तो यह आशा होती है कि सरकार उन समस्याओं के समाधान के बारे में अवश्य कुछ सोचेगी किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर अत्यन्त दुख होता है कि उन समस्याओं का समाधान केवल कागज तक ही सीमित रह जाता है उसका कार्यान्वयन नहीं होता। मेरे क्षेत्र में कई आदमी ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, कई लोगों के पास मकान नहीं हैं, भूमिहीन हैं। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि आप नैनीताल जिले में कुमायूंनी क्षेत्रों के लोगों के लिये कम से कम मकान बनाने के लिए १ एकड़ या आधा एकड़ जमीन तो दें। उनके पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, भूमिहीन हैं, रोजगार की समस्या वहां है। सरकार ने सन् १९६७ में यह आदेश दिया था कि भूतपूर्व सैनिकों को, खेतिहर मजदूरों को और उसके बाद हरिजन जातियों को जमीन देंगे किन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जो आदेश सरकार के हुये थे वे कागज में ही लिखने के लिये बने थे? मान्यवर, आप देख रहे होंगे कि जगह-जगह पर पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मेलन हो रहे हैं जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने सुना कि पौड़ी में एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह मांग की गई है कि एक अलग प्रदेश की वहां पर स्थापना की जाय। अल्मोड़े में भी इसी प्रकार का एक सम्मेलन हुआ उसमें भी स्वशासी राज्य की मांग सरकार से की गई है। तो आखिर यह मांग क्यों की जा रही है? यदि सरकार उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर दे तो कभी यह मांग नहीं उठेगी। मान्यवर यह बुनियादी सवाल है। इस पर सरकार विचार करे और देखे। मान्यवर, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करने में मुझे दुःख होता है क्योंकि यह विश्वास हो गया है कि समस्याओं के समाधान करने की आशा सरकार से नहीं रह गई है। मसूरी में हिल-बोर्ड की बैठक हुई, और हाल ही में लखनऊ में भी हिल-बोर्ड की बैठक हुई और २-२ घंटे तक बहस होती रही किन्तु यह चीज देखने में आई कि सरकार उसको क्रियान्वित करने में दृढ़ संकल्प नहीं है।

आज बीस साल हो गये लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जब कि हर अधिकारी ने, मंत्री ने और मुख्य मंत्री ने यही कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये कृत संकल्प हैं। लेकिन वह संकल्प कब कार्यान्वित होगा, समझ में नहीं आता। पिथौरागढ़ नगर की १० हजार की आबादी है। वहां पर जनरेटिंग सैट लगा हुआ है लेकिन वहां पर कितने ही कस्बे और गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। जब हम पूंछते हैं कि पिथौरागढ़के लिये योजना में कितना रुपया रखा हुआ है तो बताया जाता है कि करीब ४७ लाख रुपया है। लेकिन कोई काम दिखायी नहीं देता। क्या ये योजनायें आपकी केवल कागजों पर ही हैं। वहां पर डिग्री कालेज खुला हुआ है, १५० लड़के उसमें हर साल पढ़ने को आते हैं। पहाड़ों में इस प्रकार से शिक्षा और गरीबी रही आयी तो वहां का क्या हाल होगा। पिथौरागढ़का धारचूला नेपाल से मिला हुआ है। अगर वहां रोजगार आपने नहीं दिया तो फिर इसको आप किस तरह से रोक पायेंगे। इस बात को सरकार को सोचना चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में यहां पर चर्चा हुई। सरकार को केवल आश्वासन नहीं देना चाहिए बल्कि गहराई से सोचना चाहिये।

लोगों के पास खेती के लिये जमीन नहीं है। नैनीताल में प्रति परिवार के पास ४ एकड़ जमीन का औसत है, देहरादून में ४, पौरी गढ़वाल में ढाई, उत्तराखंड में ३ एकड़, चमोली में २.३ एकड़, टिहरी गढ़वाल २.३, एकड़ अल्मोड़ा १.९ एकड़ और पिथौरागढ़ में १.४ एकड़ औसतन लोगों के पास जमीन है। भला बताइये कैसे लोगों का गुजारा हो सकता है और वहां के ८० प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं। खेती के लिये जमीन नहीं है, उद्योगों के लिये बिजली नहीं है फिर हम लोग क्या करें? डिग्री कालेज आपने खोला हुआ है, यनिवर्सिटी

की मांग है। एम० ए० पास करके लड़के अगर बैकार बैठेंगे तो —'विभुक्षितं किं न करोति पापं'। वे क्या खराब काम न करेंगे? इस बात को सरकार को गहराई से सोचना चाहिये। हम बंगाल की चर्चा करते हैं कि "किसी मंत्री की धर्मपत्नी को चोट आती है तो किसी का लड़का मारा जाता है। मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, हमारे बच्चे रोजगार में नहीं लगेंगे, उद्योग धंधे वहां पर नहीं खोले जायेंगे तो लाचार होकर हमको वह करना पड़ेगा जो हम नहीं कहना चाहते। जैसी कि पौड़ी और अल्मोड़ा में स्वशासन की मांग की गयी वह स्वाभाविक हो जायगी। उसको कोई रोक नहीं सकता।

जब उत्तराखंड की स्थापना हुई तो लोगों को बड़ी खशी हुई। लेकिन वहां आज सरकारी कर्मचारियों का राज्य है। जनता के प्रतिनिधि चाहे वे मिनिस्टर ही क्यों न हों, उनको कोई नहीं पूंछता। मैंने एक बार इनकम टैक्स अधिकारी पिथौरागढ़ से पूछा कि कितने व्यापारियों को आपने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि यहां सबसे ज्यादा काम सरकारी नौकरों का है जिनका वहां पर जाल फैला हुआ है। उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। बार्डर एलाउन्स मिलता है। आज तो जनता के प्रतिनिधियों की वहां पर कोई नहीं सुनता। जो वहां के अधिकारी चाहते हैं वह होता है। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि वहां के गांवों को पानी दिया जाय। उन्हीं ग्रामों को पेय जल हेतु सरकार वहां पैसा देना चाहती है जहां की जनसंख्या ज्यादा है। हमें वहां पर ३–४ मील से पानी लाना पड़ता है। गांव ऊंचे में हैं और नदियों का पानी बहुत नीचा है। पेय जल के लिये १–१, २–२ लाख की योजनायें बनानी पड़ती हैं। जिन ग्रामों में पानी नहीं है है योजनायें शीघ्र कार्यान्वित की जायं। परन्तु योजनाओं का आधार वहां के लिए जो यहां से बनाया जाता है वह बड़ा दुखदायी होता है। हमारे प्लान पहाड़ी के लिये, उत्तराखण्ड के लिये लखनऊ से बनते हैं। इसके लिये यही कहा जाता है कि—

"planning from Lucknow has been futile and even harmful."

अतः जनता की राय का आदर करना ही समस्या का हल होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी यहां बैठे हुये हैं। प्राक्कलन समिति के सिलसिले में उत्तराखण्ड में वे तथा इस आदरणीय सदन के २५ माननीय सदस्य गये थे और उन्होंने योजना का प्राक्कलन किया। उन्होंने सुझाव दिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया गय। आज आप हिल बोर्ड बनाते हैं। जब हमारी समस्याओं का ही हल नहीं निकलता है तो इससे क्या फायदा है। जब हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी तो हमें विवश होकर विरोध करना होगा। वही प्रवृत्ति जो आज बंगाल में है वह यहां पर भी आ जायेगी और यह सरकार उसको इनवाइट कर रही है मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तराखण्ड में जब लखनऊ से अधिकारी जाते हैं तो वहां की हालत देख कर उनको ताज्जुब होता है पहाड़ों पर जमीन नहीं है। वह अनुभव करते हैं और समझते हैं कि वहां की बुरी व गरीबी की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज हम पिछड़े इलाके के लिये यहां विचार कर रहे हैं उसके संबंध में "यह कहना चाहता हूं कि जो वहां चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ६५.०६ करोड़ रुपये की हमें दी गई है उसका उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिये। इसके लिये एक सदन की समिति बनाई जाय जो देखे कि इस रुपये को ठीक ढंग से खर्च किया गया है या नहीं, वहां के लोग खुशहैं या नहीं, गूलों में पानी आ रहा है या नहीं और वहां बिजली की योजनायें कार्यान्वित हो गई हैं या नहीं।" इसी प्रकार से वहां के लिये जो हमारे बुजुर्ग मंत्रिमंडल में हैं या विरोधी दल के अनुभवी माननीय सदस्यों को देखना चाहिये कि वहां के लोगों को रोजगार देने के लिये क्या किया जा सकता है।

[श्री गोपाल दत्त]

पहाड़ों में सारी भूमि में ४८ प्रतिशत जंगल है। इसलिये वहां फारेस्ट प्रोडक्ट्स की बहुत सी इंडस्ट्रीज हो सकती है। लेकिन पहाड़ की लकड़ी द्वारा बरेली, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर आदि जगहों पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं। हमारे यहां लोगों को लकड़ी तक नहीं मिलती है। पत्थर का कोयला १५ रुपये मन मिल रहा है और लकड़ी का गट्ठा बहुत तेज मिलता है। हमारे यहां से लकड़ी का कोयला बाहर चला जाता है और आश्चर्य है कि हमारे यहां के लोगों को ये चीजें बहुत तेज मिलती हैं। हमारे यहां टरपेंटाइन की एक फैक्ट्री तक नहीं थी। अब एक दस हजार मन रोजिन से टरपेंटाइन की फैक्टरी बनी है। उत्तराखंड के लिए आइन्दा जो योजनायें बनाई जायं उनको सही ढंग से कार्यान्वित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

*श्री घासीराम (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं १९५२ से सदस्य रहा हूं। मैं अपने जिले इटावा की बात कहना चाहता हूं। यहां पर तीन ब्लाक हैं। भड़पुरा, चकन्ना और औरैया और इस जिले में चार नदियां जमुना, चम्बर, कुंआरी आदि हैं। जब सरकार प्रदेश के पिछड़े जिलों के बारे में विचार कर रही है तो इस जिले पर भी ध्यान दिया जाय। एक तरफ तो यह बुन्देखण्ड से मिलता है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से मिलता है। इसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे जिले में माननीय भारत सिंह चौहान गये थे। वे वहां की सब बातें जानते हैं। जहां तक योजनाओं की बात है इसको विशेष तौर से स्पेशल रियायत मिलनी चाहिये। इन तीन ब्लाकों में आप देखें कि ज्यादातर जितने भी वहां के नौजवान हैं या तो वे पाकिस्तान बार्डर पर हैं या चीन के बार्डर पर हैं। वहांपर सिंचाई के कोई साधन नहीं है। आवागमन का भी कोई रास्ता नहीं है।

इसी तरह से हरिजनों की समस्या है। वहां पर ४००, ५०० फुट पर पानी है तो हरिजन कैसे उसको खोद सकते हैं ? इतनी गहराई तक वह खोद नहीं सकते हैं। जहां तक सरकार के करने की बात है अगर यह सरकार कुछ मदद करती भी है तो वहां जो जिले के अधिकारी हैं वे उसको कर नहीं पाते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं किन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस बात को नोट किया जाय कि जब वे लोग कुर्बानी करते हैं तो उनको भी स्पेशल रियायत दी जाय। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था जैसे बुन्देलखंड की बात है। बुन्देलखंड का इलाका उससे मिला हुआ है वहां पर जब ६। एकड़ की बात आई तो बुन्देलखंड के लिये १२ एकड़ की बात है। यह उनको लाभ दिया गया है तो यही लाभ और यही रियायत उस जिले को भी मिलना चाहिये और खासतौर से जो ये तीन ब्लाक हैं बडपुरा, चकरपुर और औरैया इनको रियायत दी जाय। हरिजनों को पानी की बहुत परेशानी रहती है। वह ४००, ५०० फुट तक खोद नहीं सकते हैं। जिले को अगर कुछ सहायता हरिजन विभाग देता भी है तो जिले के अधिकारी उससे लाभ नहीं उठाते हैं और फिर २००, ३०० रुपये में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी ओर स्पेशल तौर पर ध्यान दिया जाय।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक जमुना के किनारे की बात है जमुनापार और जमुना के इस पार का जो इलाका है वह ऐसा है कि वहां पर न तो बम्बा है, न नहर है और न नलकूप ही बने हैं जिससे किसानों की सिंचाई हो सके। चम्बल है, कुंवारी है और जमुना है। उसके बाद मध्य प्रदेश का इलाका है। इधर इटावा या जालौन तक बीच के हिस्से में २, १ मील भी है। एक दफा शुरूआत में चौधरी गिरधारीलाल वहां गये थे। हमारा परम सौभाग्य है कि दोबारा हमारे नौजवान भारत सिंह जी चौहान ने दौरा किया है। उनसे भी हमको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आशा है कि वह यहां से नोट भेजेंगे और उनके नोट पर कुछ काम होगा। मेरी आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि विशेषतौर से इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाय। हरिजन और किसानों के लिए कुछ शुरूआत हुई है लेकिन जो काम सरकार करती है जिले के कर्मचारी उसकी परवाह नहीं करते हैं मै विशेष रूप से मेरा निवेदन यह है कि उस क्षेत्र के लिये विशेष ध्यान दिया जाय। अधिक मन्त्रियों को वहां का दौरा करना चाहिये। वहां की समस्या आज तक बनी हुई हैं। इस देश को आजाद हुये भी २२ वर्ष हो गये हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि इतने दिन बीतने के बाद भी वहां की समस्या वैसी ही बनी हुई है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जमुना पार जो बडपुरा ब्लाक में सरायताल से हरौली तक का रास्ता है वहां पर कोई साधन आवागमन के नहीं हैं। जमुना के इस पार का जो इलाका है जो आसई से अन्दाव तक का है वह भी ऐसा ही पड़ा है। इसकी तरफ विशेष रूप से चौथी योजना में ध्यान देकर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि मेरी प्रार्थना-पर ध्यान दिया जाय और वहां की गरीबी, परेशानी को दूर किया जाय।

श्री उदित नारायण—

उपाध्यक्ष महोदय, यहां २ दिन से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में चर्चा चल रही है, यह केवल २ दिन से ही नहीं बल्कि जब से यह देश आजाद हुआ है और उसके बाद से जब से अपना काम हमने खुद सम्हालना शरू किया है उस दिन से इसका इतिहास आरम्भ होता है। यह जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें चलीं यदि हम उनको समझने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि उनकी नींव में जो विचार निहित था वह यह था कि यह सभ्य मानव का कर्तव्य होता है कि वह पिछड़े हुये वर्गों और क्षेत्रों की और वहां के जो पिछड़े हुये लोग हैं उन सब को समृद्धि-शाली बनाने के लिये, उनकी समृद्धि की ओर अग्रसर करने का सारे देश और सारे प्रदेश का सामूहिक और नैतिक कर्तव्य होता है। आखिर योजना बनाने की जरूरत क्या थी ? हम उसी तरह से क्यों नहीं खर्च करते चले जायं जैसे पहले हुआ करता था ? योजना बनाने का एक ही कारण था और वह यह था कि जहां अधिक जरूरत है वहां हम अधिक ध्यान दें। लेकिन मेरा निवेदन है कि योजनाओं के अब तक के जो परिणाम हैं उनसे सिद्ध है कि आज तक की सारी योजनायें इस माने में निरर्थक रही हैं, बेमानी और बेनतीजे की रही हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होता यदि वास्तव में हम पिछड़े लोगों को उठाने में असमर्थ रहते हैं।

जब हम विकास के कार्य करते हैं जिसे आप समाजवाद या मानव के कल्याण या और कोई भी संज्ञा दें लेकिन उसमें यह विचार निहित रहता है और यह एक आधारभूत सिद्धान्त निहित रहता है कि मानवता की महिमा और गरिमा को देखते हुये, बगैर इस लिहाज के कि उसकी सामर्थ्य और शक्ति क्या है, हम उसे वह सब कुछ देने की कोशिश करें जो उसके लिये नितान्त अपेक्षित है। उसमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बरसों से हमारी कोशिश रही है कि हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो अविकसित भू-भाग हैं, जो अंचल हमारी सहायता के हकदार हैं उनका हम विकास करें। लेकिन एक बड़े दर्द की और दुख की बात यह है कि यदि यह बात न कही जाय तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि जले के घाव पर नमक छिड़का जाय यह उचित नहीं है। सुबह से शाम तक बरसों से यह बात कही जाती है कि हम पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं। लेकिन जो कार्य किये जायं उनसे पिछड़े वर्ग की ही उपेक्षा हो, उपेक्षा ही नहीं बल्कि भीषण उपेक्षा हो और भयंकर उपेक्षा हो और इतनी इतनी उपेक्षा हो जिससे इनसान और उसका वानस उद्वेलित हो उठता हो और हार कर वह क्रान्ति करने के लिये उद्यत हो जाता हो, तो इस तरह की उपेक्षा इन क्षेत्रों की हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में हमें यह मंजूर है कि हम इन पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास करेंगे तो जैसे यह प्रस्ताव आते हैं इस तरह की मांग रखने से कोई प्रगति नहीं होने वाली है। यह जो तीन चार अंचल पिछड़े हुये कहे जाते हैं—उत्तरी, पूर्वी और जो यह बुन्देलखंड का अंचल है, इसमें कोई सन्देह नहीं है और आज यह निर्विवाद है कि हमारे यह तीनों अंचल पिछड़े हुये हैं। इनके साथ यदि हम एक अंचल

[श्री उदित नारायण]

और जोड़ दें जो प्रतापगढ़, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर का कुछ भाग और इलाहाबाद के बाद का थोड़ा सा भाग है यह जो क्रानिक स्केयरसिटी की बेल्ट है जहां पर हमेशा कहीं पानी नहीं बरसे तो दिक्कत हो जाती है । लेकिन ये जगहें वे हैं, जहां पर भुखमरी हुए बिना नहीं रहती चाहे पानी बरसे या न बरसे । तो इन क्षेत्रों में जगह-जगह स्केयरसिटी हुयी है और श्रीमन्, अगर आप हिसाब लगायें और देखें कि कितना रुपया केन्द्र का और प्रदेशीय सरकार का खर्च हुआ है, इस क्षेत्र में तो आपको आश्चर्य होगा श्रीमन्, वह करोड़ों रुपयों की तादाद में हुआ है लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसका आधा रुपया खर्च कर के उसके लिए योजना बना कर उसके विकास की कोशिश करें । तो जो हमारी समस्या है पूर्वी अन्चल की उस पर हम अगल बैठकर विचार करें । इसी प्रकार जो समस्या पर्वतीय अंचलों की है, उस पर जब तक अलग से बैठकर विचार नहीं करेंगे तो कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है । श्रीमन्, मैं यह नहीं चाहता हूं कि भावनाओं को उभार कर मैं आपको किसी तरफ ले जाऊं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हम अलग बैठकर ईमानदारी के साथ और न्याय की दृष्टि से उसको देखें और फिर इसका कोई हल निकाला जाय ।

आज तक जितने बनाये गये हर एक में इस बात का जिक्र होता है । प्लानिंग कमीशन में भी इसका जिक्र होता है और जो हमारी नेशनल डैवलपमेंट कमेटी है, उसमें भी इसका जिक्र होता है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में किसी ने भी ईमानदारी के साथ, बफादारी के साथ, इस काम को नहीं करना चाहा है । इसलिये मैं कहता हूं कि जितने भी बजट आपके आये हैं, नीचे से ऊपर तक उठाकर देख लें । कहा जाता है कि बजट के बारे में आप एक नयी परिपाटी का पालन कर रहे हैं कि हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लक्ष्य क्या थे, वे कितने पूरे हुए हैं । कौन-सी सरकार ने यह देखने की कोशिश की है कि हमारे इतने इतने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और उनमें इन इन चीजों की आवश्यकता है और इस लिहाज से हम इतना इतना रुपया देते हैं । जब सड़कों और नलकूपों का वितरण करते हैं आप तब इन आंकड़ों को उठा कर देख लें । बड़ दुःख की बात है, शर्म की बात है और बड़ी निर्लज्जता की बात है कि जिनके हाथ में अधिकार रहते हैं, उन्हें देखना चाहिये कि इन पिछड़े इलाकों में कितना काम किया जाता है ।

मैं जानना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में कितने आज तक नलकूप बनाये गये हैं और मैं तो चाहूंगा कि जब तक वहां पर पर्याप्त मात्रा में नलकूप न लग जांय तब तक दूसरी जगहों में न लगायें जांय, तब इस इलाके का विकास हो सकता है । चाहे कितने ही क्रान्तिकारी हों चाहे कितने ही समाजवादी हों लेकिन अगर पश्चिम से आते हैं तो उनको यह वर्दाश्त नहीं होता है । (श्री राम चन्द्र विकल जी के यह कहने पर कि वहां पर तो पत्थर निकलते हैं) मैं मान लेता हूं जैसा कि विकल जी ने कहा कि हमारी तरफ तो पत्थर कि निकलते हैं लेकिन अगर यह हो जाय कि हमारी तरफ ही नलकूप लगेंगे और जब तक वहां पर काफी नहीं हो जायेंगे तब तक दूसरी जगहों पर नहीं लगाये जायेंगे तब तो समस्या का हल हो सकता है । यह कह कर कि आपके यहां पर तो पत्थर निकलते हैं, बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाया गया है । यह सही है कि बुन्देलखंड प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां पर दैवी प्रकोप है और वहां पर कहीं कहीं जमीन के नीचे से पत्थर निकलते हैं लेकिन वहां पर नदियां भी हैं । यदि प्रकृति की यह निशेषता है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश नेत्रविहीन हो तो यह देखेंगे कि उसकी बुद्धि उसकी याददाश्त अधिक होती है । जो उसकी नेत्रविहीनता होती है उससे उसको जो क्षति होती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है । यह नियम प्रकृति का आपको हर जगह मिलेगा । बुन्देलखंड में पत्थर निकलते हैं तो उसमें इतनी नदियां हैं कि अगर उसके एक एक बूंद पानी का उपयोग कर लिया जाय तो पश्चिम वाले झख मारने लगें । मैं समझता हूं कि हमारे यहां योजनायें बनती हैं, मैं समझता कि हमारे यहां का विकास नियोजित है

लेकिन अगर यहां पर इस बात का हिसाब लगायें कि कितनी नदियां हैं, कितनी क्षमता है पानी लेने की और कितना पानी उपयोग में लिया जाता है और कितना बह जाने देते हैं, जब तक इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता तब तक आप हमें न्याय नहीं दे सकते। आपको और सभी साथियों को, ताज्जुब होगा कि आप कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग को, पिछड़ क्षत्र के वास्ते कुछ अधिक करना चाहते हैं। आप अधिक क्या करते हैं। इसमें सन्दह नहीं कि हम पश्चिम के मुकाबिले में पिछड़े हैं। हम इस बात को मान लेंगे कि हम अपाहिज हैं.....

एक सदस्य---

आप जब मंत्री थे तब आपने कितना ध्यान दिया इस क्षेत्र की ओर ?

श्री उदित नारायण---

श्रीमन्, उस जमाने में जितना काम बुन्देलखंड में कुछ महीनों में हुआ है उतना काम पहले सालों में नहीं हुआ। आपके सामने आंकड़े हैं, उनको मंगा कर देख लें।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसा उदाहरण जिसे कहते हैं 'हाथ कंगन को आरसी क्या, आप जानते होंगे कि हमारे यहां जितने ट्यूबवेल हैं, ये सब मेरा खयाल है करीब बीस से लगा कर चालीस प्रतिशत के घाटे पर चलते हैं। अब यह बात मानी हुई है कि बुन्देलखंड का विकास तभी हो सकता है जब आप वह लिफ्ट इर्रीगेशन दें। आप विकास तो करना चाहते हैं लेकिन नियम यह बना है कि लिफ्ट इर्रीगेशन से जो योजनायें बनेंगी उन योजनाओं में सरकार ६ प्रतिशत सूद के साथ-साथ ६ प्रतिशत मुनाफा जब तक नहीं ले लेगी तब तक योजनायें नहीं बनेंगी। इन उसूलों के रहते हुए आप यह कहने की जुर्रत करते हैं कि हम पिछड़े हुए अंचलों का विकास करना चाहते हैं। जो विकसित क्षेत्र हैं वहां पानी की दर कम है। जो अविकसित हैं वहां पानी की दर ज्यादा है। जो अविकसित हैं वहां लिफ्ट से पानी दे सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि बुन्देलखंड का तीन चौथाई भाग सिंचित हो जायेगा अगर आप सब पानी का उपयोग कर लेंगे।

मैं एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो पिछड़ा हुआ अंचल है इसकी भी अलग-अलग अपने किस्म की समस्यायें हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं श्रीमन्, कि मैं जो कहूं उसका अर्थ यह न लगाया जाय कि जिनसे लाभ नहीं होता उनको कुछ न दिया जाय। अभी श्रीमान् को याद होगा कुछ समय पहले यहां समस्त संसार के देशों की कमेटी हुई थी जिसमें डेवलप्ड और अनडेवलप्ड दोनों कन्ट्रीज का सवाल था। उसमें बड़े-बड़े लोगों ने यह कहा था कि डेवलप्डड कन्ट्रीज जो हैं वे यह न समझें कि हम उनको अनुदान या सहायता देकर उन पर मेहरबानी करते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि आज के युग में यह माना हुआ सिद्धान्त है कि सिर्फ यही नहीं यह उनका अधिकार है मानव होने के नाते उसे पाने का हमारा अधिकार है। अगर कोई गरीब के यहां जन्म ले ले तो उसको भी अपना विकास करने का अधिकार है। वह उसे मिलना चाहिये।

मान्यवर, बुन्देलखंड की एक विशेषता यह है कि उस क्षेत्र में जितनी कृषि योग्य भूमि है उतनी भूमि उत्तर प्रदेश के किसी भी डिवीजन में नहीं मिलेगी। अकेले झांसी जिले में २० लाख एकड़ जमीन है जो कृषि योग्य है। इतनी भूमि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं होगी। कहने के लिये कह सकते हैं कि वहां की आबादी इतनी है। श्रीमन्, जिन जिलों से २०-२० एम० एल० एज० आते हैं वहां से इन जिलों में जहां से ४-४, ५-५ एम० एल० ए० ही आते हैं आपकी जमीन अधिक मिलेगी। बांदा, हमीरपुर आदि जिलों में तमाम जमीन पड़ी हुई है। उसको आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जायेगा कि आप हमारे ऊपर मेहरबानी करते हैं या मूर्खता करते हैं। इस क्षेत्र में यदि आप साधन उपलब्ध करा दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप प्रदेश को स्वावलम्बी बना सकते हैं। झांसी में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, मगर सिंचाई के साधन वहां सबसे कम मिलेंगे। बुन्देलखंड के जिले

[श्री उदित नारायण]

सप्लस जिले कहे जाते हैं। लेकिन वहां पर सबसे कम साधन उपलब्ध हैं। यहां की मिट्टी काली है, उसके नीचे बहुधा पत्थर निकल आते हैं, यह सही है, मगर आज तक किसी ने इस प्रकार की जांच या सर्वेक्षण आदि नहीं किया कि इस जमीन में कहां से पानी लाया जा सकता है अगर इस जमीन को आप पानी देना शुरू कर दें तो यह जमीन सोना उगलने लगेगी। कौन सी जमीन उपजाऊ है, कौन सी नहीं, इसका पता तब हो सकता है जब आप दो जमीनों को एक साथ लें और दोनों में बराबर का पानी और खाद दें। उसके बाद देखें कि कौन जमीन अधिक उपजाऊ है। इसलिये अगर वास्तव में आप पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, तो जो सुझाव आपको दिये गये हैं आप उन पर विचार करें और अमल करें और उसी प्रकार से अपना बजट तैयार करें। जब आप ऐसा करेंगे तभी समझा जायेगा कि वास्तव में आप इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०

विद्युत् मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

माान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज गैर-सरकारी दिवस है। उसका कार्य रोक कर यह विधेयक कैसे पुरःस्थापित किया जा सकता है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह तो औपचारिक है, आपका कार्य तो चलता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो चलता रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह—

तब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० को पुरस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०९४-१०९५ पर)

उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, मैं कुछ अपन जिले के बारे में कहना चाहता हूं। बहराइच नैपाल से मिला हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा का अन्तिम जिला है। मैं पिछड़ेपन का अर्थ इस माने में लेता हूं कि जहां पर पिछड़े वर्ग के लोगों की आत्माएं, उनकी इच्छाएं तृषित रहती हैं। हमारे यहां के लोगों को जो पड़ोस के लोग हैं उनको देखकर, उनकी गरिमाओं को देखकर, उनकी लग्जरीज को देखकर उनकी आत्माओं को बहुत भारी आघात पहुंचता रहता है। इतिहास साक्षी है कि उस गरिमा को कायम रखने के लिये लोगों को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ता है और धर्म परिवर्तन भी करना पड़ता है। इसी तरह से विदेशी परम्पराएं और विचार-धारा और खासकर के साम्यवादी विचारधारा किसी देश में पनपती है। जब एक तरफ घोर गरीबी और दीनता है और दूसरी ओर कोई विलासिता और अमीरी देखता है तो वह साम्य-वादी रास्ता अपनाने के लिये विवश होने लगता है।

देश को आजाद हुए २२-२३ वर्ष व्यतीत होने पर भी उस गरीबी और पिछड़ेपन की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। हमारे यहां पर बड़े-बड़े लोगों गे गलत ढंग से बड़ी-बड़ी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, और सरकार के सीलिंग ऐक्ट का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ है। जब कि हजारों और लाखों व्यक्ति भूमिहीन और रोजगारहीन हैं, जिन्हें विवश होकर उनके यहां महीनों मजदूरी करनी पड़ती है और उनके शोषण का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे लोग उनके पिछड़ेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप बराबर सामाचार पत्रों में देखते होंगे कि बंगाल और केरल के बाद यदि कहीं नक्सलपंथी गतिविधियां पैदा होती दिखाई देती हैं तो वह बहराइच का जिला ही है। वहां नक्सलपंथी प्रवृत्तियां बड़ी तेजी से पनप रही हैं। आई० जी० साहब ने भी उसका अध्ययन किया लेकिन वह उसका कोई निदान नहीं खोज सके। खेद है कि अधिकारी वर्ग भी उनसे सम्बन्धित हो गये हैं। सरकार के कानून अधिकारियों के दबाव से दब जाते हैं, भूमिहीनों को कोई जमीन नहीं मिल पाती है। वहां से थोड़ी दूरी पर नैपाल सीमा से लगा हुआ एक ऐसा स्थान है--सल्यान-कल्यान, जो मिहीपुरवा से ४० मील दूर है वहांपर नक्सली गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। वहांपर लोगों को दीक्षा दी जाती है, और जिलों से लोग वहां दीक्षा प्राप्त करने जाते हैं। ऐसी दशा में सर्वप्रथम आवश्यकता है कि वहांपर भूमि का सही तरीका से वितरण कर दिया जाएगा। जिसे सरकार ने कानून बनाकर करने का प्रयास किया था लेकिन उसका कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए जोर दे कर उसका कार्यान्वयन कराया जाए और दूसरे आवश्यक कानून बनाए जाएं। नानपारा के एस० डी० एम०, श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ला ने इस दिशा में काफी प्रयास किया था। किन्तु उनका तबादला हो गया और उस चिट्ठी को मैंने स्वयं पढ़ा जिसमें लिखा था कि उनको हटाने में १० हजार रुपया खर्च हुआ है। श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल के हटाने में १० हजार रुपया खर्च हुआ है मुझे रुपये की जरूरत है मुझे रुपया दे दीजिये। वाम पंथी तत्व बढ़ रहा है, ऐसी विस्फोटक स्थिति हो गयी है कि सरकार का ध्यान उस तरफ विशेष प्रकार से आकर्षित होना पड़ेगा। दूसरे वहां पर नेपाल के बार्डर पर एक सड़क बनाई जाय, जहां पर पुलिस की चौकियां स्थापित की जायं और मोतीपुर स्टेशन पर एक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जाय। पुलिस चौकियां टेलिफोन या वायरलेस से सम्बन्धित की जांय जिससे वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था हो सके।

१९५२ में जिमींदारी अबालिशन होने के बाद ग्रामसमाज की जो जमीन बची उसे जंगल वालों ने छोन लिया। आज प्रति वर्ष ग्राम सभा की जमीन जंगल वाले हड़पते जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पारसनाथ सिंह]

गरीबों को दूर तक खदेड़ते जाते हैं। बीसों वर्ष से जोती बोई जमीन अपने कब्जे में कर लेते हैं। बेचारे गरीब किसानों को पता नहीं उनका जमीन में नाम है या नहीं। वर्ग ४ में डिक्लेयर करके जमीन कब्जे में कर लेते हैं। वह भूमिहीन जंगल वालों की नानपारा तहसील में और विशेषकर नानपारा तहसील में यह बहुत बड़ी समस्या है। नैपाल से दो नदियां निकलती है जिनका मिला हुआ रूप घाघरा है। वहां पर शारदा सहायक योजना बनी, जो कार्यान्वित हो रही है। उससे शारदा नहर में पानी दिया जायगा जो आजमगढ़ तक पहुंचेगा। वहां की गरीबी दूर करने के लिए एक नहर बहराइच, गोंडा और बस्ती जिले मे भी दी जाय।

नानपारा तहसील में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है। अगर कोई एलोपैथिक सरकारी अस्पताल नहीं है। पब्लिक ने बड़ा कंट्रीब्युशन दिया है। तीन लाख रुपया एकत्र है। वहां पर सरकार कम्बाइंड हास्पिटल बनाने की कृपा करे तो मैं तीन लाख रुपया जमा करने के लिए तैयार हूं और जब तक रुपया जमा न हो काम प्रारम्भ न किया जाय। सड़क और बिजली की भी मांग करता हूं। बहराइच जिला सरप्लस जिला है। इससे चौगुना गन्ना पैदा करके हम अन्य जिलों को खिलाएंगे अगर वहां पर सड़क दी जाती है तो किसानों को गल्ले की कीमत और भी सही मिलती रहेगी। वहां जो छोटी छोटी नदियां हैं उनसे बालू जाती रहती है। गन्ना ही एक ऐसा साधन है जो वहां किसानों को पैसा दे सकता है। लिहाजा एक चीनी मिल नानपारा में बनाने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)--

व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो विवाद चल रहा है इसको बन्द कर दिया जाय। मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विवाद बन्द कर दिया जाय।

श्री गोविन्दलल सिंह--

विरोध की दलील तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

क्लोजर में बहस नहीं होती है। तीन रोज पहले सदस्य बोल चुके हैं। तीस सदस्य बोल चुके हैं। इसलिए क्लोजर का मोशन स्वीकार कर लिया है।

मैं फिर से पूछ लेता हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१२६,

विपक्ष में--२३।)

श्री रियासत हुसैन--

रिजल्ट तो बतला दीजिये। शोर में सुन नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष—

१२६-२३ है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे द्वारा प्रस्तुत गर सरकारी संकल्प पर इस सदन में समय दिया। मैं सदन का भी आभारी हूं कि सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूर्वान्चल, पहाड़ी क्षेत्र और बुन्देलखंड इलाके की समस्याओं पर विचार किया। मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि सभी दल के लोगों ने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को महसूस किया है कि जो पिछड़े हुए अंचल हैं इनको आगे बढ़ाया जाय। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे नारायणदत्त तिवारी जी जब वित्त मंत्री थे तो जो चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना इस प्रान्त के लिये प्रस्तुत की वह ६६५ करोड़ की थी। तो यह देखना जरूरी है कि इसके बनने में कोई उसमें श्रीमन्, इस बात के आंकड़े प्रस्तुत हैं कि उत्तर प्रदेश के जो २२ जिले पिछड़े हुए हैं उनकी जनसंख्या ५२ प्रतिशत है। फाइनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन ने यह तय किया है कि धन के वितरण में ७ प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर १० प्रतिशत पर-कैपिटा इंकम के आधार पर १० प्रतिशत इंकम टैक्स के आधार पर और १० प्रतिशत विशेष समस्या वाले क्षेत्र के आधार पर दिया जाय। १० प्रतिशत बड़ी योजनाओं के लिये। लेकिन श्रीमन्, जो चतुर्थ योजना इस प्रान्त में बनी उसमें इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। श्रीमन्, यह पुस्तक है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छपी है। श्रीमन्, इस पुस्तक में साफ लिखा है कि "आर्थिक विकास के मामले में सारा राज्य पिछड़ा हुआ है किन्तु स्वयं राज्य में कुछ अंचल पिछड़े हुए हैं जिनकी जनसंख्या ४७.३ प्रतिशत है। इन पिछड़े अंचलों में ४७ प्रतिशत लोग रहते हैं। लेकिन चौथी योजना में जो इन क्षेत्रों के विकास के लिए रखा गया है वह केवल ३३८ करोड़ ७२ लाख रुपया रखा है।" तो यही सही माप दण्ड है।

अब आप सोचिये कि कौन सा मापदन्ड सरकार ने रखा है। जब आपकी योजना ६६५ करोड़ रुपयों की है तो आधे से भी कम उनको दिया गया है। योजना बनाते समय इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि जो भाषण यहां पर दिया जाता है उसको भी देखें। इस लिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों के लोग कह रहे हैं कि हमको अलग राज्य की आवश्यकता है। पूर्वी प्रदेश बुन्देलखंड अथवा पर्वतीय राज्य की मांग आ रही है। उत्तर प्रदेश के टुकड़े की जो मांग आती है हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जो मंत्री होता है वह खाली अपने क्षेत्र में अपने जिले को ही लेकर चलता है और उसका विकास करता है और सारे प्रदेश को एक समान समझ कर उसका विकास नहीं करता। इस प्रकार से उन्होंने अपना स्तर आगे नहीं बढ़ाया है। यह प्रदेश में विभाजन का कारण बन सकता है। मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश को एक ही चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश भारत वर्ष में एक प्रमुख प्रदेश रहा है, सिरमौर रहा है। चाहे जिस दल के लोग हों चाहे सरकारी पक्ष के अथवा विपक्ष के हों वे सभी यही चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो पिछड़े क्षेत्र हैं वे आगे बढ़ें। लेकिन कथनी और करनी में अन्तर है। दो किताबें पिछली सरकार ने निकाली थीं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों तथा पूर्वी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में। उसमें लिखा है कि हमने उनको बहुत रुपया दिया है। रुपया आप ने कुछ भी दिया हो परन्तु उनका विकास नहीं हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि वहां पर प्रान्त की जनसंख्या का ३ प्रतिशत रहता है और ६ प्रतिशत हमने उनको रुपया दे दिया। मैं मान्यवर, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप यह बतायें कि हमारा विकास कहां तक हुआ है। अभी परसों मैंने विद्युत मंत्री जी से कहा था कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी-बड़ी नदियां निकलती हैं गंगा, यमुना, धौली और काली नदी आदि। यों तो छोटी-मोटी बहुत सी नदियां निकलती हैं। आज हरियाणा ने कहा है कि हम हर एक गांव को बिजली देंगे।

[श्री इन्द्रमणी]

हमारे यहां तीन पंचवर्षीय योजनायें बीत गईं और इतना रुपया खर्च किया गया यह सही है परन्तु हालत क्या है ? उदाहरण के लिये आप बिजली देखे यह आपकी प्रगति है। आज हम कहां हैं ? आप इतना बिजली का उत्पादन इन्ही नदियों से कर रहे हैं जो पर्वतों से निकलती हैं परन्तु इन पर्वतीय क्षेत्रों में आप केवल १.१ प्रतिशत गांवों में ही बिजली दे रहे हैं। यह सोचने की बात है कि क्या हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं ? यदि हम विचार करें तो हमको मालूम हो जायगा कि इन क्षेत्रों के पिछड़े रहने का क्या कारण है। इसके दो कारण मालूम होते हैं। एक कारण तो यह है कि केन्द्र से हमको जो सहायता मिली है वह बहुत कम है और इस बात में कोई दो राय नहीं हैं। हम १८ वर्षों में कितना अधिक पिछड़ गये हैं यह भी विचारणीय है। जब हम स्वतंत्र हुये थे उस समय प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी २६० रुपया थी जबकि भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी २४८ थी, तीन पंचवर्षीय योजना के उपरान्त अब हमारी यह स्थिति है। बजाय और अधिक उन्नति करने के हम और अधिक पिछड़ गये और स्पष्ट है कि इन योजनाओं का उसका फल बिल्कुल ही उल्टा रहा। आज हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी ३२१ रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश की करीब २४८ रुपये है। यानी तीन योजनाओं के बाद और प्रांत तो आगे बढ़े लेकिन हम घट गये, हम पीछे हट गये। इसके मुख्य दो कारण रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार का व्यवहार हमारे साथ उचित नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता दी....

एक सदस्य—

श्रीमन्, जब आपने क्लोजर मूव कर दिया, तो क्या अभी यह बहस चलती रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उनको बोलने के लिये १५ मिनट का समय था। वे १० मिनट बोल चुके हैं, अब केवल ५ मिनट और बोलेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, इसका जो उत्तर होगा, क्या उसके लिये भी क्लोजर मूव होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता।

श्री मैनेजर सिंह—

श्री उनको बोलने दीजिये।

श्री इन्द्रमणी—

मैं यह बतला रहा था कि हमारे पिछड़ेपन के लिये केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है और उसका मुख्य कारण यह है कि हमको केन्द्रीय सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं में—जब कि हमारे यहां की आबादी सारे हिन्दुस्तान की आबादी में १७.८ प्रतिशत है, लेकिन हमें सहायता केवल १२.५ प्रतिशत ही मिली। इस प्रकार अगर अन्य प्रान्तों से हम तुलना करते हैं तो हमको सहायता बहुत कम मिली। इसी प्रकार से औद्योगीकरण में और विद्युत परियोजनाओं में हमें केन्द्र से जो अनुदान या वित्तीय सहायता मिली वह बहुत कम थी जिससे हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाये। दूसरा कारण हम सब लोग हैं जो कि यहां बैठे हुए हैं। जो भी रुपया हमको मिला उससे हम कोई अपनी सही योजना नहीं बना सके। जो गंगा, जमुना का मैदान है जो हिन्दुस्तान में सबसे उपजाऊ भूमि कही जाती है, उस मैदानी इलाके को आप आज तक पानी नहीं दे सके इससे बढ़ कर विडम्बना की बात और क्या हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो रुपया हमको मिला उसका हम सदुपयोग नहीं कर सके।

तीसरा कारण यह है कि जो भी प्लान हमने बनाया, हमारी जो सरकारी मशीनरी थी उसने उसका सही रूप से पालन नहीं किया। सरकारी आफिसरों का अपना प्लान था कि जैसे भी हो जनता को लूटा जाय। आपने गांव वालों की सेवा करने के लिये ग्राम सेवक को भेजा था लेकिन वह गांव वालों की सेवा करने के बजाय गांव वालों का मालिक बन गया। जितने भी बिभाग गांव वालों की सेवा करने के लिये भेजे गये वे गांव वालों के सेवक नहीं बने बल्कि उसके स्वामी बन गये और स्वामी बन कर हमारे गांव वालों को भी उन्होंने करप्ट कर दिया। इस प्रकार गांव वाले समझते हैं कि जैसे कोई राज्य है ही नहीं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो रुपया दिया गया उसका सही रूप से सदुपयोग नहीं किया गया है। श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव है यह समय के मुताबिक है और आज समय की मांग है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए भाई हैं उनको आप आगे बढ़ावें। समय के अनुसार हमें इन चीजों को समझना चाहिये। मैं उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आदरणीय बड़ौनी जी का बड़ा आभारी हूं कि वह इस सदन में ऐसा प्रस्ताव लायें जिसको इस सदन के सभी सदस्व चाहते हैं। यह बात भी सही है कि इस प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दूसरे हिस्सों के मुकाबले में उतने आगे नहीं है और उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात को ध्यान में रखकर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों के लोगों की मीटिंग बुलाई थी। पहाड़ी क्षेत्र के लिये तो हिल डेवलेपमेन्ट बोर्ड पहले से ही है। इसमें दो बातें हैं हमें जो भारत सरकार से एड मिलती है, अगर उस प्रिन्सीपिल को पूरी तरह एडाप्ट कर लें तो उसमें कठिनाई यह हो सकती हैकि अगर हम पापुलेशन बेसिस पर करें तो पहाड़ी क्षेत्र और बुन्देलखंड पीछे रह जायगा और उनको उतनी मदद नहीं मिल सकेगी और अगर हम आमदनी को देखें तो जो पूर्वी जिले हैं उनकी आमदनी बहुत कम है और वह उस हिसाब से पीछे रह जायेंगे। मैं स्वीकार करता हूं.....

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, पूर्वी जिलों की आबादी सबभे अधिक है। पूरा गोरखपुर और बनारस डिवीजन की आबादी करीब सवा दो करोड़ है।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

मैं आपकी बात माने लेता हूं।

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्लानिग कमीशन या फाइनेन्स कमीशन से जो मदद मिलती है वह पापूलेशन बेसिस पर इस वर्ष मिली या कोई दूस रा बेसिस है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

आपने आधी बात सुनी, मैं कह रहा था कि यदि पूर्वी जिलों को पापुलेशन बेसिस पर दें तो बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों का नुकसान हो जायगा क्योंकि वहां की पापुलेशन कम है और अगर आमदनी के हिसाब से देखें तो पूर्वी जिलों की आमदनी कम है और इससे कमी पड़ जायगी।

एक सदस्य—

आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वहां आमदनी कम है ? बलिया, आजमगढ़ ऐसी जगह है जहां कम नहीं है। हमारे शर्मा जी तो पूर्वी जिलों में गये ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू, अब जो आप माफ करने जा रहे हैं, उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान कितना देता था और पश्चिमी प्रदेशों का कितना और अर्ध विकसित का क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास जो फिगर्स हैं उनके हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश की २२.२ और दूसरे इलाकों की ४१.५ प्रतिशत है। मैं कह रहा था श्रीमन, एक माप दंड इस तरह से कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह मानता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी तरफ हमें तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं माननीय श्री शांतिप्रपन्न शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बात कर रहे हैं तो जब वे लोग इधर की तरफ थे उस समय माननीय कृष्णानन्द राय जी का भाषण हो चुका है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले कृष्णानन्द राय जी का भाषण जो इस प्रस्ताव पर हो चुका है पढ़ लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

सरकार पूर्वी जिलों के विरोध में कहां बोल रही है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं भी तो उसी बात को मान रहा हूं। अगर नेगी जो ऐसा खयाल है तो गलत है। मैं तो कह रहा था कि हमें बांधिये मत किसी मापदण्ड से, नहीं तो दूसरे इलाकों को नुकसान हो सकता है। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत होगी तो ३-४ दफा मीटिंग हम फिर बुला लेंगे और ध्यान देंगे हम इससे अलग नहीं हैं।

जो बात आपने कही है उससे हम अलग नहीं हैं।

श्री त्रिवेणी—

क्या आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास बोर्ड को गठित करने का विचार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये विकास बोर्ड की आवश्यकता हुई तो उसे भी कर सकते हैं ....

श्री त्रिवेणी—

गुप्त जी जब मुख्य मंत्री थे तब क्या यह सदन से सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास बोर्ड बनाया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उस प्रस्ताव की मुझे इस समय सूचना नहीं है। इतनी बात में जानता हूं कि आपकी इस भावना को ध्यान में रखकर सरकार सही काम करेगी जो सदन चाहता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था कि बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों का एक डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जायगा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कारपोरेशन अलग चीज है और स्टैडी करके यह भी पता चला है कि बोर्ड बनने से इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर कारपोरेशन बनेगा तो बाहर से भी रुपया आ सकता है और उसका डेवलपमेंट हो सकता है। यह बात सरकार के विचार में है कि कारपोरेशन बनाया जाय तो हो सकता है कि फाइनेन्सेज मिल जायं और तिवारी जी तो उसके एक्सपर्ट भी हैं। पिछड़ा हुआ जो हिस्सा है कारपोरेशन बनने से उसका डेवलपमेंट हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बात को मानता हूं कि जो पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसमें ज्यादा रुपया लगाने की जरूरत है।

श्री इन्द्रमणी—

एक मिनट मुझे बोलने की इजाजत दी जाय। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो यह बात उन्होंने कही कि पहाड़ के जिले परकैपिटा इनकम के हिसाब से अथवा पापुलशन के बेसिस पर रुपया दिया जाय तो लाभान्वित नहीं होंगे। मैं उनको फायनेन्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस करने लगे।

श्री इन्द्रमणी—

मैं एक मिनट लूंगा।

The question Therefore, placed before the Committee of Chief Ministers of the National Development Council. 1t was decided that after providing for the requirements of the States of Assam, Nagaland and Jammu and Kashmir, the central assistance to the remaining states for the fourth Plan be distributed to the extent of 60 per cent on the basis of their population.

यह हिमालय है जिसमें गढ़वाल और कुमायूं हैं। जम्मू-कश्मीर, आसाम और नागालैंड को भारत सरकार बिना किसी शर्त के रुपया दे सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को नहीं दे सकती ? क्या यह हिस्सा हिमालय में नहीं है, क्या मध्य हिमालय से देश को खतरा नहीं है ? इसलिये माननीय मंत्री ने जो तर्क दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं प्रस्ताव पर राय लिये लेता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनराशि इसी आधार पर उपलब्ध करे जिस आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या मैनेजर सिंह ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वायन कर ली है ?

श्री त्रिवेणी—

उन्होंने पार्टी बदल दी है।

श्री मैनेजर सिंह—

लाल टोपी हम लोगों ने ही शुरू की थी जब नगीना सिंह हमारे साथ थे तब भी वे इसका विरोध करते थे।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

दफा ५१ में आम तौर पर यह होता था कि नियम ५१ की सूचना दी जाती थी या नियम ५६ की सूचना दी जाती थी और आप उस समय निर्णय देते थे। श्रीमन्, आप नियम ६१ देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि "यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायेगा।" तो श्रीमन्, यह सदन की पहले से परम्परा रही है। मान्यवर, हमेशा यह होता रहा है कि जो भी प्रस्ताव नियम ५१ या नियम ५६ के आपके पास आते हैं उनकी घोषणा आप ४ बजे अवश्य कर देते थे। मान्यवर, आज कैसी बात हो गई कि लगभग साढ़े चार बजे हैं और अभी तक आपने उन प्रस्तावों की कोई सूचना सदन को नहीं दी है.....

श्री अध्यक्ष--

यदि आप नियम ५१ के सम्बन्ध में सूचनायें चाहते हों तो आप सुनें। नियम ५१ के सम्बन्ध में मेरे पास आज कुल ११ सूचनायें आई थीं। जिनमें से मैं श्री रियासत हुसैन का ११-१२-१९७० को थाना काशीपुर, जिला नैनीताल की पुलिस द्वारा नन्दकिशोर को पीटने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है और एक दूसरी सूचना श्री नित्यानन्द स्वामी की २०-७-१९७० को गंगा नदी की बाढ़ के कारण गंगा नहर तथा बिजली घरों के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में है, इन दोनों को स्वीकार किया है। और इन्हें केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और बाकी जो सर्व श्री पारस नाथ सिंह तथा बासुदेव सिंह, सुखपाल पांडेय, राजित राम, सुरेन्द्र विक्रम इत्यादि तथा श्री लालसा प्रसाद तथा श्री नारायण दत्त तिवारी वाली सूचनाओं को मैंने स्वीकार नहीं किया है।

(व्यवधान)

विधान सभा द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे चलेंगे और यह प्रस्ताव लिया जायगा....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, इस प्रस्ताव में मेरी वैधानिक आपत्ति है....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो सकता है सदन में....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया अतः मैं आपका आभारी हूं.....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मुझे आप यह बता दें कि मेरी सूचना को आपने नियम ५१ में किस तिथि के लिये स्वीकार किया है ?

श्री अध्यक्ष--

२३ या २४ तारीख के लिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो कि कई माननीय सदस्यों ने रखा है उस प्रस्ताव को प्रस्तावित करने में मुझे एक वैधानिक आपत्ति है ..... (व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात आप सुन लें। तो जब यह प्रस्ताव २८ अप्रैल को प्रस्तुत किया गया था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रस्ताव को पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार से है--"सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य में विधान परिषद् का उत्सादन किये जाने के संकल्प पर, जो सदन ने अपनी दिनांक २९ अप्रैल, १९७० की बैठक में पारित किया था, पुनः विचार कर उसे निरस्त किया जाता है और विधान परिषद् पूर्ववत् चालू रहेगा।"

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं यह समझ कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हूं कि अभी यह प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है और वह तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी इस बात पर कोई व्यवस्था न हो जायगी कि यह सदन के सामने आ सकता है या नहीं।

निवेदन यह है कि आर्टिकिल १६९ के अन्तर्गत कान्स्टीट्यूशन में यह व्यवस्था दी गयी है कि इस बारे में कोई भी लेजिस्लेचर क्या कर सकता है। उसमें से मैं पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है--

"169. (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State haing no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

२८ अप्रैल, १९७० को यहां पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और २९ अप्रैल को भारी बहुमत के साथ उस को पास किया गया। इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने के बाद आप के सचिवालय से केन्द्रीय सरकार व पार्लियामेंट के स्पीकर को इसकी सूचना दे दी गयी और वह पार्लियामेंट के विचाराधीन चला गया।

अब श्रीमन्, यह प्रस्ताव देखने को मिला जिसके अन्दर पूर्व प्रस्ताव के निरस्त करने की मांग की गयी है। श्रीमन्, यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है, इसका संबंध भारत के संविधान से है। साधारण प्रस्ताव के बारे में तो यह होता है कि यह सदन किसी प्रस्ताव को पारित करे या निरस्त करे। इसके बारे में नियमावली के अन्दर विशेष रूप से व्याख्या की गयी है। लेकिन इस प्रस्ताव का संबंध भारत के संविधान से है। इसके लिये जो व्याख्या संविधान के अन्दर दी हुई है, वह मान्य होगी। संविधान में इसके लिये जो प्रणाली

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

दी गयी है, उसी के अनुसार हमें इसको पारित करना होगा। श्रीमन्, विधान अपने अन्दर पूर्ण है और उसके बारे में स्पष्ट निर्देश हैं। वहां पर स्पष्टरूप से लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव पावर्स को डिफाइन किया गया है। उसके लिये यह कह देना काफी नहीं होगा कि चूंकि इसमें यह नहीं लिखा गया है इसलिये यह समझ लिया जाय कि उसका यह भी मतलब हो सकता है।

मेरा निवेदन यह है कि हमारी विधान सभा को केवल दो अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार तो यह है कि जहां पर एक ही चैंबर है वहां पर दूसरे चैम्बर को क्रियेट करने के लिये, विधान परिषद् की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव कर के, वह केन्द्रीय संसद को सुझाव दे सकती है। दूसरा हमारा अधिकार यह है कि जहां पर दो चेम्बर हैं और अगर विधान सभा चाहे विधान के अनुसार जितनी उसकी सदस्य संख्या है उस टोटल मेम्बरशिप के आधे से अधिक और जितने सदस्य उस दिन उपस्थित हों उनकी संख्या के दो-तिहाई से, इन दोनों शर्तों को पूरा करके विधान सभा विधान परिषद् को एबोलिश करने के लिये उत्सादन प्रस्ताव पास करके पार्लियामेंट को भेज सकती है। इसके अलावा यह बात भी सही है कि इसका अन्तिम निणय पार्लियामेंट के हाथ में होगा हमारे हाथ में नहीं है।

जैसा प्रस्ताव यहां पास हुआ था, वैसा बिहार में भी हुआ था। उसके पहले बंगाल और पंजाब में भी पास हुए थे। उसके फलस्वरूप पंजाब और बंगाल में विधान परिषदें समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि उनके प्रस्ताव को पार्लियामेंट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद बिहार विधान सभा के सदस्यों ने एक नया प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हमारे उस प्रस्ताव में एक संशोधन कर दिया जाय। उत्सादन तो हमें स्वीकार है लेकिन १९७४ तक विधान परिषद् अभी बनी रहे, उसके बाद उसका उत्सादन कर दिया जाय जब यह प्रस्ताव केन्द्रीय पार्लियामेंट में गया तो वहां पर विधायन के जानकारों की राय ली गगी। उनकी राय आई। उसकी दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं :

Mr. Dhillon had asked the Law Minister to clarify the legal position on (1) Once an Assembly passed a resolution recommending abolition of the Upper House and sent it to the Lok Sabha can it rescindit later by another resolution (2).....

"Regarding the first point Mr Hanumanthaiya asaid that the Consti tution did not contemplate any type of resolution by the passing of which the State Assembly would be able to withdraw an earlier resolution of which the Lok Sabha was seized.

He said that the phraseology of Article 169 showed clearly that the framers of the Constiution ""have chosen to clothe Parliament with the requisite power in this behalf either for the abolition or for the creation an Upper House on the fulfilment of a prior condition.

The prior condition is adoption of a resolution to that effect by a State Assembly with the requisite majority."

(२) को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे मतलब नहीं है। इसके अन्दर जो केंद्रीय सरकार की राय है वह एटार्नी जनरल की राय है जिसको उस पक्ष के सदस्य भी बहुत महत्व देते रहे ह। मैं भी उससे सहमत हूं।

(व्यवधान)

इसके कहने में मुझे संकोच नहीं है कि कानून की राय चाहे किसी भी पक्ष से आये यदि वह सही है तो उस को मान लेना चाहिये। मुझे यह मालूम हुआ कि आज यहां पर इस विषय में चर्चा के लिये रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं और आप ऐसी कुर्सी पर आसीन हैं जहां पर

आपने सदैव न्याय का पक्ष प्रस्तुत किया है, हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है। मैं केस को मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजगढ़)--

मैं जानना चाहता हूं कि आपत्ति है या लेक्चर हो रहा है ।

श्री नियानन्द स्वामी--

माननीय त्रिवेणी राय जी समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने दस मिनट मांगे थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

दस मिनट अभी नहीं हुये हैं। यदि हो भी गये हों तो मुझे दो मिनट और दे दिये जायं। एक राय हमारे सामने है। अगर ऐसा नहीं होता तो विधान में कहीं इसका प्रावीजन होता कि कोई भी असेम्बली इस तरह से अपने प्रस्ताव को रिवाइज कर सकती है। दूसरे पक्ष से लोग यह कह सकते हैं कि नियमावली में उल्लेख है कि ६ महीने के बाद हम बदल सकते ह। लेकिन नियम १११ में जो उल्लेख है वह केवल उन प्रस्तावों के लिये है जो साधारण हमारे प्रस्ताव हैं। ऐसे प्रस्तावों से संबंध नहीं है जो विधान से संबंधित हैं फिर अध्यक्षों ने दो बार इस प्रकार की व्यवस्था दी है। वह देखने की कृपा करें । माननीय अध्यक्ष के दिये गये निर्णयों का संकलन का पृष्ठ ५७१ के ५८ को देखिये। "किसी पूर्व पारित प्रस्ताव का विरोध करते हुये उसे वापस लेने का संशोधन उसके स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत दूसरे प्रस्ताव में नहीं किया जा सकता ।"

"२५ मार्च, १९६४ को पिछले दिन दिनांक २१ मार्च, १९६४ को उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री एन० यू० वेग तथा माननीय न्यायाधीश श्री जी० डी० सहगल एवं अन्य के विरुद्ध सदन का अवमान करने के संबंध म पारित प्रस्ताव के स्पष्टीकरण हतु प्रस्तुत संकल्प में श्री काशीनाथ मिश्र ने निम्नलिखित संशोधन रखना चाहा--

"२१ मार्च को श्री केशव सिंह की पुनः गिरफ्तारी, और माननीय श्री वेग और माननीय सहगल को हिरासत में लाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है उस को यह स :न वापस लेता है।"

श्री अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा--

"यह जो संशोधन आपने रखा है दो कारणों से अनियमित है । एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको वापस लेना है और आगे आपने लिखा है कि विरोध प्रकट करता हूं। दोनों बातें नियम विरुद्ध हैं इसलिये यह अनियमित है।"

दूसरी व्यवस्था पृष्ठ ५७२ पर नम्बर ६० पर है। २० फरवरी, १९६१ को श्री राज-नारायण द्वारा प्रस्तुत मंत्रि मंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को सदन की अनुज्ञा मिल जाने पर श्री अध्यक्ष ने श्री त्रिलोकी सिंह तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को सदन की अनुज्ञा के लिये नहीं रखा। श्री नारायणदत्त तिवारी ने इस पर श्री अध्यक्ष से निम्नांकित प्रश्न किया--"मैं जानना चाहता हूं कि दो मोशन आये, आप जो दूसरा नहीं ल रहे हैं यह किस नियम के अनुसार नहीं ले रहे हैं ?"

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

श्री अध्यक्ष ने कहा इसलिये नहीं ले रहा हूं क्योंकि कि मोशन पास हो गया और वह इसी सबजेक्ट के ऊपर है। दो मोशन्स एक सबजेक्ट पर नहीं उपस्थित किये जा सकते। श्रीमन्, इस व्यवस्था के अन्दर कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है कि क्यों कि ६ महीने का बीच नहीं दिया इसलिय दूसरा मोशन नहीं आ सकता। पहली यह व्यवस्था कही गई क्योंकि एक प्रस्ताव पारित हो चुका है इसलिये उस को निरस्त करने के लिये दूसरा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यह व्यवस्था है। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण कर सकते हैं और जो भी बातें आयेंगी लेकिन मेरी जो वैधानिक आपत्ति है उसमें मुझे आप की व्यवस्था चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि जब तक यहां पर विधि वेत्ता की राय न ले ली जाय तब तक इसको आप प्रस्तुत करने की अनुमति न दें। आप के चैम्बर में उन की राय आ सकती है लेकिन हम लोगों के सामने एडवोकेट जनरल हों और हम लोग भी उनसे पूछें। तब व्यवस्था दें क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और साधारण प्रश्न नहीं है। इसलिये इस निवेदन के साथ आप से प्राथना करता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे भी कुछ शंका थी इसलिये इस विषय में कानूनी राय ली गई। तो इसलिये एडवोकेट जनरल को लिखा कि आप कृपा कर इस विषय में राय द। इतना ही नहीं बल्कि जो पुराने एडवोकेट जनरल थे मिश्र जी उनकी राय भी ली गई। जो आजकल शान्ति भूषण जी एडवोकेट जनरल हैं उनकी राय भी ली गई। तो वह इस प्रकार है कि "जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद १६९ के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा २९ अप्रल, १९७० को विधान परिषद् के उत्सादन के लिये स्वीकृत किये गये संकल्प को निरस्त करने का अधिकार विधान सभा को है या नहीं? मैं उपविधि परामर्शी के पृष्ठ ५०–५२ पर व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से सहमत हूं कि विधान सभा अपने २९ अप्रैल, १९७० के संकल्प को निरस्त करने के लिये सक्षम है। यह एक सुदृढ़ रूप से स्थापित कानून का सिद्धान्त है। जो साधारण भाषा अधिनियम (जनरल क्लाजेज ऐक्ट) की धारा २१ में अभिव्यक्त किया गया है कि किसी कार्य के करने की शक्ति में उस कार्य को निरस्त करने की शक्ति भी शामिल होती है यदि ऐसा करने में कोई अभिव्यक्त या आवश्यक रूप में परिलक्षित रुकावट न हो यानी उसमें अगर रुकावट दी गई हो तो आप नहीं कर सकते हैं। संविधान में न तो अभिव्यक्त रूप में और न परिलक्षित रूप से ही विधान सभा को संविधान के अनुच्छेद १६९ के अन्तर्गत पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने की शक्ति से वंचित किया गया है। यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है कि यदि संसद् ने विधान सभा के संकल्प पर विधान परिषद् के उत्सादन के लिये विधि बना कर पहले ही कार्य कर लिया होता तो विधान सभा को अपन पूव पारित संकल्प को निरस्त करने का अधिकार नहीं होता। किन्तु जैसी स्थिति है उसमें यह स्पष्ट है कि विधान सभा २९ अप्रैल, १९७० के संकल्प को निरस्त करते हुये संकल्प अंगीकार कर सकती है।" यह दूसरी राय लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की है और उसके बाद यह जो आप के पहले एडवोकेट जनरल श्री मिश्र थे उन की है। इसमें यह दिया गया है कि "मैंने श्री गोयल तथा न्याय सचिव, दोनों व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में बात कर ली थी। इन लोगों की सम्मति मुझ से बातचीत करने के बाद लिखी गई है, और उससे मैं सहमत हूं, इसीलिये अपनी अलग से राय लिखना आवश्यक नहीं समझता हूं। प्रस्ताव के लिये सदन की कुल संख्या का बहुमत आवश्यक है। प्रस्ताव पारित करने के बारे में जो हमने तय किया था कि आधे से ज्यादा बहुमत होना चाहिये और पूरी उपस्थिति के आधे से अधिक लोग पक्ष में होने चाहिये...

उद्योग मन्त्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

आप श्रीमन्, इस सम्बध में व्यवस्था न दें, दो लाइन मेरी सुन लें कृपा करके तब आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था देना चाहता हूं लेकिन अभी मैं.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप हमारी बात सुनने के बाद व्यवस्था दें।

श्री गोविन्द सिंह--

(व्यवधान)

जो विरोधी राय मिली है उस को भी तो आप सुन लें, केवल एक मिनट में आप पहले हमारी बात सुन लें .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं तो अपनी बात पहले पूरी कर लूं, मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हू, मैं तो अभी जो राय मेरे पास आई है वह सुना रहा था।. उन्होंने एटारनी जनरल की राय सुनाई और मैंने जो राय यहां एड-बोकेट जनरल की यहां ली वह भी सुनाई, लोक सभा में अटारनी जनरल की राय से काम हो सकता है और म ने पहले और अब दोनों एडवोकेट जनरल्स की राय ले ली है ।

(व्यवधान)

मुझे व्यवस्था देनी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

लेकिन पिछली सरकार को हटाने में तो राज्यपाल जी ने एडवोकेट जनरल की राय को निरस्त कर क अटारनी जनरल की राय से काम किया, इस बात का आखिरी निर्णय कौन करेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो अध्यक्ष यहां कुर्सी पर बैठेगा, वह उपाध्यक्ष जी हों या मैं होऊं वह जो ठीक राय समझेगा उसके अनुसार फैसला करेगा।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह--

आप पहले हमारी बात सुन लें।.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया, कहा गया कि एडवोकेट जनरल की राय ली जाय वह मैंने पहले ही ले ली और आप को भी बता दी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप सुन लें.....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, आप हमारी बात एक मिनट में पहले सुन लें.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

तो अब मैं इस संकल्प को वैध समझता हूं और इसको सदन में उपस्थित किया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह---

श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर विषय है आप कृपा कर के हमारी बात सुन लें.....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं केवल आप से २ मिनट का समय चाहता था हमारी बात आप सुन लेते तो बड़ी कृपा होती.....

(व्यवधान)

हमें आप सुन तो लेते.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

सब को इस तरह से एक साथ मैं नहीं सुन सकता। आप लोग व्यवस्था स्वय नहीं रखते।

(घोर व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, आप इतनी गम्भीर समस्या को आसानी से टाल रहे हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं टाल नहीं रहा हूं, मैंने एडवोकेट जनरल की राय बता दी और अपनी व्यवस्था भी दे दी।

(घोर व्यवधान)

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य में विधान परिषद् का उत्सादन किए जाने के संकल्प पर, जो सदन ने अपनी दिनांक २९ अप्रैल, १९७० की बैठक में पारित किया था, पुनः विचार कर उसे निरस्त किया जाता है और विधान परिषद् पूर्ववत चालू रहेगी।"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह पेश हो गया है। अगर इस पर चर्चा होगी तो दूसरे दिन होगी क्योंकि बहुत शोर हो रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, यह अभी पेश नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

उपस्थित हो गया है, पर चर्चा किसी और दिन होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आपने हमारे नेता को बिना सुने ही व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष---

आप शोर करने लगे। चूंकि यहां पर गड़बड़ी है, इसलिए मैं सदन को स्थगित करता हूं। अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे पूर्वाह्न में बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४५ मिनट पर सोमवार २१ दिसम्बर, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ दिसम्बर, १९७०।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १८–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१०–१०११ पर]

अनुसूची—अ

द्वितीय सत्र के पहले शुक्रवार के लिए—श्री रामपति के विधान सभा प्रश्न संख्या १८ के [उत्तर का अनुलग्नक

क्रम-संख्या	नाम मद	१९६१–६२			१९६२–६३			१९६३–६४			१९६४–६५		
		स्वीकृत धनराशि	वापस की गई धनराशि	वापसी का कारण	स्वीकृत धनराशि	वापस की गई धनराशि	वापसी का कारण	स्वीकृत धनराशि	वापस की गई धनराशि	वापसी का कारण	स्वीकृत धनराशि	वापस की गई धनराशि	वापसी का कारण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	राज्य योजना—												
१	अनु० जा० कूप निर्माण	२,०००	..	..	२,६००	..	..	२,०००	..	..	५००	..	..
२	,, ,, भवन निर्माण	७५०	..	..	..	..	..	..	..	..	७५०	..	..
३	,, ,, कुटीर उद्योग	..	..	..	१,३०४	..	..	५००	..	..	६००	..	..
४	,, ,, कृषि उत्थान	..	..	..	९५६	५९६	**	१,०८०	..	..	३६०	..	..
५	,, ,, गृह स्थल कार्यस्थल	..	..	..	५००	..	..	..	..	..	..	..	..

केन्द्रीय योजना—

१	विमुक्त जाति कृषि उत्थान	३६०	..	..	५००	..	..	३६०	..	..	३६०	..	..
२	,, ,, कुटीर उद्योग	३००	..	..	२५०	..	..	४००	..	..	..	..	..
३	,, ,, भवन निर्माण	..	..	..	७५०	..	..	७५०	..	..	७५०	..	..
४	अनु० जा० भवन निर्माण	..	..	..	६००	..	..	७५०	..	..	७५०	..	..
५	,, ,, गृह स्थल कार्यस्थल		..	..	२५०	..	..	५००	..	..	१०००	..	..
	योग	.. ३,४१०	..	..	७,७१०	५६६	..	६३,४०	..	..	५,०७०	..	..

**यह धनराशि सहकारी समिति के लिये थी और प्रश्न गत ब्लाक में सहकारी समिति न होने के कारण वापिस कर दी गई।

प्रति विधान सभा

द्वितीय सत्र के पहले शुक्रवार के लिए—श्री रामपति के विधान सभा प्रश्न संख्या १६ के उत्तर का अनुलग्नक

अनुसूची—ब

उपरोक्त अनुदान जिन-जिन लोगों को जितना-जितना दिया गया है और जिस श्रोत द्वारा दिया गया ह, विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम-संख्या	मद का नाम	अनुदान प्राप्त कर्ता का नाम व पूरा पता	दिया गया धन	अनुदान दिये गये धन का श्रोत
१	२	३	४	५
		वर्ष १९६१-६२	रु०	
१	कूप निर्माण अनुसूचित जाति ..	.. १—श्री भगेलू चमार, सा० रामपुर गोसाईं ..	५००.००	चेक द्वारा
		२—श्री टहल चमार, सा० कुआं ..	५००.००	,,
		३—श्री सुखराज चमार, सा० गनेशपुर ..	५००.००	,,
		४—श्री सुक्खू चमार, सा० लखुआपाकड़ द्वारा प्रधान लखुआपाकड़	५००.००	,,
		योग ..	२,०००.००	,,
२	भवन निर्माण अनुसूचित जाति ..	.. १—रूपई चमार सा० एकोना खुर्द ..	७५०.००	,,
३	कृषि उत्थान वि० जाति ..	.. २—सुखदेव चमार सा० लखुआपाकड़ ..	३६०.००	,,
४	कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति ..	.. १—पडोही हरिजन सा० लखुआपाकड़ ..	३००.००	,,
		कुल योग ..	३,४१०.००	,,

वर्ष १९६२–६३

			रु०	
१	कृषि उत्थान अनुसूचित जाति	१—श्री हरसुख चमार, सा० मुरारापुर ..	१८०.००	चेक द्वारा
		२—श्री रामपति चमार, सा० मुरारापुर ..	१८०.००	,,
		योग ..	३६०.००	,,
२	कूप निर्माण अनु० जा० एवं हस्त देय	१—श्री गरीब चमार, सा० रोहारी द्वारा प्रधान रौहारी	५००.००	,,
		२—जोखन चमार, सा० रामपुर गोसाई द्वारा रामपुर प्रधान गोसाई	५००.००	,,
		३—श्री पुबीन चमार, सा० बमनौली द्वारा प्रधान बमनौली	५००.००	,,
		४—श्री ढोढई चमार, सा० बेल घाट ..	२५०.००	,,
		५—श्री भकोले हरिजन, सा० बलघाट ..	२५०.००	,,
		६—श्री बलिराम चमार, सा० जैती ..	५००.००	,,
		७—श्री झमई चमार, सा० बसन्तपुर ..	१००.००	,,
		योग ..	२,६००.००	,,
३	कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति ..	१—श्री दूखी चमार, सा० रसलपुर ..	१५२.००	,,
		२—श्री लसेर चमार, सा० मिया ..	१५२.००	,,
		३—श्री बेच, सा० बनकटी ..	१००.००	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
			रु०	
		४--श्री राम कमल चमार, सा० रौहारी ..	२००.००	चेक द्वारा
		५--श्री कविलाश चमार, सा० देहराटीकर ..	३००. ०	,,
		६--श्रीराम जी, सा० धुरियाडीह ..	३००.००	,,
		योग ..	१,१०४.००	
४	गृह स्थल एवं कार्य स्थल अनुसूचित जाति ..	१--श्री जीवधन चमार, सा० बेलघाट ..	१२५.००	,,
		२--श्री फाग चमार, सा० बेलघाट ..	१२५.००	,,
		योग ..	२५०.००	,,
५	कृषि उत्थान दि० जाति	१--श्री बहाल मल्लाह, सा० रौहारी ..	३०५.००	,,
		२--श्री सुमेर, सा० गोविन्दपुर ..	११०.००	,,
		योग ..	४१५.००	,,
६	भवन निर्माण अनुसूचित जाति	१--श्रीमती सजेहरा, द्वारा प्रधान चेतरा तिवारी	१८५.००	,,
		योग ..	१८५.००	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	भवन निर्माण वि० जाति	१—श्री सुखराज मल्लाह, सा० साऊखोर ..	३७५.००	चेक द्वारा
		२—श्री जंगी मल्लाह, सा० सोगई ..	३७५.००	,,
		योग ..	७५०.००	,,
		कुल योग (१९६२-६३) ..	५,६९४.००	..

वर्ष १९६३-६४

१	कृषि उत्थान अनुसूचित जाति ..	१—श्री मोल्हू ढाढो सा० चौतेरा ..	३००.००	,,
		२—श्री मुन्ना चमार, सा० छितौनी ..	२७०.००	,,
		३—श्री चौथी धोबी, साके बरभदेवा ..	२७०.००	,,
		४—श्री बेचन चमार, सा० रतनपुरा ..	२४०.००	,,
		योग ..	१,०८०.००	,,
२	कूप निर्माण हाथ नल अनु० जाति ..	१—श्री खदेरु चमार, सा० रामपुर गोसाईं ..	९६.००	,,
		२—श्री ढोढई चमार, सा० बेलघाट ..	२००.००	,,
		३—श्री भकोले चमार, सा० बेलघाट ..	२००.००	,,
		योग ..	४९६.००	,,
६	कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति	१—श्री रामपति चमार, सा० मुरारापुर ..	२००.००	,,
		योग ..	२००.००	,,

१	२	३	४	४
			रु०	
४	कृषि उत्थान वि० जा०	१—श्री सुमेर, सा० गोविन्दपुर ..	९०.००	चेक द्वारा
		२—श्री सरन मल्लाह, सा० सौसाई ..	२७०.००	"
		योग ..	३६०.००	"
५	भवन निर्माण अनुसूचित जाति ..	१—श्री दूलही चमार, सा० विस्तई ..	५६३.००	"
		२—श्रीमती मोहरा, सा० चौतरा तिवारी द्वारा प्रधान चौतरा तिवारी	११५.००	"
		योग ..	६७८.००	"
६	भवन निर्माण वि० जाति	१—श्री जंगी मल्लाह, सा० सोपाई ..	१२५.००	"
		२—श्री भीम मल्लाह, सा० रौहारी ..	५००.००	"
		३—श्री भीम मल्लाह, सा० रौहारी ..	१२५.००	"
		योग ..	७५०.००	"
		कुल योग (१९६३–६४) ..	३,५६४.००	"
		वर्ष १९६४-६५		
१	भवन निर्माण वि० जाति	१—श्री भीम मल्लाह, सा० सोपाई ..	२५०.००	"
		योग ..	२५०.००	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१२ पर]

दुद्धी फारेस्ट डिवीजन के प्रत्येक रेंज में वहां के स्थानीय जनता को जो सुविधायें उपलब्ध हैं तथा उन सुविधाओं के अन्तर्गत सन् १९६९–७० में प्रत्येक रेंज में दी गई सुविधाओं का विवरण ।

देय सुविधायें				प्रदत्त सुविधायें			
दुद्धी वन प्रभाग के वनों से निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :—				दुद्धी वन प्रभाग में जो सुविधायें वर्ष १९६९–७० में दी गयीं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—			
(१) मकान बनाने एवं मरम्मत हेतु इमारती लकड़ी				(१) मकान बनाने एवं मरम्मत हेतु इमारती लकड़ी			
क्रम-संख्या	रेन्ज का नाम	प्रति वर्ष असना साखू, तेंदू, सिद्ध के ६० से० मी० से ९० से० मी० गोलाई की देय सं० (प्रति परिवार १ वृक्ष की दर से ५ साल में एक ही बार देय है)	प्रति वर्ष अन्य प्रजातियों (जिसमें तेंदू व सिद्ध भी शामिल है) के ३० से० मी० से ६० से० मी० गोलाई के वृक्षों की देय सं० (प्रति परिवार १२ वृक्ष की दर से ५ साल में एक ही बार देय है	रेन्ज का नाम	असना, साखू, तेंदू व सिद्ध के पेड़ (जो कालम २ में है)	अन्य प्रजातियों के पेड़ (जो कालम ३ में हैं)	विशेष विवरण

१	२	३	४	५	६	७	८
१	दुद्धी ..	१,१३७	१३,६४४	१—दुद्धी	..	३५	इसके अतिरिक्त मांग हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये।
२	म्योरपुर ..	४७१	५,६५२	२—म्योरपुर	..	..	कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
३	बमनी ..	२१६	२,६२८	३—बमनी	..	..	" "
४	पिपरी ..	६	७२	४—पिपरी	..	..	३० इसके अतिरिक्त कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
५	सिंगरौली ..	अभी इन क्षेत्रों की वन बन्दोबस्त की कार्य-		५—सिंगरौली			
६	चोपन आगोरी	वाही पूर्ण नहीं हुई है। बन बन्दोबस्त के दौरान		६—चोपन		२३०	अभी इन रेन्जों की
७	तरिया विजयगढ़	इन रेंजों में दी जाने वाली सुविधायें वन बन्दो-		७—तरिया	विशेष परिस्थिति में		सुविधायें निर्धा-
८	कोन वन क्षेत्र	बस्त अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धा-		८—कोन	यह सुविधा दी गई।		रित नहीं हैं।
९	गुर्मा	रित की जायेंगी।		९—गुर्मा	..	..	
१०	जुगैल			१०—जुगैल	..	..	
(२)	मकान बनाने हेतु बांस			(२) मकान बनाने हेतु दिये गये बांस की संख्या			

प्रत्येक परिवार को उनके आवश्यकतानुसार ही बांस देय हैं। संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

रेंज	बांस की संख्या	विवरण
१—दुद्धी ..	..	इस रेंज में बांस के क्षेत्र न होने के कारण सुविधा नहीं की जा सकी।
२—म्योरपुर ..	१७२०	
३—बमनी ..	..	कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
४—पिपरी ..	२००	

			५—सिगरौली ६—चोपन ७—तरिया ८—कोन ९—गुर्मा १०—जुगैल			१००	इन रेंजों में वन बन्दोवस्त की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। अभी इन रेंजों की सुविधायें निर्धारित नहीं हैं।

(३) कृषि के औजारों हेतु देय लकड़ी			(३) कृषि के औजारों हेतु दी गई लकड़ी			
रेंज का नाम	प्रति वर्ष खैर अथवा सालके ४५ सें०मी० से ६० सें० मी० गोलाई के वक्षों की वेत संख्या (प्रति परिवार) २ वृक्षों की दर	प्रति वर्ष लुकाट के ४५ सें० मी० से ६० सें० मी० गोलाई के वृक्षों की देय संख्या (प्रति परिवार २ वृक्षों की दर से)	रेंज का नाम	खैर तथा साल के पेड़ (जो कालम २ में है)	लुकाट के पेड़ (जो कालम ३ में है)	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१—दुद्धी	..	८३८	११,८३८	१—दुद्धी	..	..	मांग हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हो पाये।
२—म्योरपुर		११,५४६	४,५४६	२—म्योरपुर	..	..	
३—बमनी		४,५५०	१,५५०	३—बमनी	..	..	
४—पिपरी		१,५४	५४	४—पिपरी	..	..	
५—सिंगरौली	..	अभी इन क्षेत्रों में बन बन्दोवस्त की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। वन बन्दोवस्त के दौरान इन रेंजों में दी जाने वाली सुविधायें बन बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जायेंगी।		५—सिंगौली	..	..	
६—चोपन	आगोरी विजयगढ़ वन क्षेत्र			६—चोपन	..	..	
७—तरिया				७—तरिया	..	..	अभी इन रेंजों की सुविधायें निर्धारित नहीं हैं।
८—कोन				८—कोन	..	..	
९—गुर्मा				९—गुर्मा	..	..	
१०—जुगैल				१०—जुगैल	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(४) अन्य लघु वन उपज जो देय है:—		(४) अन्य लघु वन उपज जो दी गई है।	
रेंज का नाम	गिरी पड़ी जलावनी लकड़ी जड़, कांटे, छप्पर छाने की घास, रस्सी बनाने हेतु महलाइन की बेल, बगई घास, खाने वाले फल फूल जिनमें त्रिफला भी शामिल है	रेंज का नाम	निजी उपयोग के लिये वनों में गिरी पड़ी जलावनी लकड़ी, झाड़, कांटे, छप्पर की घास, रस्सी बनाने हेतु महलाइन की बेल, बगई घास, खाने वाले फल फूल जिनमें त्रिफला भी शामिल है
१	२	३	४
१—दुद्धी २—म्योरपुर ३—बमनी ४—पिपरी ५—सिंगरौली	इन दी जाने वाली सुविधाओं का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता।	१—दुद्धी २—म्योरपुर ३—बमनी ४—पिपरी ५—सिंगरौली	इन क्षेत्रों में ग्रामीणों को उपरोक्त सुविधाओं की वर्ष भर सुविधा दी गई।
६—चोपन ७—तरिया ८—कोन ९—गुर्मा १०—जुगैल	आगोरी विजयगढ़ वन क्षेत्र इन क्षेत्रों में अभी वन बन्दोवस्त की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। वन बन्दोवस्त के दौरान इन रेंजों में दी जाने वाली सुविधायें वन बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जायेंगी।	६—चोपन ७—तरिया ८—कोन ९—गुर्मा १०—जुगैल	इन क्षेत्रों की सुविधायें अभी निर्धारित नहीं हैं। वन बन्दोवस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक पुरानी प्रथा के अनुसार निःशुल्क घरेलू इस्तेमाल हेतु गिरी पड़ी सूखी जलावनी लकड़ी, घर छाने तथा घरेलू इस्तेमाल हेतु घास, फूस, कांटेदार झाड़ी-झंकाड़ ले जाने की सुविधायें दी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(५) मवेशियों को चराने की देय सुविधा

(अ) नि:शुल्क

रेंज का नाम	देय सुविधा
१—दुद्धी	.. स्थानीय ग्रामीण जनता को इन वन क्षेत्रों में
२—म्योरपुर	.. नि:शुल्क चराने की सुविधा इस प्रकार है—
३—बमनी	.. प्रत्येक काश्तकार के हल में चलने वाले २ बैल
४—पिपरी	.. प्रति हल की दर से, गणना के समय एक वर्ष आयु से कम के गाय भैंस के बच्चे एवं छः मास आयु से कम बकरी भेड़ के बच्चे नि: शुल्क चर सकते हैं। पशुओं की संख्या निर्धारित नही है।
५—सिगरौली	.. इस क्षेत्र में चराई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है
६—चोपन	..
७—तोरिया	..
८—कौन	.. इन क्षेत्रों में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण
९—गुर्मा	.. नहीं हुई है।
१०—जुगैल	..

(५) मवेशियों को चराने की दी गई सुविधा

(अ) नि:शुल्क

रेंज का नाम	नि:शुल्क सुविधा		
	गाय व बैल	भैंस	बकरी व भेड़
१—दुद्धी	८,२४५	४७१	५११
२—म्योरपुर	८,८४६	३०७	५४०
३—बमनी	२,२५०	६०	१४९
४—पिपरी	३२४	६	१५२
५—सिगरौली	इस क्षेत्र में चराई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।		
६—चोपन			
७—तोरिया			
८—कौन	अभी इन रेंजों की सुविधायें निर्धारित नहीं हुई हैं।		
९—गुर्मा			
१०—जुगैल			

मवेशियों को चराने की देय सुविधा

(ब) रियायती दरों पर

रेंज का नाम	देय सुविधा
१—दुद्धी	इन क्षेत्रों में स्थानीय जनता को अपने पशुओं को वन क्षेत्रमें रियायती दरों पर चराने की सुविधा देय है। परन्तु सुविधा प्राप्त पशुओं की संख्या निर्धारित नहीं है।
२—म्योरपुर	
३—बमनी	
४—पिपरी	
५—सिंगरौली	इस क्षेत्र में चराई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है
६—चोपन	इन क्षेत्रों में अभी वन बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण नहीं है। जिसके कारण वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा चराने की सुविधा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है।
७—तरिया	
८—कौन	
९—गुर्मा	
१०—जुगैल	

मवेशियों को चराने की दी गई सुविधा

(ब) रियायती दरों पर

रेंज का नाम	रियायती दर पर दी गई सुविधा			
	गाय व बैल	भैंस	बकरी व भेड़	घोड़ा
१—दुद्धी	१०,५६१	१,६०१	८,०६६	—
२—म्योरपुर	१०,५२०	१,०५६	४,६२४	—
३—बमनी	२,७३६	२५२	८४३	—
४—पिपरी	३५२	११	५७१	
५—सिंगरौली	चराई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।			
६—चोपन	५,३१३	५५३	१,५६८	१६
७—तरिया	१,८६३	३५३	५४७	चालू प्रथा
८—कौन	७,४५४	१,२३३	१,४७०	के अनुसार
९—गुर्मा	५,७८६	६६१	२,७७१	पशुओं को
१०—जुगैल	११,८८४	१,४६०	४,७१८	चारा दिया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०२१ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन विधेयक), १९७०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 15, 1948 ई० की धारा ३-च का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३-च के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात् :—

कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर ।

"३-च—प्रत्येक व्यापारी, जो धारा ३, धारा ३-क, धारा ३-कक या धारा ३-घ के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर-निर्धारण वर्ष में क्रय या विक्रय अथवा दोनों का कुल विक्रय-धन दो लाख रुपये से अधिक हो, उक्त कर के अतिरिक्त, उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये अपने कर-योग्य विक्रय-धन पर पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये की दर से अतिरिक्त कर देगा :

ऐक्ट सं० 74, 1956

प्रतिबन्ध यह है कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ में यथा-परिभाषित डिक्लेयर्ड गुड्स (घोषित माल) की दशा में :—

(क) यदि उक्त धाराओं के अधीन देय कर उक्त ऐक्ट की धारा १५ के अधीन अनुज्ञेय कर की अधिकतम धनराशि के बराबर हो तो इस धारा के अधीन कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा;

(ख) यदि इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर और उक्त धाराओं के अधीन देय कर मिला कर उक्त ऐक्ट की धारा १५ के अधीन अनुज्ञेय कर की अधिकतम धनराशि से अधिक हो जाय तो अतिरिक्त कर की धनराशि घटा कर उतनी हो जायगी जो उपर्युक्त प्रकार से देय कर को मिलाकर उक्त अधिकतम धनराशि के बराबर हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर निर्धारण वर्ष की दशा में जो इस धारा के प्रवर्तन के पूर्व प्रारम्भ हुआ हो, यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का देनदार है या नहीं, ऐसे सम्पूर्ण कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन की गणना की जायगी किन्तु अतिरिक्त कर विक्रय-धन के केवल उस भाग के संबंध में देय होगा जिसका संबंध इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् की अवधि से हो ।

स्पष्टीकरण—यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का देनदार है या नहीं, उसका ऐसे माल के संबंध में, जो धारा ४ क अधीन कर से मुक्त हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायगा ।"

धारा ८ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द "ऐसे ढंग तथा ऐसी किस्तों में, यदि कोई हों, तथा ऐसे समय के भीतर जो कर-निर्धारण और मांग की नोटिस की तारीख के पश्चात् १५ दिन से कम न होगा," के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति से" रख दिये जायें ;

(२) उपधारा (४) में शब्द "या नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के भुगतान के लिये समय बढ़ा सकता है" निकाल दिये जायें ;

(३) उपधारा (८) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से इस प्रकार बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(९) उपधारा (१) और (१-क) में दी गयी किसी बात के होते हुये और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुये भी, यदि कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी पर इस ऐक्ट के अधीन किसी कर या अन्य देयों के संबंध में कर-निर्धारण और मांग की कोई नोटिस तामील की जाय और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाय तो—

(क) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण, या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाय तो कर-निर्धारक अधिकारी व्यापारी पर केवल उतनी धनराशि के सम्बन्ध में, जितनी धनराशि की ऐसे कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाय, एक नयी नोटिस तामील करेगा, और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण के पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से संबंधित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही हो ;

(ख) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाय तो—

(१) कर-निर्धारक अधिकारी को व्यापारी पर नयी नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा ;

(२) यदि वसूली की कोई कार्यवाही विचाराधीन हो तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी कमी किये जाने के तथ्य की सूचना कलेक्टर को देगा जो तदुपरान्त केवल कम की गई धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही करेगा ; और

(३) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का, जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यापारी पर तामील की गयी नोटिस या नोटिसों के आधार पर प्रारम्भ की गयी कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गई धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व रही हो ;

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई भिन्नता न हो, नयी नोटिस की अवश्यकता न होगी।"

धारा ६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१) कोई व्यापारी जिसे कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा दी गई, धारा १०-क में उल्लिखित आज्ञा से भिन्न, किसी आज्ञा पर आपत्ति हो, आज्ञा की प्रतिलिपि तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस ऐक्ट के अधीन किसी कर-निर्धारण आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता कम से कम निम्नलिखित धनराशि के भुगतान किये जाने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे—

(क) यदि विवरणी प्रस्तुत की जाय, तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में या बाद में कर-निर्धारणअधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में, जो भी अधिक हो, स्वीकार किये गये, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या

(ख) यदि कोई विवरणी प्रस्तुत न की जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किये गये, यथा स्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का २० प्रतिशत, जो भी अधिक हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (ख) को अपेक्षाओं से छूट दे सकता है अथवा उन्हें शिथिल कर सकता है।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"(३) अपील सुनने वाला अधिकारी, अपीलकर्ता तथा बिक्रीकर कमिश्नर को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात—

(क) कर-निर्धारण या अर्थ-दण्ड की किसी आज्ञा की दशा में—

(१) कर-निर्धारण या अर्थ दण्ड अथवा दोनों की पुष्टि कर सकता है, उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है अथवा उसका अभिशून्यन कर सकता है, या

(२) आज्ञा को रद्द कर सकता है और कर-निर्धारक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, जो निर्दिष्ट की जाय, फिर से आज्ञा दे, या

(ख) किसी अन्य आज्ञा की दशा में, ऐसी आज्ञा की पुष्टि कर सकता है, उसको निरस्त अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(३-क) अपील सुनने वाले अधिकारी को अपीलकर्ता द्वारा अपीलाधीन किसी आदेश के अधीन देयकर, शुल्क अथवा अर्थ दण्ड की किसी धनराशि की वसूली को स्थगित करने का अधिकार न होगा।"

धारा १० का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

पुनरीक्षण

"१०—(१) राज्य सरकार उन व्यक्तियों में से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये अर्ह हों, एक पुनरीक्षण अधिकारी और उतने अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगी।

(२) कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध बिक्री कर कमिश्नर के, या अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से, जो धारा १०-क में उल्लिखित आज्ञा न हो, क्षुब्ध किसी अन्य व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी स्वविवेक से, ऐसी आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ संगत अभिलेख मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्—

(क) ऐसी आज्ञा की पुष्टि, उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन कर सकता है, या

(ख) आज्ञा को रद्द कर सकता है और, यथास्थिति, कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् जो निर्दिष्ट की जाय, फिर से आज्ञा दे।

(३) किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी का क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्रों या वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण अधिकारी अपने समक्ष विचाराधीन कोई मामला या किसी वर्ग के मामले को किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है, और इसी प्रकार किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी मामले को किसी अन्य अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को या अपने पास हस्तान्तरित कर सकता है।

(४) पुनरीक्षण अधिकारी या कोई अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, व्यापारी के प्रार्थनापत्र पर बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आज्ञा के, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण विचाराधीन हो, अधीन व्यापारी द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की किसी धनराशि की वसूली को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी धारा ६ के अधीन उसके द्वारा जमा किये जाने के लिये अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त कर, शुल्क या अर्थ दण्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि की कम से कम आधी धनराशि का भुगतान करने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि, यथा स्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे पूर्ववर्ती परन्तुक की कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि सम्बन्धित अपेक्षाओं से छूट दे सकता है अथवा उन्हें शिथिल कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आज्ञा उसके दिये जाने के पश्चात साठ दिन से अधिक के लिये प्रवृत्त न रहेगी जब तक कि इस बीच प्रार्थी ने उस धनराशि के भुगतान के लिये, जिसकी वसूली स्थगित की गयी हो, कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।

(५) उपधारा (२) या उपधारा (४) के अधीन दी गयी आज्ञा की प्रति-लिपि प्रार्थी तथा विरुद्ध पक्ष में प्रत्येक पर तामील की जायगी।

(६) उपधारा (२) के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र उस आज्ञा के तामील किये जाने के दिनांक से, जिसके विरुद्ध असंतोष प्रकट किया गया हो एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि के पश्चात् प्रार्थना-पत्र ग्रहण किया जा सकता यदि प्रार्थी, यथास्थिति पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी का यह समाधान कर दें कि उक्त अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र न दिये जाने का पर्याप्त कारण था।

(७) यदि निर्धारित कर लगाये गये शुल्क या आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि उपधारा (२) के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा कम कर दी जाय तो वह कर, शुल्क या अर्थ दण्ड की अधिक धनराशि को, यदि वह पहले ही से वसूल कर ली गयी-हो, वापस करने की आज्ञा देगा।"

नयी धारा १० क का बढ़ाया जाना

६––मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात––

"१०–क––निम्नलिखित के विरुद्ध न तो कोई अपील की जायेगी और न पुनरीक्षण के लिये कोई प्रार्थना–पत्र दिया जायेगा :–

(क) धारा ७ या धारा २१ के अधीन कोई आज्ञा या नोटिस जिसमें आज्ञाएं जिनके विरुद्ध कोई अपील या पुन-रीक्षण नहीं किया जायगा	कर निर्धारण या पुन:कर-निर्धारण के निमित्त कोई जांच प्रारम्भ की जाय, या

(ख) धारा १३ या धारा १३–क के अधीन कोई आज्ञा।"

धारा १३–का संशोधन

७––मूल अधिनियम की धारा १३ में––

(१) उपधारा (२) में शब्द व कामा "श्रेणी के न हो", और शब्द "निरीक्षण" के बीच शब्द " तलाशी लेने और " रख दिये जायं,

(२) उपधारा (४) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात––

" प्रतिबन्ध यह है कि––

(१) किसी आवासिक स्थान में (जो व्यापार–एवं-निवास स्थान न हो) ऐसे अधिकारी द्वारा, सिवाय उस क्षेत्र पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये तलाशी वारंट के प्राधिकार से, न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायगा और न उसकी तलाशी ली जायगी ; और

१३६८ का अधिनियम ५

(२) इस धारा केअधीन किस प्रकार प्रवेश करने, तलाशी लेने या निरीक्षण करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८६८ की धारा १०२, १०३ और १६५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी के संबंध में लागू होते हैं।"

धारा १३-क का संशोधन

८––मूल अधिनियम की धारा १३–क में, उपधारा (२) से (४) तक के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात––

"(२) तत्पश्चात ऐसा अधिकारी अभिगृहीत माल को किसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने को सुनश्चित करने और इस प्रकार

प्रस्तुत किये जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा ।"

धारा १४ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १४ में,उप-धारा (२) में, खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात-

"(खख) ऐसा माल रखे जिसका लेखा उसके द्वारा व्यापारी के रूप में व्यापार के दौरान रखे गये लेखों या रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में न रखा गया हो, अर्थात्"—

धारा १५ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १५ में खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थातः—

"(खख) जो उस दशा में जब अपराध जान बूझकर ऐसे माल को रखने के संबंध में हो जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के दौरान रखे गये लेखों या रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में न रखा गया हो, उसके संबंध में देय कर की धनराशि के अतिरक्त उसकी दोगुनी धनराशि से अधिक न हो ;"

धारा २९ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखदी जाय, अर्थात्—

"२९—कर-निर्धारक अधिकारी इस ऐक्ट के अधीन व्यापारी धनराशि की वापिसी देय धनराशि द्वारा अधिक भुगतान किये गये किसी कर, शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे निधारित रीति से वापस कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पाई गई धनराशि प्रथमतः व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी ।"

अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय २ तथा अध्यादेश संख्या २०, १९७० का निरसन

१२—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) आध्यादेश, १९७० का अध्याय २ तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

उद्देश्य और कारण

प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करने एवं बिक्री-कर की बढ़ती हुई बकाया की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बिक्री–कर अधिनियम, १९४८ में कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझा गया। चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और ये संशोधन तत्काल करने आवश्यक थे, राज्यपाल द्वारा ३० सितम्बर, १९७० को उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य उक्त अध्यादेश को कुछ संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित करना है। विधेयक के मुख्य उपबन्ध निम्न प्रकार हैं :—

(१) विधेयक के खंड २ द्वारा ५ अगस्त, १९७० को प्रख्यापित किये गये उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० द्वारा जोड़ी गई नई धारा ३–च को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारी, जो धारा ३, ३–क ३–कक तथा ३–घ के अधीन कर का देनदार है और जिसका कुल वार्षिक विक्रय–धन (जिसके अन्तर्गत धारा ४ के अधीन कर–मुक्त वस्तुओं का विक्रयधन भी सम्मिलित है) दो लाख रुपये से अधिक है, अपने कर–योग्य विक्रय–धन पर २५ पैसे प्रति सौ रुपये की दर से अतिरिक्त कर का देनदार होगा।

(२) खण्ड ३ द्वारा धारा ८ में एक नई उपधारा (९) जोड़ी जा रही है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अपील आदि के फलस्वरूप निर्धारित कर की धनराशि में कोई परिवर्तन होने पर कोई नई नोटिस जारी करना आवश्यक न होगा। केवल बढ़ी हुई धनराशि के संबंध में मांग का नोटिस जारी करना आवश्यक होगा, तथा यथास्थिति घटी हुई धनराशि की सूचना कलेक्टर को देनी होगी, तथा उसी के आधार पर वसूली की कार्यवाही उसी प्रक्रम से पुनः चालू की जा सकेगी जिस पर वह अपील आदि के निस्तारण के पूर्व थी।

(३) खण्ड ४ द्वारा धारा ९ में इस हेतु संशोधन किया जा रहा है और खण्ड ६ द्वारा एक नई धारा १०–क इस हेतु बढ़ाई जा रही है कि कर निर्धारक अधिकारी के सभी आदेशों, सिवाय कुछ अन्तरिम अथवा प्रारम्भिक प्रकार के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायगी जब तक कि व्यापारी ने कम से कम उतनी धनराशि के जमा करने का संतोषप्रद प्रमाण न प्रस्तुत कर दिया हो जो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में स्वीकृत विक्रय धन पर देय कर से अथवा, यदि विवरणी न प्रस्तुत की गई हो तो निर्धारित कर के २० प्रतिशत से, कम न हो। अपीलीय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, उक्त अपेक्षा से छूट दे दे या उसे शिथिल कर दे।

(४) खण्ड ५ द्वारा धारा १० के स्थान पर एक नई धारा रख दी गई है जिसके अनुसार पुनरीक्षण अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी स्वतः नहीं, वरन् बिक्री–कर आयुक्त अथवा व्यापारी की प्रार्थना पर ही किसी मामले के अभिलेख मंगा कर देख सकेंगे। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि विवादग्रस्त कर के ५० प्रतिशत से अधिक की वसूली स्थगित न की जा सकेगी, और वह भी उसी दशा में जब कि स्वीकृत कर के अतिरिक्त विवादग्रस्त कर की शेष ५० प्रतिशत धनराशि के जमा किये जाने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया हो। पुनरीक्षण अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, उक्त अपेक्षा से छूट दे दें या उसे शिथिल कर दे। स्थगन आदेश उसके दिये जाने के ६० दिन के बाद प्रवृत्त न रहेगा जब तक कि इस बीच व्यापारी द्वारा स्थगित की गई धनराशि के संबंध में संतोषप्रद प्रतिभूति न दे दी गई हो।

(५) खण्ड ११ द्वारा धारा २६ के स्थान पर नई धारा रखी गई है जिसमें यह व्यवस्था है कि व्यापारी द्वारा देय कर से अधिक जमा की गई धनराशि की वापिसी कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा स्वतः की जायेगी ।

२---इस अवसर का उपयोग कतिपय अन्य संशोधन करने के लिये भी किया गया है ।

३---तद्नुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

कैलाश प्रकाश,
वित्त मंत्री ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०२२ पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०

संविधान के अनुच्छेद ४७ में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अनुसरण में मद्य-निषेध के प्रसार तथा प्रवर्तन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० का अग्रेतर संशोधन करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

नयी धारा २०-ए-और २०-बी का बढ़ाया जाना

२—एक्साइज ऐक्ट, १९१०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात—

मद्य निषेध को क्रमिक रूप से प्रवर्तित करने का विकल्प

२०-ए—धारा १४ के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन को प्रतिषिद्ध करने के राज्य सरकार की शक्ति का और धारा २० की उपधारा (४) के अधीन किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखने को प्रतिषिद्ध, करने की शक्ति का, प्रयोग राज्य में मद्य-निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में किया जा सकता है और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का तदर्थ चयन किया जा सकता है :

(क) तीर्थ स्थान, विद्या केन्द्र या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उस क्षेत्र की विशेषता;

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक, स्थिति जिसके अन्तर्गत उनका आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर भी है;

(ग) स्थानीय जन-मत और

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य, जो राज्य सरकार की राय में, लोक-हित में सारवान हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं समझा जायेगा कि राज्य सरकार अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मद्य-निषेध के प्रवर्तन के लिये किसी समय चयन किया जाय, उल्लेख करे ।

मद्य-निषेध के संबंध में अपवाद, आदि

२०-बी—(१) यदि संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के संबंध में (जिसे आगे इस धारा में मद्य-निषेद्ध क्षेत्र कहा गया है) उक्त नीति के अनुसरण में धारा २० की उपधारा (४) के अधीन कोई अभिसूचना जारी की जाय तो मद्य-निषेद्ध क्षेत्र के संबंध में धारा १४ के अधीन अधिसूचना या तो अप्रतिबद्ध रूप में अथवा ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधि-सूचना में निर्दिष्ट किया जाय, जारी की जा सकती है ।

(२) किसी मद्य-निषेध क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा १४ के अधीन या धारा २० की उपधारा (४) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं, या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये कब्जे में रखने, या उनका आयात-निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती या शिथिलीकरण कर सकती है —

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य;

(ख) मद्य-निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी;

(ग) मद्य-निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री;

(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) तथा वे व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य के लिये मादक वस्तु की आवश्यकता हो;

(ङ) वे व्यक्ति जिनके पास धारा १७, १८, २१ और २४ के अधीन लाइसेंस हो;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य-निषेध क्षेत्र से, को, या वहां से होकर जाने वाले परेषण;

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन

(३) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के संबंध में जो उपधारा (२) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार, या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो निर्दिष्ट किया जाय, कोई पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(४) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक वह मद्य-निषेध क्षेत्र पर लागू है, बिना नोटिस तुरन्त रद्द कर सकता है, और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के संबंध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा, और उसके संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रुप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गयी धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि को (यदि कोई हो) घटाकर, लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को लाइसेंस के इस प्रकार रद्द किये जाने के संबंध में धारा ३५ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रतिकर देय न होगा।

(५) यदि उपधारा (४) के अधीन कोई लाइसेंस रद्द कर दिया जाये तो लाइसेंसधारी अपने पास की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

वैधीकरण

३—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १४ या धारा २० की उपधारा (४) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, और समय-समय पर यथा संशोधित यू० पी० इन्टोक्सिकेंट प्राहीबिशन रूल्स, १९४७ के नामसे बनाये हुए नियम उसी प्रकार वैध समझे जायेंगे और सदैव से वैध होंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने या उक्त नियम बनाने अथवा उसमें संशोधन करने के समय प्रवृत्त थे, और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा संशोधित या विखंडित न कर दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं ११, १९७० का निरसन

४—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १६१० की धारा १४ और धारा २०, राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र में या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात, परिवहन तथा कब्जे में रखने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति देती हैं। उक्त धाराओं में मद्य-निषेध के प्रसारण के लिये विशिष्ट क्षेत्रों में चयन के लिये कोई मार्गदर्शक तत्व नहीं दिये गये हैं और न ही उक्त धाराओं में मद्यनिषेध के प्रतिबन्धों के संबंध में छूट देने के लिये कोई सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। उक्त मार्गदर्शक तत्वों के अभाव में संभवतः यह कहा जा सकता है कि ये धारायें अत्यधिक प्रतिनिधान से ग्रसित हैं। प्रस्तुत विषय को किसी भी ऐसे संदेह से परे रखने के लिये प्रचुर पूर्वावधान के रूप में, यह प्रस्ताव है कि मद्यनिषेध के समारम्भ के लिये विशिष्ट क्षेत्रों के चयन करने के निमित्त मार्गदर्शक तत्वों तथा ऐसे सिद्धांतों को, जिनके अनुसार मद्यनिषेध संबंधी प्रतिबन्धों से छूट दी जा सके, उल्लिखित किया जाय। यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि जब किसी क्षेत्र में मद्य-निशेध के समारम्भ के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंसों को निरस्त किया जाय तो ऐसे निरसन के लिये किसी नोटिस की आवश्यकता न हो तथा ऐसे किसी लाइसेंसधारी को कोई प्रतिकर देय न हो। तदनुसार उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६७० पुरःस्थापित किया जाता है।

हिम्मत सिंह,
आबकारी मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०५४ पर)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ के निरसन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गण राज्य के इक्कीसव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९६५ का निरसन

२—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम १९६५ को ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात किसी व्यक्ति को होनेवाली आय के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान करने के दायित्व के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन पर १ अप्रैल, १९६६ से कर लगाया गया था। जन-साधारण को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शासन ने इस कर को ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् होने वाली आय के सम्बन्ध में समाप्त करने का निर्णय लिया है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कैलाश प्रकाश,
वित्त मंत्री।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४६ एल० ए०—१९७१—८४५ (प्रो०)।